लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 36, शुक्रवार 9 अप्रैल, 1965/19 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
809	युगान्डा में चीनी के कारखाने	3359—61
810	कांडला बन्दरगाह .	3362—64
811	गोवा में लौह-अयस्क अवकरण संयंत्र .	3364–65
813	हिन्दी-विरोधी प्रदर्शन में रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि	3365—68
814	अमृतसर इंजन कर्मशाला . .	3368—70
815	अमरीकी विनियोजन दल की नई दिल्ली की यात्रा	3370—73
818	पूर्वी अफ्रीका को कागज़ तथा कागज़ उत्पाद प्रतिनिधिमण्डल	3373—75
820	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची .	3375–76
821	ब्रिटेन से कपड़ा बनाने की मशीनें .	3376—78
822	मैसूर में इस्पात कारखाना	3378–79
823	छोटे पैमाने पर जूते बनाने वाले .	3379—81

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

8	मोटर गाड़ियों की कीमतें	3381–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

812	जस्ता पिघलाने का संयंत्र .	3383
816	कृषि औद्योगिक संगम (कम्प्लेक्स) .	3383
817	विदेशी फर्मों में पदों पर भारतीय की नियुक्ति	3383–84
819	दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर टैक्सियां	3384
824	चतुर्थ योजना में खनिजों की खोज	3384
825	दिल्ली में झुग्गीवासी .	3385
826	आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात	3385–86
827	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड . . .	3386

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 36—*Friday, April* 9, 1965/*Chaitra* 19, 1887 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
809	Sugar Factories in Uganda	3359—3361
810	Kandla Port	3362—64
811	Iron Ore Reduction Plant in Goa	3364-65
813	Damage to Railway Property during anti-Hindi Demonstration	3365—68
814	Amritsar LocomotiveWorkshop	3368—70
815	U.S. Investment Team's Visit to New Delhi	3370—73
818	Paper and Paper Products Delegation to E. Africa	3373—75
820	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	3375-76
821	Textile Machinery from U.K.	3376—78
822	Steel Plant in Mysore	3378-79
823	Small Scale Shoe Manufacturers	3379—81

Short Notice Q. No.		
8	Prices of Motor Vehicles	

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.		
812	Zinc Smelter Plant	3383
816	Agro-Industrial Complex	3383
817	Indianization of Posts in Foreign Firms	3383-84
819	Taxis at Delhi and New Delhi Stations	3384
824	Mineral Exploration during Fourth Plan	3384
825	Jhuggi-dwellers in Delhi	3385
826	Export of Textiles to Australia	3385-86
827	Hindustan Machine Tools, Ltd.	3386

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
828	भारी इंजीनियरी निगम, रांची . . .	3387
829	इस्पात की ढली वस्तुओं का निर्माण	3387
830	तकुओं का आयात	3387

अतारांकित
प्रश्न संख्या

2104	चेकोस्लोवाकिया से अखबारी कागज की खरीद	3388
2105	दियासलाइयों का निर्यात .	3388
2106	दियासलाइयों की खपत .	3388–89
2107	विश्व औद्योगिक प्रदर्शनी . . .	3389
2108	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां . . .	3390
2109	खण्ड अधीक्षक का कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	3390–91
2110	ईगल वैक्यूम फ्लास्क .	3391
2111	उपभोक्ता सहकारी समितियां . .	3392
2112	पंजाब में जीपों का निर्माण . . .	3392
2113	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	3392–93
2114	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडल .	3393–94
2115	कोयले के माल डिब्बे में लाश . .	3394
2116	टसर रेशम का निर्यात . .	3394–95
2117	कहवे का उत्पादन . .	3395
2118	सोवियत संघ को निर्यात .	3395–96
2119	खंडाला के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना .	3396
2120	इस्पात कारखानों में उत्पादन .	3396
2121	एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्यात .	3397
2122	मंडी में नमक के निक्षेप .	3397
2123	अकोला में भारी औद्योगिक कारखाना .	3397–98
2124	गैस सम्भरण के लिये गेजिट .	3398
2125	छोटे पैमाने के उद्योग .	3398–99
2126	चाय पर बहु-कर .	3399

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
828	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	3387
829	Manufacture of Steel Castings .	3387
830	Import of Spindles . .	3387

Unstarred Q. Nos.

2104	Purchase of Newsprint from Czechoslovakia	3388
2105	Export of Matches .	3388
2106	Consumption of Matches . .	3388-89
2107	Universal Industrial Exhibition .	3389
2108	Industrial Estates in Madhya Pradesh .	3390
2109	D.S's. and Headquarters Offices Northern Railway, New Delhi	3390-91
2110	Eagle Vacuum Flasks	3391
2111	Consumer Co-operative Societies	3392
2112	Manufacture of Jeeps in Punjab .	3392
2113	Corruption cases on Northern Railway .	3392-93
2114	Delegations sent abroad . .	3393-94
2115	Dead body in a coal wagon	3394
2116	Export of Tussar Silk	3394-95
2117	Production of Coffee	3395
2118	Exports to U.S.S.R. . .	3395-96
2119	Derailment near Khandala	3396
2120	Production in Steel Plants	3396
2121	Exports of Indentical Products .	3397
2122	Salt deposits in Mandi .	3397
2123	Heavy Industrial Plant in Akola	3397-98
2124	Gadgets for Gas Supply .	3398
2125	Small Scale Industries	3398-99
2126	Multiple Taxes on Tea . . .	3399

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2127	स्टेशनों पर बिजली लगाना	3399
2128	टेरीलीन के धागे का उत्पादन	3400
2129	पूर्वोत्तर रेलवे पर सामान बेचने के ठेके	3401–01
2130	उत्तर प्रदेश को लोहा और इस्पात का नियतन	3401
2131	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	3401
2132	लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश	3402
2133	दूसरा केबल कारखाना	3402
2134	पंजाब मेल का भटिंडा पहुंचने का समय	3403
2135	नजफ़गढ़ औद्योगिक क्षेत्र	3403
2136	रूपनारायण नदी पर रेल का पुल	3404
2137	"चिलियन नाइट्रेट" का आयात	3404
2138	रेफ्रिजरेटरों की चोरी	3405
2139	दिल्ली के पार्सल कार्यालय पर छापा	3405
2140	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य में व्यापार अभिकरण	3405–06
2141	रेलवे बोर्ड में अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी	3406
2142	जम्मू तथा काश्मीर में चाय बागान	3406
2143	रेलवे में आयुर्वेदिक औषधालय	3407
2144	वारंगल के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	3407
2145	राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योग	3407
2146	हिन्दी में रेल टिकट	3408
2147	रेल के पास	3408
2148	ईंटें पकाने के कोयले की ढुलवाई	3408–09
2149	केलों का निर्यात	3409–10
2150	हिसार में कच्चे लोहे का कारखाना	3410
2151	अखिल भारतीय वाणिज्यिक लिपिक संस्था	3410
2152	"इकाफे" का आगामी सम्मेलन	3410
2153	डिविजनल सुपरिनटेंडेन्ट कार्यालय, नई दिल्ली	3411
2154	राजपत्रित अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना	3411
2155	दिल्ली के बड़े स्टेशन पर खाली माल डिब्बे	3411

Unstarred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
2127	Electrification of Stations .	3399
2128	Production of Terylene Fibre . . .	3400
2129	Vending Contracts on North-Eastern Railway	3400–01
2130	Allocation of Iron and Steel to U.P.	3401
2131	Small Scale Industries in U.P. . .	3401
2132	Small Scale Industries Corporation, U.P.	3402
2133	Second Cable Factory . . .	3402
2134	Arrival of Punjab Mail at Bhatinda	3403
2135	Najafgarh Industrial Area . . .	3403
2136	Rail Bridge over Rupnarayan River	3404
2137	Import of Chilean Nitrate .	3404
2138	Theft of Refrigerators	3405
2139	Raid on Delhi Parcel Office	3405
2140	Trade Agency in German Democratic Republic	3405–06
2141	Senior Scale Officers in Railway Board	3406
2142	Tea Gardens in Jammu and Kashmir	3406
2143	Ayurvedic Dispensaries on Railways . .	3407
2144	Derailment near Warangal . .	3407
2145	Small Scale Industries in States .	3407
2146	Railway Tickets in Hindi .	3408
2147	Railway Passes .	3408
2148	Movement of Brick-Burning Coal	3408–09
2149	Export of Bananas	3409—50
2150	Pig Iron Plant at Hissar	3410
2151	All India Commercial Clerks Association	3410
2152	Next E.C.A.F.E. Session . .	3410
2153	Divl. Supdt.'s Office, New Delhi	3411
2154	Extension of Service to Gazetted Officers	3411
2155	Empty wagons at Delhi Main Station .	3411–12

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2156	जलपान-गृह और चाय के स्टाल	3412
2157	दुर्गापुर में कांच कारखाना	3412–13
2158	उज्जैन में कपास ओटने का कारखाना	3413
2159	चार पहियों वाले माल डिब्बे	3413–14
2160	कोयला बोर्ड से आर्थिक सहायता	3414
2161	छोटे पैमाने के धातु उद्योग	3414–15
2162	बरसुआ खानों में परिष्करण कारखाना	3415

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना-- 3415

(एक) चीन के प्रधान मंत्री के काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के समय वहां से भारतीय सम्वाददाताओं का हटाया जाना--

श्री हुकम चन्द कछवाय 3415

श्री दिनेश सिंह 3415

(दो) पूर्व रेलवे के भागलपुर सेक्शन पर सबौर और घोघा स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी में दो व्यक्तियों की हत्या का समाचार--

श्री गुलशन . 3458

डा० राम सुभग सिंह 3458

सभा पटल पर रखे गये पत्र 3416

प्राक्कलन समिति--

अड़सठवां प्रतिवेदन 3417

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति--

तीसरा प्रतिवेदन . 3417

सभा का कार्य 3418

समिति के लिये निर्वाचन 3417

रबड़ बोर्ड . 3420

अनुदानों की मांगें--

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 3421

श्रीमती इंदिरा गांधी 3421

Unstarred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
2156	Refreshment Rooms and Tea Stalls	3412
2157	Glass Factory in Durgapur	3412–13
2158	Cotton Extraction Plant at Ujjain	3413
2159	Four Wheeler Wagons	3413–14
2160	Subsidy from the Coal Board	3414
2161	Small Scale Metal Industries	3414–15
2162	Beneficiation Plant at Barsua Mines	3415

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance . . 3415

(*i*) Removal of Indian Press Correspondents from Cairo Airport at the time of arrival of Chinese Prime Minister

Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . 3415

Shri Dinesh Singh . . . 3415

(*ii*) Murder of 2 persons in train between Sabour and Gogha Stations on Bhagalpur Section of Eastern Railway

Shri Gulshan . 3458

Dr. Ram Subhag Singh . 3458

Papers laid on the Table 3416

Estimates Committee—

Sixty-eighth Report 3417

Committee on Public Undertakings—

Third Report 3417

Business of the House 3418

Election to Committee—

Rubber Board 3420

Demands for Grants—

Ministry of Information and Broadcasting . . 3421

Shrimati Indira Gandhi . 3421

विषय	पृष्ठ
पुनर्वास मंत्रालय	
श्री य० ना० सिंह	3425
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	3426—31
श्री अ० चं० गुह	3431—34
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	3434—35
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	3435—36
श्रीमती रेणुका राय	3436—38
श्री प्र० कु० घोष	3438—40
श्री म० मो० दास	3440
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	3443
कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास के बारे में संकल्प—वापस लिया गया—	
श्री ही० ना० मुकर्जी	3444—46
श्री प्र० के० देव	3446—48
श्री अ० चं० गुह	3448
श्री च० का० भट्टाचार्य	3449
श्री नि० च० चटर्जी	3449
श्री दी० चं० शर्मा	3450
श्री यशपाल सिंह	3450
श्री रघुनाथ सिंह	3450
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	3451
श्री बाल्मीकी	3451—52
श्री ब० रा० भगत	3452
जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिये संस्था के बारे में संकल्प—	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	3457
कच्छ सीमा पर स्थित भारतीय पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा आक्रमण के बारे में वक्तव्य—	
श्री नन्दा	3452—58

Subject	PAGES
Ministry of Rehabilitation —	
Shri Y.N. Singha	2425
Shrimati Renu Chakravartty	3426—31
Shri A. C. Guha	2431—34
Shrimati Jyotsna Chanda	3434-35
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	3435-36
Shrimati Renuka Ray	3436—38
Shri P.K. Ghosh	3438—40
Dr. M.M. Das	3440
Committee on Private Members' Bills and Resolutions —	
Sixty-Second Report	3443
Resolution *re*: Development of Calcutta Metropolitan area— *Withdrawn*	
Shri H.N. Mukerjee	3444—46
Shri P.K. Deo	446—48
Shri A.C. Guha	3448
Shri C.K. Bhattacharyya	3449
Shri N.C. Chatterjee	3449
Shri D.C. Sharma	3450
Shri Yashpal Singh	3450
Shri Raghunath Singh	3450
Shrimati Lakshmikanthamma	3451
Shri Balmiki	3451-52
Shri B.R. Bhagat	3452
Resolution *re*: Institution for redress of public grievances—	
Dr. L.M. Singhvi	3457
Statement *re*: Firing on police post on Kutch border by Pakistan Forces—	
Shri Nanda	3452—58

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 अप्रैल, 1965/19 चैत्र, 1887 (शक)

Friday, April 9, 1965/*Chaitra* 19, 1887 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

युगान्डा में चीनी के कारखाने

+

*809. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी विशेषज्ञों के दल ने, जो जनवरी, 1965 के आरम्भ में युगान्डा **गया** था, वहां भारतीय सहयोग से स्थापित किये जाने वाले चीनी के प्रस्तावित कारखानों की **प्रायोजना** की रूप रेखा को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रायोजनाओं में कुल कितनी भारतीय पूंजी लगाई जायेगी **इन** कारखानों में कब से उत्पादन होने लगेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). युगान्डा में चीनी फारम तथा कारखाने स्थापित करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न स्थलों का सविस्तार सर्वेक्षण करने के बाद दल फरवरी, 1965 के अन्तिम सप्ताह में भारत लौट आया है । संकलित की गई समस्त सामग्री की परीक्षा तथा प्रतिवेदन तैयार करने में अब भी व्यस्त हैं । इन प्रायोजनाओं पर लगाई जाने वाली कुल पूंजी, इन की योजना तथा कार्यान्वयन आदि का ब्यौरा, दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही उपलब्ध होगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the amount of capital which the Government of India would invest in this scheme of the establishment of sugar factories in Uganda ?

Shri Manubhai Shah : We propose to invest any amount between Rs. 2 to 5 crores as equity share. The total investment amounting to Rs. 10 crores will be shared on fifty-fifty basis by both the Governments of India and Uganda.

Shri Vishwa Nath Pandey : I also want to know whether the services of the Indian technicians will also be utilised there after or during the establishment of this sugar factory, and if so, the terms and conditions thereof ?

Shri Manubhai Shah : The entire technical management machinery will be manned by India. The entire machinery which is being sent for the establishment of the sugar factory, there has been manufactured in India, and that will remain under our control for 8 to 10 years.

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में निर्मित चीनी संयंत्रों की हमारे देश में भी आवश्यकता है, क्या इन संयंत्रों के निर्यात से चीनी उद्योग को हानि नहीं पहुंचेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं, क्योंकि जैसा कि सभा को विदित है हम प्रति वर्ष 24 पूर्ण चीनी संयंत्र बना सकते हैं और नये चीनी कारखानों की स्थापना, तथा पुराने संयंत्रों के स्थान पर नये संयंत्र लगाने और आधुनिकीकरण के लिए हमें 10-12 से अधिक संयंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे पास अतिरिक्त क्षमता है । वस्यतुत: इसका उद्देश्य निर्यात में अधिक वृद्धि करना है ।

Shri Achal Singh : How many million tonnes of sugar will be produced by this factory ?

Shri Manubhai Shah : One lakh tones of sugar will be produced.

Shri Sarjoo Pandey : May I know the number of Members of the Indian team of sugar experts who visited Uganda; and the name of the Country which met the expenses incurred on them ?

Shri Manubhai Shah : They were 11 technical hands and small amount was spent on them because, when an amount of Rs. 14 crores is being invested, it is necessary to spend a few thousand rupees on preliminary work.

श्री काशीनाथ पांडे : वहां जिन तकनीकी कर्मचारियों को भेजा जायेगा उनकी भर्ती की शर्तें क्या हैं ? क्या सरकार उन्हें सीधा बाहर से भर्ती करेगी अथवा विभिन्न कारखानों के कर्मचारियों की सेवाओं का अस्थायी रूप से उपयोग करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : हम एक संयुक्त प्रबन्ध बोर्ड की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं जिसमें एक ओर भारत में स्थित 4 या 5 प्रमुख चीनी कारखानों के मालिक तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे और दूसरी ओर युगान्डा के व्यापारी तथा युगान्डा सरकार के प्रतिनिधि होंगे । भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी और वे औद्योगिकीविज्ञों (टेक्नोलॉजिस्ट्स) में से लिये जायेंगे ।

डा० रानेन सेन: माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमारी चीनी संयंत्रों का उत्पादन करने की क्षमता अधिक है । युगान्डा के अतिरिक्त, क्या किसी अन्य अफ्रीकी देशों को भी मशीनरी भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । हम सीयरे लिओन में भी एक चीनी कारखाना स्थापित कर रहे हैं । ऐसे पांच प्रस्ताव हमारे विचाराधीन हैं ।

श्री बासप्पा : यदि इस परियोजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हो जाय, तो क्या कोई ऐसी आशंका है कि कोई अन्य देश वहां चीनी कारखाना स्थापित करके हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे और उसकी स्थिति वहां हमसे ज्यादा अच्छी बन जाय ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि युगान्डा की सरकार गत दो वर्षों से इस परियोजना के बारे में पश्चिमी यूरोप के छः देशों के साथ बातचीत कर रही थी । हम ने भी उनके साथ बातचीत की और दो महीने के भीतर प्रत्येक बात पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया । हम इसे निर्धारित समय के अन्दर पूरा कर रहे हैं ।

Shri K.N. Tiwary : As the Hon. Minister has stated that we would be leaving that Country after ten years; does it mean that India will have no interest in that factory thereafter ?

Shri Manubhai Shah : The factory will continue to function and we will also be there but after the expiry of that term the management under us might be taken over by them; if they so desired.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सहायता युगान्डा को मित्रता की भावना से दी जा रही है या भारत सरकार को इससे दीर्घकालीन लाभ होगा ?

श्री मनुभाई शाह : हम सभी समझौते और करार पारस्परिक लाभ के लिए करते हैं । हम न तो किसी पर ऐहसान करना चाहते हैं और न ही किसी का एहसान लेना चाहते हैं ।

Kandla Port

+

*810. **Shri M.L. Dwivedi**:
Shri S.C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:
Shri R.S. Tiwary:
Shri M. Rampure:
Shri P.C. Barooah:
Shri M.P. Swamy:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the development of the Kandla Free Trade Zone and when it will become fully developed as a custom free port ; and

(b) the basic criteria which are taken into consideration while issuing a licence for setting up an industry in that area ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4169/65]

Shri M.L. Dwivedi : May I know the time by which the Kandla Free Trade Zone will be set-up and the nature of facilities to b e provided to foreign and indigenous industrialists or traders ?

Shri Manubhai Shah : We expect that 15—20 factories out of these industrial units will be set-up by January 1966 and we also expect that more than 100 factories will be established there during the year, 1966. This will facilitate us to manufacture those articles which we are import from abroad and it will further enable us to export the manufactured goods.

Shri M.L. Dwivedi : There are also Free Trade Zone ports like Singapur Hongkong etc. in the world. May I know whether there will be any difference between these ports and the Kandla Port ; and if so, whether the difference, if any, is likely to cause any harm to the Kandla Port ?

Shri Manubhai Shah : There is no such port which is entirely a Free Trade Zone in any country. The Hon. Member has referred to Singapur and Hongkong ports. They are Free ports; but we will declare only a limited area of about 1 sq. mile as free trade zone because we cannot take the risk of declaring the whole port as Free Trade Port.

Shri Yashpal Singh : One item in the statement laid on the table of the House by the Hon. Minister reads thus :

"the experience of the applicants in the line of manufacture and export and Viability of the units;"

Will the Minister be pleased to make this basic criteria more clear ?

Shri Manubhai Shah : It is for the Government to sanction application of the applicants and it is for the applicants to set up industries in that region.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सीमा शुल्क मुक्त क्षेत्र में आयात तथा निर्यात से होने वाला लाभ केवल उस क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को ही पहुंचेगा अथवा यह सुविधा हांगकांग बन्दरगाह की भांति जिसका कि मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, सभी आयात तथा निर्यात कर्ताओं को दी जायेगी जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सस्ती विदेशी उपभोक्ता वस्तुएं बिकने लगेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें किसी प्रकार की व्यापार की अनुमति नहीं दी जायेगी यह केवल एक उत्पादन अथवा परिष्करण क्षेत्र है और इस से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा निजी व्यापारियों अथवा उत्पादकों को न जा कर सरकारी कोष में जायेगी । उन्हें केवल यह सुविधा दी जायेगी कि उन्हें सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा अन्य विनियमों की जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जायेगी ।

Shri Vishram Prasad : It has been mentioned in the statement that "an area of 320 acres has been acquired and segregated at a distance of 9·6 kilometers from the Kandla Port." May I know whether any portion of this area of 320 acre of land has been acquired from the farmers; and if so.....

Shri Manubhai Shah : It was a forest. No farmer lived there.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में चौथी योजना के दौरान और अधिक अबाध-व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : इस जोन में हमें सफलता मिलने पर हमारा विचार, महाराष्ट्र में शिवनुवा, हल्दिया, मंगलौर, कोचीन, मद्रास' विशाखापटनम्, गोवा तथा अन्य कई स्थानों में जहां कि सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध हो सकें, इस प्रकार के अबाध व्यापार-क्षेत्र स्थापित करने का है । मुख्य बात यह है कि सुविधाओं का दुरुपयोग न हो । अतः भारत के किसी भी समुद्र तटीय भाग में जहां भी हमें सुरक्षित अथवा एकांत क्षेत्र दिखाई देगा, हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम वहां ऐसा क्षेत्र स्थापित करने में सफल हो सकते हैं अथवा नहीं । मैं सभा को यह बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । वहां पर निर्यात के लिए केवल बुनियादी प्रकार का उत्पादन, निर्माण तथा परिष्करण किया जायेगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय: कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र का, जिसका विकास हो गया है, उल्लेख करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या इससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और सरकार को विदेशी पूंजी प्राप्त होगी ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा अनुमान है कि इस क्षेत्र में कार्य आरम्भ होने के तीन वर्ष पश्चात् इससे हमें नकद 5 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : कुछ समय पूर्व यह घोषणा की गई थी कि उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि वहां पर किन-किन उद्योगों की स्थापना हुई है और इस पत्तन से निर्मित वस्तुओं का निर्यात कब से होने लगेगा ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने निर्यात कर सकने वाले सभी उद्योगों की पूरी सूची सभा के समक्ष रखी है ।

Shri Sheo Narain : May I know whether any Co-operative industry is also being set up there ?

Shri Manubhai Shah : We have not yet received any application in respect of Cooperative industry. We will certainly welcome it if we receive any.

श्री वारियर : क्या कांडला पत्तन को स्वतंत्र पत्तन बनाने पर पश्चिम समुद्र तट पर स्थित अन्य पत्तनों पर होने वाले व्यापार के रुख में परिवर्तन हो जायेगा; और यदि हां, तो क्या सरकार उन पत्तनों के हितों की भी रक्षा करने के लिए कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर कोई व्यापार नहीं होगा । वहां केवल उन वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन किया जायेगा जिनका निर्माण अथवा उत्पादन अभी तक नहीं हुआ है । छोटे व्यापार का उद्देश्य भी केवल विदेशी पूंजी अर्जित करना होता है । यह कोई व्यापारिक पत्तन नहीं है जहां पर कि अधिक मात्रा में वस्तुओं का व्यापार हो ।

Shri Raghunath Singh : The Hon. Minister has stated that 74 applications have been received. Acute shortage of water is the main problem at Kandla. May I know whether arrangements are being made to provide the supply of water and electricity at cheap rates ?

Shri Manubhai Shah : The difficulty referred to by the Hon. Member is still there that is why the project has been under examination for the last 12 or 13 years. Keeping in view the arrangements now made there we think that all the facilities will continue to be available there.

गोवा में लौह अयस्क अवकरण संयंत्र

\+

*811. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 11 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस्सो लिमिटेड के गोआ में लौह अयस्क अवकरण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री धुलेश्वर मीना : सरकार इस परियोजना पर विचार करने के लिए कितना और अधिक समय लेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है और हमने पार्टी को सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है । ऐसी आशा है कि वे इस सम्बन्ध में अपने विचार सरकार के सामने रखेंगे

श्री धुलेश्वर मीना : क्या सरकार को किसी अन्य फर्मों से गोवा में लौह अयस्क अवकरण संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस विशेष परिष्करण सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है।

हिन्दी-विरोधी प्रदर्शन में रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि

+

*813. **श्री वारियर** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री समनानी :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री जसवन्त मेहता :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1965 में हिन्दी विरोधी प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण रेलवे पर कुछ स्टेशनों पर आक्रमण किया तथा हिन्दी शब्दों को बिगाड़ा था और दीवारों पर नारे लिख दिये थे ;

(ख) क्या रेलवे सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची है ; और

(ग) यदि हां, तो मरम्मत तथा बदलने पर कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग 57 लाख रुपये।

श्री वारियर : किन किन स्टेशनों को सब से अधिक हानि पहुंचाई गई तथा उस हानि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस हिन्दी विरोधी आन्दोलन से सबसे अधिक हानि मद्रास, तिरुचेरापल्ली, ओलावकोट तथा कुछ अन्य डिवीजनों को पहुंची है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार आन्दोलनकारियों द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां । सरकार ऐसे उपायों पर बराबर विचार करती रहती है और ऐसी घटनाओं को दोबारा न होने देने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री विश्वनाथ राय : कैसे ?

डा० राम सुभग सिंह : सशस्त्र कर्मचारियों को तैनात करके ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रभावित क्षेत्र में जान व माल को हुई हानि का प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया गया है ताकि लोगों को पता लग जाये कि ऐसा हिंसात्मक कार्य बेकार ही नहीं है अपितु उस क्षेत्र की प्रगति में भी बाधक है ।

डा० राम सुभग सिंह : रेल सम्पत्ति को हुई हानि का प्रचार किया गया है और मैंने इस सभा तथा राज्य सभा को भी यह जानकारी दी थी परन्तु जहां तक जन हानि का सम्बन्ध है यह राज्य सभा का काम है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Is Government contemplating to recover the damages caused to railway property in a particular area by this agitation from that very area to stop the repetition of such incidents ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is the combined responsibility of the concerned State Government and the Central Government.

Shri A. P. Sharma : Is it a fact that the anti-Hindi demonstrators mostly damaged Government property ? How many persons have been arrested in this connection and what action is being taken against them and how these damages will be recovered ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have already stated that the Government of India and the State Government would consider the matter jointly. It is correct that the agitators damaged railway property deliberately and without any justification, because the railways had not done any such thing to warrant these acts of violence. So far as arrests are concerned, it is the concern of the State Government.

Shri A. P. Sharma : I asked a pointed question that the agitators damaged Government property and not private one.

Dr. Ram Subhag Singh : It is correct that only railway property was damaged.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that damage to railway property was caused mostly by railway employees themselves ? Have Government received any complaints in this connection ?

Dr. Ram Subhag Singh : Complaints in regard to some employees have been received and are being enquired into.

Shri Gulshan : How many anti-Hindi agitators have been arrested, how many are still in jail and how many of them are being prosecuted ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is the concern of the State Government and if the Hon. Member insists, we will call for this information from them.

Shri Yudhvir Singh : Which of the railway poperty suffered more damage at the hands of these agitators ?

Dr. Ram Subhag Singh : Engines and bogies were also burnt as well as railway buildings were also set on fire. The intensely affected divisions are Madras, Tiruchirapalli and Olavakot. Damage to railway property was also caused at Vijayawada, Guntakul, Hubli, Bangalore and Madurai.

Shri Sidheshwar Prasad : In the other House, an attempt was made to create misunderstanding by demonstrating that the railway ticket is being issued in Hindi alone whereas that ticket contained English along in Hindi. May I know whether misunderstanding was spread among the people of the South also by creating apathy for Hindi which resulted in anti-Hindi demonstrations and widespread damage to railway property ? Have Government investigated the whole affair ?

Dr. Ram Subhag Singh : Misunderstanding was sought to be created in the other House by stating facts in a wrong way. The ticket had English as well as Hindi words. The fare amount was written in Engllish and "Secunderabad to New Dehi" was also printed in English. Such kind of wrong representation was wholly unwarranted especially from the Congress Members.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कुछ समाचारपत्रों में छपा यह समाचार सत्य है कि इस आन्दोलन द्वारा दक्षिण भारत में रेलवे सम्पत्ति तथा विशेषकर रेलवे स्टेशनों को जितनी हानि पहुंचाई ग है उतनी अधिक हानि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय भी नहीं पहुंचाई गई थी ?

डा० राम सुभग सिंह : 1942 के आन्दोलन में देश के उस भाग में रेलवे सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई थी और उन नेताओं का सरताज जिन्होंने लोगों को रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के लिये भड़काया था उस समय जब आजादी खतरे में थी ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श कर रहा था। उस समय वह नेता चर्चिल का समर्थन कर रहा था और आज वह राष्ट्रीय सम्पत्ति को जला रहा है।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र किसी दूसरे पर लांछन लगाने वाली ऐसी शर्मनाक बातें नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या राज्य सभा की माननीय सदस्या द्वारा प्रस्तुत किया गया टिकट केवल हिन्दी में ही छपा हुआ था ?

डा० राम सुभग सिंह : मिस मेरी नायडू द्वारा राज्य सभा में पेश किया गया टिकट अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में छपा हुआ था ।

अमृतसर इंजन कर्मशाला

\+
*814. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यु० द० सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में उत्तर रेलवे की इंजन कर्मशाला से चुराया गया लगभग एक लाख रुपये के मूल्य का सामान 27 फरवरी, 1965 को मारे गये छापे में पकड़ा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। चोरी का जो माल पकड़ा गया है उसका मूल्य 60,000 रुपये से कुछ अधिक आंका गया है।

(ख) तीन रेल कर्मचारी और एक बाहरी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़े गये थे। इन लोगों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 458, 380 और 411 के अन्तर्गत अमृतसर के सिविल लाइन्स थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। इन चार व्यक्तियों में से एक के विरुद्ध एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसके पास बिना लाइसेंस का एक रिवाल्वर था। तीनों रेल कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the nature of material tha was stolen ?

Dr. Ram Subhag Singh : People want to run away with copper and other metals used in the workshops.

Shri Vishwa Nath Pandey : Is it a fact that this theft was committed with the collusion of workshop employees and Railway Protected staff, if so, the action Government propose to take in this connection ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is a fact that the three persons who have been suspended were railway servants. They were trying to commit theft and had entered the workshop at midnight. It is abundantly clear that they entered the workshop with the collusion of the watchman or the R. P. F. Therefore, it is proposed to take action against those persons and they have been removed from there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it not a fact that these persons had been committing thefts for the last three or four years and the high officials there had a hand in that. Has some such thing come to their notice or Government have tried to ascertain the facts in this connection ?

Dr. Ram Subhag Singh : Only on getting some clue this trap was laid by the vigilance staff.

Shri Yudhvir Singh : Thefts in railway workshops have become a daily feature. Do Government propose to take any additional steps to check the recurrence of such thefts or are they in a position to state the additional arrangements likely to be made to check them ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir ; the watch would be intensified and more and more vigilance will be exercised by the vigilance staff in the case of such workshops to stop recurrence of thefts.

Shri Sarjoo Pandey : To whch category the three employees who have been arrested belong ? Are they low paid employees or big officers ?

Dr. Ram Subhag Singh : One is store issuer and the other two are Khallasis. Some persons are still at large and it is difficult to give any information about them.

Shri K. N. Tiwary : May I know why the persons involved in this theft have not been suspended and why any action has not been taken against them ? Why have they only been transferred ?

Dr. Ram Subhag Singh : The persons caught red-handed have been suspended. Necessary action is being taken to ascertain the involvement of persons who have not yet been arrested. As it is a police case, therefore I...

Shri Surya Prasad : Was this theft detected on the basis of Government's enquiry or on any individual's information ?

Dr. Ram Subhag Singh : On the basis of enquiry, the trap was laid by the vigilance staff.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that some local businessman used to buy the stolen material and he also had a hand in that ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is possible. We would have full information when we get the police report.

Shri Gulshan : Is it not a fact that these low-paid employees serve only as intenediaries but the brains behind these thefts are big railway officials ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is possible. But facts will only be known after the enquiry.

Shri A. P. Sharma : By what time this enquiry report is expected to be in the hands of Government and what action will be taken on that ?

Dr. Ram Subhag Singh : In fact the enquiry is being conducted by the police. The case has been registered under section 4.

श्री विश्वनाथ राय : क्या जांच के दौरान अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य प्रकार की चोरियां के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : हमें पुलिस की रिपोर्ट तथा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

अमरीकी विनियोजन दल की नई दिल्ली की यात्रा

+

*815. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी ।

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 4 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में 1965–66 का आय-व्ययक पेश किये जाने के अवसर पर दूसरा अमरीकी विनियोजन और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप अमरीकी विनियोजन की किन संभावनाओं का पता लगा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां। अमरीका के वाणिज्य विभाग द्वारा भेजे गये एक अमरीकी विनियोजन और औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने 28 फरवरी, 1965 से 27 मार्च, 1965 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल ने संघ सरकार के प्रतिनिधियों से विदेशियों द्वारा निजी रूप से पूंजी लगाने के बारे में सामान्य रुचि से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत की थी। उन्होंने निजी अमरीकी विनियोजकों के सहयोग से उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से निजी भारतीय उद्यमियों से बातचीत की थी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अमरीकी वाणिज्य प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में अमरीकी पूंजी लगाने के लिए सरकार से कोई आश्वासन मांगा था और यदि हां, तो उसने कितना लाभ सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा था और यह लाभ औसत उद्योग द्वारा कमाये जाने वाले लाभ की तुलना में कितना है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उन्होंने उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री से भारतीय कर नीति तथा औद्योगिक नीति के बारे में सामान्य बातचीत की थी। किसी विशेष उद्योग के बारे में बात चीत नहीं हुई।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि यद्यपि अमरीकी दल भारत में पूंजी लगाने के लिए वातावरण तथा संभावनाओं के बारे में संतुष्ट है, किन्तु लाल फीता शाही, विलम्ब तथा नियंत्रण के बारे में सन्देह है और यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उन्हें किसी विषय में सन्देह नहीं है। वास्तव में वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत की कर व्यवस्था तथा औद्योगिक नीति पूंजी लगाने के लिए अनुकूल है।

Shri Bibhuti Mishra : The statement reads thus :—

> "The Mission discussed with Union Government representatives matters of general interest relating to foreign private investment. They held discussions with private Indian entrepreneurs to explore the possibilities of development of industries in collaboration with private American investors."

May I know whether Government or the representatives of private sector held discussions with them about the industries in which they want to invest their capital ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : We placed before them the outlines of our industrial plans, whenever we met. So far as the private sector is concerned Government representatives were not present but they took our opinion about the industries in which they want to invest. These matters were discussed.

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : May I know whether the American Mission came here on their own accord or whether any encouragement was given to them by the Government of India ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वह अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा भेजा गया था ।

Shri R. S. Pandey : May I know the amount of foreign exchange involved in the implementation of the proposals accepted during the discussions, if they are given effect during the fourth Five year Plan ?

अध्यक्ष महोदय : यह सैद्धान्तिक बात है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि अमरीकी प्रतिनिधि मंडल बातचीत के दौरान भारत सरकार पर, भारत में पूंजी लगाने के लिए अपने अनुकूल शर्तें मनवाने के लिए, दबाव डालता रहा और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, नहीं ।

Shri Ram Harkh Yadav : May I know the nature of industries which were discussed with the American Industrial Mission ?

श्री विभधेन्द्र मिश्र: बातचीत में अनेक प्रकार के उद्योगों के बारे में विचार किया गया । उन्होंने 200 विशिष्ट प्रस्ताव रखे जिनके बारे में भारतीय व्यापारियों के साथ बात चीत हुई । भारतीय व्यापारियों द्वारा रखे गये 500 प्रस्ताव वे अपने साथ ले गये हैं जिनका वे अमरीका में अध्ययन करेंगे ।

श्री जो० ना० हजारिका : क्या अमरीकी प्रतिनिधिमंडल सरकारी क्षेत्र में भी सहयोग देने को तैयार है ?

श्री विभधेन्द्र मिश्र : उसका भारत आने का मुख्य अभिप्राय गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों से बातचीत करके इस बात का पता लगाना था कि भारत में किस प्रकार के सहयोग की संभावना है । उसने तीन-चार राज्य सरकारों से बातचीत भी की थी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या अमरीकी दल ने भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि उनके द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर 14 प्रतिशत लाभ मिलना चाहिये और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उनकी मेरे साथ बातचीत हुई थी किन्तु दल ने लाभ के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या अमरीकी प्रतिनिधि मंडल की, परियोजनाओं के बारे में, निजी व्यापारियों अथवा राज्य सरकारों के साथ हुई किसी बातचीत में भारत सरकार ने अधिक भागीदारी के आधार पर साम्य पूंजी लगाने की संभावना स्वीकार की थी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वह कुछ प्रस्ताव अपने साथ ले गये हैं जिनपर अमरीका में विचार किया जायेगा । सरकार ने इस प्रकार की संभावना के बारे में कोई स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री प्रभात कार : क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में तथा अमरीका द्वारा पूंजी लगाने की संभावनाओं के बारे में योजना आयोग से बातचीत की थी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। हो सकता है कि बातचीत हुई हो।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या अमरीकी प्रतिनिधि मंडल अपने आप भारत आया था अथवा मंत्रालय के निमंत्रण पर ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। उसे अमरीकी सरकार ने भेजा था।

Shri Daljit Singh : May I know the number of applications received in connection with the setting up of industries with American collaboration and the number of applications which are still pending ?

Shri T. N. Singh : This is a very wide question and for that I require notice.

Shri Sarjoo Pandey : It appears that the American experts who visited India held disscussion with private Indian entrepreneurs in connection with the industries. May I know whether Government have considered this aspect that these individual contacts with the Americans might not lead to political pressure ?

Shri T. N. Singh : These proposals are for callaboration in connection with industries. It is a matter of general routine. Therfore there is no question tion of any political pressure. I can assure the House that this will not lead to such pressure.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार ने उन सहयोग समझोतों के बारे में अनुमान लगाया है जो काफी समय से चल रहे हैं। जिससे इस बात का पता लग सके कि हम अधिक अच्छी शर्तों पर समाजिक प्रगति पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के विदेशी सहयोग प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं अथवा नहीं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम समय समय पर सहयोग समझौतों का पुनर्विलोकन करते रहते हैं और मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि राष्ट्र के हित को प्रथम स्थान दिया जायेगा।

पूर्वी अफ्रीका को कागज़ तथा कागज़ उत्पाद प्रतिनिधिमण्डल

\+

*818. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कनकसवै :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज़ तथा कागज़ उत्पादन प्रतिनिधिमंडल ने, जो हाल में पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान गया था, सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) भारतीय कागज और कागज उत्पादकों के बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी और फरवरी 1965 में जिन कुछ अफ्रीकी और पश्चिम एशियायी देशों तथा पश्चिमी पाकिस्तान का दौरा किया था, उनके विषय में अपना प्रतिवेदन अभी हाल ही में रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन परिषद को दे दिया है ।

(ख) और (ग) बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों की जानकारी के लिये अपने निष्कर्ष दे दिय हैं। रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात सम्बर्द्धन परिषद प्रतिवेदन की जांच कर लेने के पश्चात् जो विशिष्ट सुझाव देगी, सरकार उन पर यथोचित विचार करेगी ।

Shri Raghunath Singh : May I know the main features of the report to which Government should pay attention ?

Shri Manubhai Shah : It has been stated in the report that it is wrong to say that Indian goods cannot capture market in foreign countries. There are several markets in Africa where Indian goods have very good standing. They found that Indian goods is liked very much by three or four countries and they want to purchase Indian paper as far as possible.

They have also observed that Indian goods cannot reach there before four or five months as the shipping service between India and Africa is not satisfactory. They have included all their observations in the report submitted to the Government.

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has just stated that Indian paper can capture a very good market in Africa. But there is a shortage of paper in India and the security paper is not manufcutred in India at all. May I know how the Government will meet the demand of the country if they start export of paper ?

Shri Manubhai Shah : We will never be able to export paper if we start export of paper only after meeting the demand of the countries because consumption will increase along with the production. Thus we can never solve our economic problem. We will export only a part of the increased production of paper. Therefore I will request the hon. Member to change his point of view about it.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस दल ने भारत में बड़ी मात्रा में हाथ से बनाये जाने वाले कागज़ के निर्यात की सम्भावना का पता लगाया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं । वे लोग हाथ से बना कागज नहीं खरीदते हैं । हम इस सम्भावना का पता पृथक् रूप से लगा रहे हैं । हम हाथ से बनेकागज का निर्यात अमरीका को करते हैं । किन्तु प्रश्न एक समान किस्म का कागज तैयार करने तथा नियमित रूप से भेजने का है । इस सम्बन्ध में स्वयं खादी आयोग प्रयत्न कर रहा है ।

Shri R. S. Pandey : The hon. Minister has said that the team, which visited African counties, has stated in their report that Indian paper is becoming popular there. May I know whether Government propose to manufacture better quality of paper, like other countries with a view to increase its export ?

Shri Manubhai Shah : I do not agree with this view that the paper manufactured in India is of inferior quality. Secondlry, we export tissue paper which is considered one of the best quality paper and we export that quality worth rupees one and a half crores manufactured by one mill alone. India also manufacture the white printing paper of very high quality. The quality of only newsprint manufactured in India, to some exetent, is inferior. We are considering to manufacture Art paper, Glazed paper, Printing paper and graph paper with a view to export them. We have only one difficulty that our prices are to some extent higher.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This paper has not so far gone in blackmarket. Do you believe that it will not be sold in blackmarket if it is exported ?

Shri Manubhai Shah : The hon. member always thinks in that term.

डा० रानेन सेन : हमें कल ही बताया गया था कि हम विदेशों से केवल अखबारी कागज का ही नहीं अपितु अन्य किस्म के कागज का भी आयात करते हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है । सरकार द्वारा देश के अन्दर यह अर्थ व्यवस्था कैसे तैयार की गई है कि एक ओर तो हम कागज का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर देश में बने कागज का निर्यात करने की बात कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कागज की अनेक किस्में हैं । जिनमें से कुछ किस्में हम अपनी आवश्यकता से अधिक बना कर निर्यात करते हैं तथा कुछ किस्में, जिनकी हमें बहुत कम आवश्यकता रहती है और जिनका बनाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, हम विदेशों से मंगाते हैं ।

Shri Ram Harkh Yadav. May I know whether the delegation has also recommended that we should import newsprint from Pakistan in exchange of writing and printing paper on barter deal basis as there is a shortage of Printing and writing paper in Pakistan whereas in newsprint Pakistan is surplus if so, the action being taken by the Government in this regard ?

Shri Manubhai Shah : It is, no doubt, a fact that Pakistan has shortage of white printing paper where as it is surplus in the matter of newsprint. But we need not enter into a barter deal. We have already entered into an agreement with Pakistan in respect of newsprint on rupee payment basis. We can import more newsprint in exchange of export of more paper to Pakistan.

Heavy Engineering Corporatin, Ranchi

***820 Shri Sidheswar Prasad :** Will the **Minister of Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 189 on the 26th February, 1965 and state the action taken in the matter as a result of the investigations made so far regarding the fire that broke out in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi on the 24th December, 1964 ?

उद्योग तथा संभरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : आवश्यक जांच-पड़ताल अभी चल रही है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Fire broke out in Heavy Engineering Corporation, Ranchi on five occasions, so may I know why Government is delaying proper action to protect it from fire ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : All possible steps are being taken. Last time I had stated in the House that there was some mischief or sabotage and it is being investigated. It is proceeding expeditiously. But the time has not come so as to give complete details in this behalf.

Shri Sidheshwar Prasad : When disturbances took place last time at Ranchi and Rourkela, it was stated in the House that disturbances in all the basic factories were planned in a peculiar manner. In view of this position what steps have been taken by Government for making proper arrangement in respect of all other factories ?

Shri T. N. Singh : As regards the arrangements made, I had informed the house last time that security force and fire-fightig equipment has been intensified and other necessary measures were taken by the Administration.

Shri Sidheshwar Prasad : Then how is it that fire broke out on five occasions ?

Shri Raghunath Singh : Is it a fact that there has been an increase in these fire incidents since these disturbances took place?

Shri T. N. Singh : It is difficult to say if it has any special connection with the disturbances. But it is regrettable that some miscreants have ereated such incidents there. Our arrangements are much better than before and it is evident from the fact that in case of later incidents the fire was controlled in two, ten or twenty minutes.

श्री रंगा : विहित हित वाले व्यक्तियों द्वारा की गई इन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह ठीक नहीं समझा कि इन कम्पनियों से सम्बन्धित मजदूरों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की एक बठक बुलाई जाये ताकि किसी प्रकार का एक समझौता हो अथवा व्यवहार संहिता तैयार की जाये जिससे एसी सम्भावनाय समाप्त हो जाय ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने आरम्भ में कहा था कि तोड़फोड़ का सन्देह है। इसका कारण मजदूरों तथा प्रबन्धकों के तनातनी के सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री रंगा : आप यह कसे कह सकते हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है जिसमें अनेक लोगों का सम्बन्ध है। यह एक नाजुक मामला है सो इस अवस्था में उनका नाम नहीं बताया जा सकता। इसलिये मेरा इस सभा से निवदन है कि व कुछ समय तक धैर्य रख।

Textile Machinery from U.K.

+

*821. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Onkar Lal Berwa:

*Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether the textile machinery worth Rs. 10 crores for which an indent was placed with U. K. has reached India ; and

(*b*) if so, the criteria on which it pas been allotted or is proposed to be allotted to various textile mills in the country ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) आयात के लिये जिन मशीनों का संविदा किया गया है वे आनी आरम्भ हो गयी हैं।

(ख) प्लेट्स पैकेज डील के अन्तर्गत आयात हो रही मशीनों के आवंटन में निर्यात अभिमुख वस्त्र मिलों और असहकारी सूती कताई मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Shri Vishva Nath Pandey : May I know the number of millowners who have applied to the Government for this imported textile machinery and the action taken thereon by the Government?

श्री सें० वें० रामस्वामी : श्रीमान्, 20 मिलों में से 5 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, एक पश्चिमी बंगाल द्वारा चलाई जा रही है तथा अन्य 14 सहकारी क्षेत्र में हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : There are other countries also world where textile machinery of good quality is available and the production is also high there. Therefore, may I know why the Government have placed an indent for this type of machinery with Britain only and not with other countries ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : निस्सन्देह, अन्य देश भी इसका निर्माण कर रहे हैं, उदाहरण के लिये स्विटज़रलण्ड तथा जापान। लेकिन प्लेट्स पैकेज डील के अन्तर्गत यह लम्बी अवधि के आधार पर खरीदी जाती हैं और अदायगी 144 महीनों में की जाती है जिसके लिये राज्य व्यापार निगम एक प्रोनोट देता है। शर्तें हमारे बहुत अनुकूल हैं और यही कारण है कि हमने यह करार किया।

डा० रानेन सेन : क्या हमारी सरकार ने ब्रिटेन की फर्म के साथ करार करने से पहले पूर्वी यूरोप के देशों से पता लगाया था कि यदि वे रुपये में भुगतान के आधार पर हमें ये मशीनें दे सकेंगे ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने ब्रिटेन की मशीनें इसलिये मंगाई क्योंकि ये संसार की सर्वोत्तम मशीनों में से हैं। दूसरे, शर्तें हमारे अनुकूल थीं।

श्री रंगा : क्या मैं यह समझूं कि ये जो 14 सहकारी कताई मिलें आरम्भ की जायेंगी, उनका अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड तथा बुन कर सहकारी समितियों द्वारा उनका प्रायोजन किया जा रहा है। बातचीत तथा भुगतान के बारे में उनकी सहायता करने के अतिरिक्त भारत सरकार का विचार उनको क्या और सहायता देने का है ? क्या अदायगी से पहले उत्पादन आरम्भ होने तक कोई कालान्तर होगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सभा को मालूम है कि सम्बन्धित राज्य सरकार इन सहकारी कताई मिलों का प्रायोजन कर रही हैं। वे मिलों की गारण्टी देती हैं तथा अदायगी का ध्यान रखती हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जबकि हमारे देश में कपड़ा बनाने की विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण हो रहा है, तो क्या हम यह समझें कि हम विदेशों से वे मशीन मंगा रहे हैं जो यहां नहीं बन रही हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : साधारणतया, ऐसी मशीनों को छोड़ कर जिनके आन्तरिक उत्पादन में कमी है, हम देश में बनने वाली मशीनों का आयात नहीं करते। हम 27 रिंग फ्रेमों तथा 109 कार्डिंग इंजनों का आयात कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन मशीनों का आयात हमारी विद्यमान कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये किया जा रहा है अथवा नई मिलें स्थापित करने के लिये ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : ये नई मिलें हैं और उनमें नवीनतम मशीनें होंगी ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है जिसके अन्तर्गत ये नई मिलें स्थापित की जा रही हैं ? यदि हां तो वह नीति क्या है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी: जैसा मैंने पहले कहा हमारी नीति अपना निर्यात बनाने की है । यह हमारा मुख्य उद्देश्य है जिसके लिये हम निर्यात-अभिमुख उद्योगों में नवीनतम मशीनें लगा रहे हैं । हमने लगभग 76 लाख का ठेका किया है । हमने यह देखा कि गैर-सरकारी उद्योगपति इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे थे । इसलिये हमने सोचा कि दूसरी अच्छी बात यह होगी कि हम ये मशीनें सहकारी कताई मिलों को दे दें ।

Shri Vishram Prasad : May I know the number of cotton mills proposed for Eastern U. P. by Patel Commission and whether one or two mills will be started there also with this imported machinery?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : Two co-operatives have been planned for U.P. also and as soon as their work is completed, machinery will be supplied to them as well.

मैसूर में इस्पात कारखाना

*822. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य में इस्पात कारखाना खोलने के लिए तैयार न होने की हालत में मैसूर सरकार स्वयं अपना इस्पात कारखाना खोलने का विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस सम्बन्ध में प्रैस में छपी कुछ रिपोर्टों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है परन्तु इस बारे में मैसूर सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की नीति इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : नहीं, श्रीमान् । इसके लिये बहुत-सी विदेशी मुद्रा चाहिए । फिर राज्यों के लिये इस प्रकार का काम हाथ में लेना बहुत कठिन होगा । मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य स्वयं एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का साहस करेगा ।

श्री बासप्पा : चूंकि एक विश्वेश्वरय्या के योग्य नेतृत्व में मैसूर भद्रावती में एक इस्पात कारखाना आरम्भ करने में अग्रणी रहा है व उसे तकनीकी जानकारी प्राप्त है तथा एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये हॉस्पेट क्षेत्र में लोहे के अच्छे भण्डार हैं, यदि केन्द्रीय सरकार वहां सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित नहीं कर रही है तो क्या वे कम से कम आवश्यक विदेशी सहयोग प्राप्त करने में मैसूर सरकार की सहायता करेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : विद्यमान इस्पात कारखाने के प्रसार के लिये भी भारत सरकार ने बहुत सी सहायता दी थी, और इसको एक विशष मिश्रधातु कारखाना बनाने के लिये भी करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है। इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में मैसूर सरकार ने कोई विशेषाधिकार नहीं मांगा है। यदि वे ऐसी मांग करें तो मैं उसे मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। यह बहुत बड़ा निर्णय है जो मैं स्वयं नहीं कर सकता।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मिश्रधातु कारखाने के लिये मैसूर एक आदर्श स्थान है, इस्पात मन्त्रालय ने अनुज्ञा-पत्र देने में वर्षों का विलम्ब किया और मैसूर सरकार के मार्ग में बाधायें डालीं तथा यही कारण है कि मैसूर अपना एक इस्पात कारखाना बनाने की दिशा में सोचने को बाध्य हो गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : माननीय सदस्य मैसूर से चुने गये हैं इसलिये यह स्वाभाविक है कि वे मैसूर की वकालत करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने यह एक अनुदारतापूर्ण टिप्पणी की है। हमने मैसूर के लिये अच्छे से अच्छा किया है और वहां कारखाना बन रहा है। मुझे हाल ही में वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

छोटे पैमाने पर जूते बनाने वाले

*823. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा आगरा के छोटे पैमाने पर जूते बनाने वालों ने उन बिचौलियों द्वारा शोषण किये जाने के विरुद्ध हड़ताल करने की धमकी दी है जो जूतों के निर्यात व्यापार पर एकाधिपत्य जमा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हड़ताल न होने देने तथा उनकी मांगें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). छोटे पैमाने पर जूते बनाने वाले, राज्य व्यापार निगम और निजी फर्मों दोनों को ही निर्यात के लिये जूतों का सम्भरण करते हैं। छोटे पैमाने पर जूते बनाने वाले, राज्य व्यापार निगम की व्यवस्था से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। छोटे कारखाने वालोंसे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें निजी क्षेत्र की उन फर्मों से उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो कि निर्यात के लिये जूतों के आर्डर उन्हें देती हैं। इन छोटे पैमाने पर जूते बनाने वालों के प्रतिनिधि, अभी हाल ही में मुझसे मिले थे और उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार निजी फर्मों को यह समझने के लिये कदम उठा रही है कि वे प्राथमिक उत्पादकों के साथ और अधिक अच्छा व्यवहार करें।

Shri Yashpal Singh : Why are the Government not introducing cooperatives in this industry so that their cooperation may be there?

Shri Manubhai Shah : We have advised them to do so and it is expected that thay will form their cooperative soon.

Shri Yashpal Singh : Will this cooperative be under the S. T. C. or under the State Governments ?

Shri Manubhai Shah : Allthough they are under the State Government yet they deal with us and with S. T. C. direct.

Shri Kamalnayan Bajaj : May I know the price at which the shoes exported from here are supplied to the Consumers in foreign countries ?

Shri Manubhai Shah : This depends on the policy of the county concerned. We are interested only in obtaining a reasonable price.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य व्यापार निगम ने स्वयं बिचौलिये काम पर रखे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप :

(क) बिचौलिये को लाभ होता है ;

(ख) जूतों के मूल्य बढ़ते हैं ; और

(ग) जो वास्तव में उत्पादक है उसे लाभ के एक भाग से वंचित किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : यह तथ्यों के बिल्कुल विरुद्ध है । राज्य व्यापार निगम तो सीधे जूता उत्पादकों से सम्बन्ध रखता है और जूता उत्पादक जो रूस को जूते निर्यात कर रहे हैं, स्वयं राज्य व्यापार निगम से प्रार्थना कर रहे हैं कि बिचौलियों को हटाया जावे ।

Shri Kamalnayan Bajaj : I wanted to know at what price are shoes being sold in foreign countries ?

Shri Manubhai Shah : That is none of our business to know about it.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह सच है कि टेंडर उन व्यक्तियों से भी मांगे जाते हैं जिन्हें इस कार्य का कोई अभ्यास नहीं है और रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों से लदान वापिस आ गये हैं क्योंकि वे सन्तोषजनक नहीं थे ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो चार वर्ष पहले की बात है । उसके पश्चात कोई लदान वापिस नहीं आया है ।

श्री रंगा : क्या सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि इस उद्योग में काम करने वालों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दें बजाय इसके कि लघु उद्योगपतियों के भरोसे बैठा जावे या फिर इंगलैंड की भान्ति उद्योग बोर्ड बना दें ?

श्री मनुभाई शाह : इसका संबंध केवल एक प्रतिशत जूतों के उत्पादन से है । वेतन नियुक्त करने का कार्य राज्य सरकारों का है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Which of the countries like the shoes manufactured in India ?

Shri Manubhai Shah : All like these but we get more business from Russia I want that in the next two years centres may be opened in Madras, Gujarat, Punjab, U.P. and Bengal for the manufacture of shoes.

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन मूल्यों पर समझौता हुआ था क्या उनमें पिछले एक दो वर्ष की अपेक्षा कुछ बढ़ोत्तरी हुई है ? इसकी क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : संख्या 3 लाख जोड़ों से बढ़कर 6 लाख जोड़े हो गई है और इस वर्ष यह 10 लाख जोड़े हो जावेगी । मूल्यों में भी तीन चार रुपया बढ़ गये हैं। परन्तु शिकायत यह है कि राज्य व्यापार निगम तीन चार रुपये अधिक देता है और निजी उद्योग वाले कम इसी की हम जांच कर रहे हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

मोटर गाड़ियों की कीमतें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8. **श्री जोकीम आल्वा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारों, जीपों, ट्रकों तथा दूसरी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा आवश्यक आदेशों के जारी किये जाने से पहले ही बाजार में इनकी कीमतें अनधिकृत रूप में तथा अनुपात से बहुत अधिक बढ़ा दी गई हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि ना० सिंह) : (क) और (ख) . संभवत: कीमतों में उस वृद्धि का उल्लेख किया गया है जो वित्त मंत्री द्वारा 17 फरवरी, 1965 को घोषित की गई 10 प्रतिशत विनियमनकारी सीमा शुल्क के फलस्वरूप हुई है । सरकार सामान्यत: मोटरगाड़ी निर्माताओं को कीमतों में उतनी वृद्धि करने की अनुमति देती है जो वित्त विधेयकों में विचार किये गये सीमा/उत्पादन शुल्कों के बढ़ जाने के फलस्वरूप होती है । इस प्रकार के मामलों में सामान्य अधिकार वित्त विधेयक के पुर: स्थापित किये जाने के कुछ समय बाद ही जारी किये जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यही प्रथा चली आ रही है । इस वर्ष सरकार द्वारा 17 फरवरी, 1965 को घोषित नीति के अनुसार जहां तक आयात किये गये पुर्जों आदि पर 10 प्रतिशत विनियमनकारी उत्पादन शुल्क तथा वित्त विधेयक, 1965 में विचार किये गये शुल्कों के कारण मोटरगाड़ी निर्माताओं को उनके द्वारा बनाई गई मोटरों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति देने के प्रश्न का संबंध है, इस पर अभी विचार किया जा रहा है और इस संबंध में निर्माताओं को सरकार की औपचारिक स्वीकृति अभी बताई जाने को है । यह सच है कि इस बीच कुछ मोटर गाड़ी निर्माताओं ने 10 प्रतिशत विनियमनकारी सीमा शुल्क के भार को देखते हुए अपने-अपने अनुमान के अनुसार कीमतें बढ़ा दी हैं । सरकार इसकी जांच करेगी कि इस प्रकार की वृद्धि कहां तक अधिक या अनुचित है और इस पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि मंत्रालय के अनुमति देने से भी पूर्व ही उत्पादकों ने मूल्य बढ़ा दिये, कभी तो टायरों के मूल्य बढ़ने के कारण और फिर फियट की कीमत बढ़ी बता दी? क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार लाचार है?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं ने पहले ही कहा है कि जहां तक सीमा शुल्क और दूसरे शुल्कों का सम्बन्ध है, वे तो उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना ही बढ़ा दिये। मैं इसकी जांच करवाऊंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री जोकीम आल्वा : पहले तो मोटर गाड़ी उद्योग वालों ने कार को सरकारी क्षेत्र में बनने से रोक दिया और अब जीप के बारे में मैं सरकार से चाहता हूं कि वे कड़ी निगाह रखें कि जीपों के मूल्य न बढ़ जावें?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक नियमित रूप से बात है मूल्य नहीं बढ़ने दिये जावेंगे परन्तु यदि शुल्क आदि बढ़ गये तो मुझे भी देखना होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों में देश का सामान अधिक प्रयोग होता जा रहा है और उसके साथ उसके मूल्य भी बढ़े हुए हैं और उसमें गड़बड़ भी अधिक हो रही है? इसके कारण क्या हैं और इन्हें दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : सदन को याद होगा कि मैंने ऐसे फालतू पुर्जों के मूल्यों के बारे में एक जांच का आदेश दे दिया है। क्या यह भी सच है कि देश के पुर्जे प्रयोग होने से मूल्यों में वृद्धि हुई है और इसका कारण यह दिया जा रहा है कि यहां के पुर्जों का मूल्य आयात किये पुर्जों से अधिक है। इस बारे में जांच की जा रही है।

श्री अन्सार हरवानी : फियट कार बनाने का कार्य भारत और संयुक्त अरब गणराज्य में साथ साथ आरम्भ हुआ परन्तु वहां इसके मूल्य भारत के मूल्यों से बहुत कम हैं। इसके कारण क्या हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : बहुत से कारण हैं। एक तो यह कि यहां उत्पादन खर्च अधिक है। एक सुझाव यह है कि सरकार ने जो शुल्क लगाये हैं उससे भी मूल्य बढ़े हैं। इन सब कारणों की जांच हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई वक्तव्य दूं जिससे उस जांच पर प्रभाव पड़े। इसी लिये मैं ने कहा कि बहुत से कारण हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker "Messor Shomet" Car is manufactured in Germany at a cost of Rs. 2500·00. Has any suggestion been made to this Government for manufacturing that car and what action has been taken on that. I may clarify that I am not asking about manufacture of cars for personal use but for using as taxis only.

Shri T. N. Singh : We have received a proposal about D.K.W. They have initiated talks about it through a famous manufacturer of India. I do not know whether it will cost Rs. 2500 or not as the information which I have received does not indicate that.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जस्ता पिघलाने का संयंत्र

*812. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोलैण्ड के सहयोग से देश में जस्ता पिघलाने का संयंत्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : देश में जस्ता प्रद्रावक स्थापित करने के लिये एक शक्यता प्रतिवेदन पोलिश तकनीकियों द्वारा तैयार किया गया था । प्रतिवेदन के क्षेत्र में जस्ता संकेदित की संरचना और मात्रा व्यवहार में लाए जाने वाले प्रौद्योगिक विधायन, प्लान्ट की स्थिति और परियोजना को स्थूल रूप से समयावलि सम्मिलित है । इस प्रतिवेदन का हमारे तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है और पोलिश विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने का निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा । शक्यता अध्ययन में दिये गये विशेषज्ञों के अभिस्ताव पर, आवश्यक विश्लेषणात्मक रचना के जस्ते के संकेन्द्रितों को दीर्घकालीन प्रदाय के प्रबन्ध के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

कृषि औद्योगिक संगम (कम्प्लेक्स)

*816. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में सफलतापूर्वक एक कृषि औद्योगिक संगम (कम्प्लेक्स) स्थापित किया है तथा अधिक उत्पादन करने एवं ग्रामवासियों की आय बढ़ाने में सफल हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के एटा में दुग्ध चूर्ण, घी और पनीर बनाने के लिए एक अलग कारखाना स्थापित किया है । सरकार को पता चला है कि योजना के अंग के रूप में कम्पनी का विचार उस क्षेत्र में पशु, पशुओं का चारा, उर्वरक और बीज खरीदने के लिये किसानों को ऋण सुविधाएं देने का है ।

विदेशी फर्मों में पदों पर भारतीयों की नियुक्ति

*817. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में देश में विदेशी फर्मों में उच्च पदों पर भारतीयों नियुक्ति के काम में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) सरकार के पास नवीनतम सूचना वर्ष 1963 की है। यह 21 मार्च, 1965 के समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई है। वर्ष 1964 की सूचना इकट्ठी की जा रही है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर टैक्सियां

*819. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उन्हें विदित है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को थोड़ी दूरी के लिये टैक्सियां मिलने में कठिनाई होती है यहां तक कि टैक्सियां मिलना असम्भव होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये पुलिस की व्यवस्था करने का है जैसा कि विक्टोरिया टर्मिनस बम्बई, पर की हुई है ; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। हमें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर कम दूरी के लिये टक्सियां मिलने में कुछ कठिनाई होती है।

(ख) पुलिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्था उस तरह की नहीं है जैसी विक्टोरिया टर्मिनस पर है।

(ग) पुलिस का ख्याल है कि अब जो व्यवस्था की गई है वह इस तरह की शिकायत को पर्याप्त रूप से निबटायेगी।

चतुर्थ योजना में खनिजों की खोज

*824. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कनकसबै :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि कनाडा की सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में खनिज की खोज के कार्यक्रमों के लिए उपकरण देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां तो सहायता का जो आश्वासन दिया गया है उसका सही-सही स्वरुप क्या है; और

(ग) क्या वहां की सरकार भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भी सहमत हो गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय भौमिकी विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये कैनेडा सरकार को 4·77 करोड़ रु० की कैनेडियन साफ्ट ऋण के रूप में सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। हमारे अन्वेषण कार्यक्रमों के प्रसंग में कैनेडा के विशेषज्ञों ने उपकरणों की विस्तृत सूचियों की जांच की है। उन्होने एक निर्धारिण-रिपोर्ट बनाई है जो स्थूल रूप से सुनिश्चित करती है कि यह उपकरण हमारे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये आवश्यक है और भारतीय तकनीकियों को केनेड़ा के उपकरणों के प्रयोग और उनके अन्वेषण और व्यधन के नई तकनीक में प्रशिक्षण की सिफारिश करती है। भारत सरकार ने कनेडा के विशेषज्ञों की सिफारिश मान ली है। हमारे प्रस्ताव पर कैनेडा सरकार के निर्णय की प्रतिक्षा की जा रही है।

Jhuggi-dwellers in Delhi

*825. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state : (a) whether it is a fact that Jhuggi-dwellers in the Railway Colony, Ramnagar, Delhi, have been served with notices to vacate their Jhuggies;

(b) if so, whether any alternative arrangements have been made for their accommodation; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir. Jhuggi-dwellers who were not in possession of census slips have been served with notices.

(b) and (c) As per Government decision on the subject, only squatter families holding census slips are eligible for alternative accommodation. Squatters without census slips are liable to summary eviction without alternative accommodation.

आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात

*826. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मुथिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्रीविश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि चीन ने आस्ट्रेलिया के कपड़ा बाजार में भारत का प्रवाव समाप्त कर दिया है जैसा कि 18 मार्च, 1965 को आस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ दि रिप्रेज़ेन्टेटिव्स) में हुई चर्चा से प्रतीत होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि चीन ने भारत को आस्ट्रेलियाई वस्त्र बाज़ार से बाहर निकाल दिया है। आस्ट्रेलिया को गत वर्षों में भारत तथा चीन द्वारा किये गए सूती वस्त्र निर्यात इस प्रकार है:—

	भारत	चीन
1961	336·7 लाख वर्ग गज़	56·8 लाख वर्ग गज़
1963	354·8 लाख वर्ग गज़	228·0 लाख वर्ग गज़
1964	174·9 लाख वर्ग गज़	171·87 लाख वर्ग गज़

(जनवरी से जून तक)

जबकि आस्ट्रेलिया को चीन द्वारा किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई भारत ने उपर्युक्त वर्षों में किये गए लगभग 27 लाख वर्ग गज़ प्रति वर्ष के निर्यात को जारी रखा है।

आस्ट्रेलिया को सूती वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये नीचे दिये कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) आस्ट्रेलिया के बाज़ार में कुछ नई किस्म की चादरों तथा औद्योगिक कपडों तथा छपे सजावटी कपड़ों का भेजना प्रारम्भ किया गया है। अनुमान है कि अस्ट्रेलिया 50 लाख गज औद्योगिक कपड़ा ले सकता है और यह मांग पूर्ण रुप से पूरो की जा सकती है।

(2) सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् में आस्ट्रेलिया के लिये एक क्षेत्रीय उप-समिति बनाई गई है जो कि आस्ट्रेलिया के बाज़ार में वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करेगी और हमारे निर्यात व्यापार को पुष्ट करने के उपाय सुझायेगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

*827. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' के हैदराबाद एकक में मोटर गाड़ी उद्योग के लिये उपकरण बनाने की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो एकक स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) एकक में क्या-क्या उपकरण बनाये जायेंगे तथा परियोजना की प्रस्तावित क्षमता क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के हैदराबाद स्थित करखाने को एक प्रकार तथा विशेष प्रकार की मशीनों का उत्पादन करने के योग्य इस प्रकार बनाया जा रहा है कि अन्त में उसे मोटर उद्योग के उपयुक्त किया जा सके । इसके अलावा यहां गियर शेपिंग, तथा गियर हांबिंग मशीनें बनाने का भी प्रस्ताव है। इस समय यहां निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा है और आशा है कि 1965 के अन्त से पूर्व ही यहां उत्पादन होने लगेगा। 1970-71 तक यहां पांच करोड़ रु० के मूल्य की मशीनों का उत्पादन होने की सम्भावना है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

*828. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बी० मुकर्जी ने भारी इंजीनियरी निगम संयंत्र, रांची के अग्निकांड सम्बन्धी अपने जांच प्रतिवेदन में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए (एक) सेवा आयोग तथा (दो) एक केन्द्रीय सुरक्षा दल स्थापित करने के बारे में मी जो सिफारिशें की थी, उन्हें कार्यान्वित करन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिये एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किया जाने वाला है। सेवा आयोग की स्थापना करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

इस्पात की ढली वस्तुओं का निर्माण

*829. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया और भारत के बीच हाल ही में भारत में इस्पात की ढली तथा गढ़ी वस्तुओं का निर्माण करने के लिये एक करार हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) वर्धा में एक ढलाई-गढ़ाई कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाक समाजवादी गणतंत्र के बीच 25 मार्च 1965 को एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक समझौता हुआ है। इस कारखाने की कुल वार्षिक क्षमता 12,000 टन इस्पात तथा मिश्रित इस्पात की ढलाई और स्पन पाइप मोल्डों के सशत 8,300 कल इस्पात की गढाई की होगी। इस की अनुमानित लागत 15 करोड़ रु० की पूंजी होगी। विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का मूल्य 28·50 लाख रु० कर दिया जाएगा।

तकुओं का आयात

*830. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा उद्योग संबंधी "न्यूनतम पुनर्वास कार्यक्रम" को क्रियान्वित करने के लिये 5·3 लाख तकुए आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कहां से तथा किस मूल्य पर ; और

(ग) उक्त पुनर्वास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग) समस्त उद्योग के लिये आयात कार्यक्रम इस आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा: (1) विदेशी मुद्रा की उपलब्धि (2) स्थानीय उत्पादन, और (3) वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताएं।

चैकोस्लोवाकिया से अख़बारी कागज़ की खरीद

2104. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने चैकोस्लोवाकिया से अखबारी कागज़ खरीदने के लिए उस देश से कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौर क्या है; और

(ग) भारत में कब माल मिल जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेडने 2 मार्च 1965 को मसर्स लीना, प्राह (चैकोस्लोवाकिया) से बिना ग्लेज़ किये (मशीन में फिनिश किये हुए) अखबारी कागज़ की रीलें आयात करने के लिये एक संविदा किया है।

(ख) संविदा 6,000 मी० टन के लिये किया गया है।

(ग) 500 मी० टन की पहली खेप लगभग मई 1965 तक भारतीय पत्तनों में पहुंच जाने की आशा है। 1500 मी० टन की दूसरी खेप 1965 की तीसरी तिमाही में और बाकी बचा 4,000 मी० टन 1965 की चौथी तिमाही में आ जायेगा। इस परिमाण में से, जैसा कि परस्पर इकरार हुआ 2,000 मी टन का लदान 1966 की पहली तिमाही में भी किया जा सकता है।

दियासलाइयों का निर्यात

2105. **श्री काशीनाथ दुरै :**
श्री म० प० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में तैयार की गयी दियासलाइयां किसी दूसरे देश को भेजी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार मशीन से दियासलाइयां बनाने वालों को ऐसी हिदायतें देने वाली है कि वे अपने उत्पादन का कुछ भाग विदेशों को भेज दिया करें जिससे दियासयाई कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां। दियासलाईयों का कुछ निर्यात किया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। दियासलाइयों को पहले ही निर्यात सहायता योजनाओं में सरकार शामिल कर चुकी है।

दियासलाइयों की खपत

2106. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री काशीनाथ दुरै :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश में दियासलाइयों की प्रति वर्ष कितनी खपत होती है ;

(ख) वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी तथा उस से सम्बद्ध समवायों में दियासलाइयों का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ग) दियासलाई कुटीर उद्योगों द्वारा दियासलाइयों का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है; और

(घ) क्या यह सच है कि वैस्टर्न इंडियामैच कम्पनी तथा उस से सम्बद्ध समवायों से दियासलाइयों का उत्पादन भारत की वार्षिक खपत के 50 प्रतिशत से अधिक होता है जो कि 1927 में प्रशुल्क जांच समिति के साथ किये गये करार के विरुद्ध है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) दियासलाइयों खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी चुंकि दियासलाइयों का वाणिज्यिक आयात नहीं होता है और देश में दियासलाइयों का कुल जितना भी उत्पादन होता है उसकी खपत देश में ही हो जाती है इसलिये उत्पादन के आंकड़े ही खपत के आंकड़े समझे जा सकते हैं। 1963-64 में 50 तीलियों वाली दियसलाइयों का उत्पादन 68,300 लाख 80 हजार डिबियां हुआ था।

(ख) 1963-64 में मेसर्स वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी तथा उससे सम्बद्ध कम्पनियों ने 50 तीलियों वाली 39,800 लाख 50 हजार दियासलाई की डिबियां तैयार की थीं ।

(ग) 1963-64 में अन्य कम्पानियों ने 50 तीलियों वाली 28,520 लाख 30 हजार दियासलाई की डिबियां तैयार की थीं ।

(घ) उल्लिखित करार के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसका उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

विश्व औद्योगिक प्रदर्शनी

2107. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1967 में कनाडा में मोन्ट्रियल नामक स्थान पर होने वाली विश्व औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में उन का भाग लेना कहां तक आवश्यक है ; और

(ग) वहां कौन कौन सी भारतीय वस्तुएं प्रदर्शित की जायेंगी ;

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के पास इस कार्य के लिये आवश्यक अनुभव और प्रविधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं। आवश्यक धन का भी प्रबन्ध कर दिया गया है।

(ग) 1967 में होने वाली प्रदर्शनी में दिखाई जाने वाली वस्तुओं की सूची इतनी जल्दी देना सम्भव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

2108. **श्री लखमू भवानी :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 तक मध्य प्रदेश में कितनी औद्योगिक बस्तियां विद्यमान थीं ; और

(ख) क्या 1965-66 में कोई और औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) . राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

खण्ड अधीक्षक कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

2109. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य कार्यालय, बड़ौदा हाउस तथा नई दिल्ली स्थित खंड अधीक्षक के कार्यालय की कर्मचारी शाखा में काम कर रहे उन लिपिकों तथा प्रधान लिपिकों की कुल संख्या कितनी है, जो कर्मचारियों तथा निबटारे संबंधी मामले को तय करने के पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम करते आ रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार तथा भ्रष्टाचार के किसी मामले की सूचना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या कर्मचारी शाखाओं में काम करने वाले व्यक्तियों की तीन वर्ष तक काम करने की अवधि को कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

	हेड क्लर्क	क्लर्क
प्रधान कार्यालय	10	82
मंडल अधीक्षक का कार्यालय	9	105

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले 5 वर्षों में 22 मामले दर्ज किये गये। इन मामलों के सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गयी उसका अलग अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वे मामले जिनमें कर्मचारियों को दंड दिया गया	प्रधान कार्यालय . .	2
	मंडल अधीक्षक का कार्यालय .	3
वे मामले जिन में आरोप साबित न हो सके	प्रधान कार्यालय . .	3
	मंडल अधीक्षक का कार्यालय .	4
वे मामले जिनमें अदालत में मुकदमा चल राहा है :		1
वे मामले जिनमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है :		6
वे मामले जिनकी जांच हो रही है :		3

(घ) इस बारे में हिदायत जारी की गयी है कि जहां तक व्यावहारिक हो कार्मिक शाखा के कर्मचारियों का तबादला हर दूसरे या तीसरे वर्ष दूसरे अनुभागों में कर दिया जाय ।

Eagle Vacuum Flasks

2110. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that the picture of the late Shri Jawaharlal Nehru was being used on "Eagle Vacuum Flask" bottles by some Bombay firm; and

(b) if so, the action taken by Government to stop the sale of such flasks in the market as also against the manufacturing firm for using the pictures of national leaders for commercial or trade purposes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). Sometime during the latter half of 1964, the Eagle Vacuum Bottle Manufacturing Co., Private Limited, Bombay, introduced a vacuum flask bearing the photograph of Pandit Jawaharlal Nehru. At that time, the use of the name or picture of the late Prime Minister did not infringe the provisions of the Emblems and Names Prevention of Improper Use) Act, 1950. The Schedule to the Act was amended in November, 1964, bringing within its purview the improper use of the name or pictorial representation of Pandit Nehru. The matter was then taken up by the Government with the Eagle Vacuum Bottle Manufacturing Company and they undertook to stop the manufacture or advertisement of the flask with the pictorial representation of the late Prime Minister. They, however, requested that time may be given to them to dispose of their existing stock. After considering their representations, Government allowed them a period of five months with effect from the 25th February, 1965 to dispose of the un-sold stock of the flasks in question.

उपभोक्ता सहकारी समितियां

2111. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही कई उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता वस्तुओं के न मिलने के कारण नहीं चल रही हैं ;

(ख) क्या उन्हें सुचारू ढंग से चलाने की दृष्टि से कोई सामयिक जांच की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पंजाब में जीपों का निर्माण

2112. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को किसी विदेशी सहयोग से चार पहियों वाली लैण्ड रोवर जीप बनाने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

2113. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता चला ; और

(ख) 1 जनवरी, 1965 को उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के जो मामले विचाराधीन थे उनका विवरण क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1–4–1964 से 31–3–1965 तक की अवधि में 369 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) इनका वर्गीकरण इस प्रकार है :—

(1) रिश्वत लेना।

(2) सरकारी रुपये का ग़बन।

(3) झूठे रेकार्ड रखना।

(4) रेलवे के सामान और श्रम का दुरुपयोग।

(5) पास और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग।

(6) झूठा यात्रा-भत्ता लेना।

(7) प्रतिरूपण (impersonation) पूर्ववृत्त को छिपाकर और/या फर्जी प्रमाण-पत्र देकर नौकरी पाना।

(8) रेलवे सामान की अधिक निकासी करना।

(9) निर्धारित विशिष्टि से निम्न स्तर का सामान स्वीकार करना।

(10) टिकट खिड़कियों पर यात्रियों को धोखा देना।

(11) माल और पार्सल परेषणों का वजन कम दिखाना।

(12) आमदनी से अधिक सम्पत्ति रखना।

(13) यात्रियों को बिना टिकट ले जाना।

(14) बिके हुए टिकटों को फिर से बेचना।

विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

2114. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग तथा सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 1964-65 में कितने प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे; और

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों ने किन-किन देशों की यात्रा की और उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तीन ।

(ख) जिन देशों की यात्रा की उनके नाम	यात्रा का उद्देश्य
1. जापान	एशियाई उत्पादिता संगठन के शासी निकाय की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिये जो 15 से 19 दिसम्बर, 1964 तक हुई थी।
2. स्विट्जरलैण्ड	'यूनाइटेड इन्टरनेशनल ब्यूरो फार दि प्रोटेक्शन आफ इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी' (बी० आई० आर० पी० आई०) द्वारा आयोजित बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिये।

3. अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जमनी तथा आस्ट्रिया। — इन्डस्ट्रियल मेंटीनेन्स इम्पोर्ट क्रेडिट के बारे में इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वाशिंगटन से बातचीत करने तथा इंजीनियरिंग योजनाओं में सहयोग देने तथा धन लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से कुछ औद्योगिक फर्मों से भी चर्चा करने।

Dead Body in a Coal Wagon

2115. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body was recovered from a heap of coal in a goods train wagon at Kanpur Station on the 16th January, 1965 ;

(b) if so, whether any enquiry has been held in that matter; and

(c) the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The correct position is that on 13.1.1965 an unidentified dead body of a youngman was found lying in a box wagon loaded with coal, which was placed for unloading in the coal yard, Loco Shed, Kanpur on its arrival from Juhi Kanpur.

(b) The case is still under police investigation.

(c) Does not arise.

टसर रेशम का निर्यात

2116. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात किये जाने वाले टसर रेशम के किस्म नियन्त्रण के लिये एक योजना चालू करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो टसर रेशम के कपड़े के निर्यात के लिये क्या न्यूनतम विशिष्टियां निर्धारित की गयी हैं ; और

(ग) यह योजना भारतीय टसर का निर्यात बढ़ाने में कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। 2 जनवरी, 1965 से योजना चलाई गई है।

(ख) निर्यात वाले टसरी कपड़ों के लिए निर्धारित मानक विशिष्टियों की अनुसूची की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4170/65]** योजना के अन्तर्गत टसरी रेशम के कपड़ों की अन्य किस्मों के निर्यात की अनुमति भी इस शर्त पर दी गई है कि वे खरीदार तथा विक्रेता के बीच हुए संविदाओं की विशिष्टियों के अनुरूप हों।

(ग) यह महसूस किया जा रहा है कि योजना चालू होने से निर्माताओं तथा निर्यातकों में किस्म अच्छी रखने की भावना उत्पन्न होगी और मानक से गिरे हुए माल का निर्यात करने की प्रवृत्ति कम होने में कारगर सहायता मिलेगी। इस से विदेशी खरीदारों में भी विश्वास उत्पन्न होगा और इस प्रकार इस माल का निर्यात बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

कहवे का उत्पादन

2117. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कहवे की फसल कैसी होने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या फसल अधिक होने की प्रवृत्ति है और फलस्वरूप अधिक मात्रा में निर्यात की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 60,00 मी० टन।

(ख) 1963-64 की अपेक्षा उत्पादन कम होने के कारण निर्यात के लिये उपलब्ध मात्रा भी कम ही होगी।

सोवियत संघ को निर्यात

2118. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने जनवरी, 1965 से विकासोन्मुख अफ्रीकी-एशियाई तथा लेटिन-अमरीकी देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सभी-सीमा-शुल्क समाप्त कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इससे उस देश को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के सोवियत संघ से होने वाले व्यापार का विनियमन उन द्विपक्षीय व्यापार करारों द्वारा होता है, जो कि दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार विनियम के परिमाण निर्धारित करते हैं और ऐसी स्थिति होने के कारण प्रत्येक

ओर से होने वाले व्यापार के कुल परिमाण पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी, भारत को अपने लागत बीमा भाड़ा मूल्यों की वसूली में लाभ हो सकता है। इस का अभी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Derailment near Khandala

2119. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Harakh Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one gangman was killed and five injured as a result of the derailment of a goods train near Khandala on the Bombay-Poona section of the Central Railway on the 21st January, 1965 ;

(b) if so, the causes of derailment;

(c) whether Government propose to give some compensation to the families of the deceased ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) One gangman was killed and 6 sustained injuries.

(b) The report of the Enquiry Committee is under scrutiny.

(c) An *ex-gratia* payment of Rs. 500/- was made to the widow of the deceased immediately after the accident. Payment admissible under the Workmen's Compensation Act will be made through the authority prescribed in the Act.

(d) Does not arise.

इस्पात कारखानों में उत्पादन

2120. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में सभी इस्पात कारखानों के इस्पात का उत्पादन बढ़ गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने में निर्मित उत्पादों की प्रत्येक श्रेणी में उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह उत्पादन लक्ष्य के अनुसार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4171/65]**

(ग) प्रमुख उत्पादकों की विक्रेय इस्पात की कुल अधिष्ठापित क्षमता 4.63 मिलियन टन है। इसके मुकाबले में 1964 में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 4.52 मिलियन टन था।

एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्यात

2121. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही प्रकार के अथवा पूरक उत्पादों की बिक्री का काम सम्भालने के लिए निर्यातकर्ताओं का निकाय बनाने के प्रश्न पर सरकार, उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों ने हाल में चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां। चयनशीलता समिति की सिफारिशों पर, जिनमें निर्यात निकाय की स्थापना भी सम्मिलित है, देश में स्थित निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और प्रमुख व्यापार संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गयी है। इस बातचीत के दौरान कई सुझाव दिये गये। निकाय सम्बन्धी प्रस्ताव का काफी समर्थन हुआ और उन विशिष्ट वस्तुओं और बाजारों के विषय में, जिनके लिये निकाय उपयुक्त रहेगा, सुझाव दिये गये। प्रतिवेदन पर व्यापार बोर्ड की कलकत्ता में 12-4-1965 को होने वाली आगामी बैठक में और अधिक विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् सरकार सिफारिशों पर अपना निर्णय करेगी।

मण्डी में नमक के निक्षेप

2122. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डी में नमक के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) क्या उनसे नमक प्राप्त करने का काम आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) उनसे कितना नमक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभधन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). मण्डी स्थित नमक भंडारों की जानकारी है और काफ़ी समय से उनका उपयोग किया जा रहा है इन भंडारों के परिमाण के विषय में जांच का कार्य भारतीय खान ब्यूरो को सौंप दिया गया है और इस कार्य में प्रगति हो रही है।

(ग) इस समय इन खानों से 4000 मी० टन वार्षिक का उत्पादन होता है

अकोला में भारी औद्योगिक कारखाना

2123. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी तकनीकी विशेषज्ञों के एक 12 सदस्यीय दल ने जनवरी,

1965 में अकोला में ठहर कर वहां एक भारी औद्योगिक कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी दल ने अपनी खोज के परिणामों के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। भारी पम्पों और कम्प्रेसरों का निर्माण करने की एक परियोजना के लिये स्थान का चुनाव करने की दृष्टि से रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने कुछ स्थानों की यात्रा की थी, जिनमें अकोला भी सम्मिलित है। इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

गैस संभरण के लिये गेजिट

2124. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू ईंधन के रूप में गैस का बढ़ता हुआ प्रयोग सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से गैस की गेजिटों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : बम्बई में यूनिट को आवश्यक विकास सम्बन्धी सहायता दी जा रही है जोकि गैस सामग्री और चूल्हों का निर्माण कर रही है। उत्पादन के अभाव के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई उद्यमकर्ता इस क्षेत्र में क्षमता की स्थापना के लिये आगे बढ़ेगा तो उसके प्रार्थनापत्र की प्रक्रिया गुणों के आधार पर की जायेगी।

छोटे पैमाने के उद्योग

2125. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किराया-खरीद पर मशीनें दे कर देश में छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो छोटे पैमाने के एककों की ओर से निगम ने कितने ठेके प्राप्त किये हैं; और

(ग) क्या इसने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में सहायता की है और छोटे रचयिताओं के उत्पादों के लिए मांग पैदा कर दी है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बनने से लेकर फरवरी, 1965 के अन्त तक उसकी सहायता से छोटे पैमाने के एककों को सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय से 79.91 करोड़ रुपये के मूल्य के 14,075 ठेके मिले। उपर्युक्त अवधि में निगम की सहायता से छोटे पैमाने के एककों को रेलवे से 6.07 करोड़ रुपये के मूल्य के 27,852 ठेके भी मिले थे।

---

[1] Gadgets.

(ग) जी, हां। निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना करने को प्रोत्साहन देने के लिये लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के कार्यालय तथा राज्यों के उद्योग निदेशकों के साथ मिलकर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में गहन आन्दोलन चलाये थे। इस प्रकार के आन्दोलन मैसूर, केरल, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में चलाये गये थे। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप इन राज्यों में छोटे पैमाने के एककों के पास से 135.20 लाख रुपये के मूल्य की 3,372 मशीनों का संभरण किराया-खरीद की प्रणाली पर करने के लिये 807 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 17.70 लाख रु० के मूल्य की कुल 849 मशीनों के लिये आर्डर दिया गया था तथा निगम द्वारा किराया-खरीद के आधार पर 27.62 लाख रुपये के मूल्य की 500 मशीनें दी गईं।

निगम ने वितरण साधनों, मानकीकरण, किस्म नियंत्रण और पैकिंग तथा माल भेजने के सुधरे तरीकों की व्यवस्था के द्वारा उत्पादन में लगे छोटे इककों की सहायता करके लघु उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के लिये बाजार की स्थापना करने में भी सहायता की है। निगम ने छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों का विस्तृत बाजारों में प्रचार करने की दिशा में भी बहुत काम किया है। निगम अभी हाल तक निर्यात किये जाने के लिये जूतों के छोटे निर्माताओं द्वारा उनका निर्माण करने में भी सहायता करता रहा है।

चाय पर बहु-कर

2126. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग से चाय पर बहु-करों के स्थान पर केवल एक उत्पादन-शुल्क लगाने की संभावना पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

2127. **श्री रामचन्द्र उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर 1964–65 में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) 1965–66 में किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4172/65]**

टेरीलीन के धागे का उत्पादन

2128. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आजकल टेरीलीन के धागे का कितना उत्पादन होता है;

(ख) भारत में उसकी वर्तमान आवश्यकता कितनी है; और

(ग) आवश्यकता किस प्रकार तथा कहां तक पूरी की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) टेरीलीन की भांति के रेशे बनाने के प्रथम संयंत्र में हाल ही में उत्पादन आरम्भ हुआ है और आशा है कि 2-3 महीने में इसकी क्षमता 20 लाख कि० ग्रा० वार्षिक हो जायेगी ।

(ख) इस रेशे की आवश्यकतायें अस्थिर और ऐसे अन्य नकली और प्राकृतिक रेशों की सापेक्ष उपलब्धि पर आधारित होती है, जोकि इसके साथ मिलाये जा सकें अथवा इसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकें ।

(ग) इस समय टेरोलीन रेशों का आयात नकली रेशमी वस्त्रों की निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है । टेरीलीन रेशे का 1961–62 से हुआ आयात इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा 10 लाख कि० ग्रा० में	मूल्य 10 लाख रु० में
1961–62 . .	0.059	1.009
1962–63 . . .	0.308	4.622
1963–64	1.139	16.042
1964–65 (अप्रैल से अक्तूबर 1964 तक) .	0.731	8.553

पूर्वोत्तर रेलवे पर सामान बेचने के ठेके

2129. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलव के सामान बेचने वाले ठेकेदारों पर लाइसेंस फीस तथा किराये के रूप में काफी बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से कितनी राशि काया है; और

(ग) उक्त अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर कितने ठकेदारों को सामान बेचने के दो से अधिक ठेके दिये गये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). 31-12-1964 को पूर्वोत्तर रेलवे में खान-पान और खोंमचे के ठेकेदारों से तीन साल से अधिक समय की लाइसेन्स फीस और किराये के रूप में 22,803 रुपये 76 पैसे लेने थे ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे में 7 ठेकेदार हैं, जिनके पास पिछले कई वर्षों से अलग-अलग स्टेशनों पर दो से अधिक ठेके हैं। लेकिन पिछले तीन वर्षों में उन्हें कोई नया ठेका नहीं दिया गया है। उनके ठेकों की संख्या निर्धारित सीमा के अन्दर है।

उत्तर प्रदेश को लोहा और इस्पात का नियतन

2130. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1964–65 में कितना लोहा और इस्पात दिया गया ; और

(ख) 1965–66 में कितना लोहा और इस्पात दिया जायेगा।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश को लोहे तथा इस्पात के आवंटन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

इस्पात	. .	*14,900 टन
कच्चा लोहा	. .	**70,369 टन
एम० एस० बिलेट	. .	68,127 टन

*यह मात्रा नियंत्रित वर्गों के अधिकतम आबंटित कोटे को ही प्रदर्शित करती है। इस्पात की अन्य किस्मों पर नियंत्रण नहीं है और इन्डेंट-कर्त्ता बिना किसी रोक के इन वस्तुओं के लिए आर्डर भेज सकते हैं।

**इसमें सम्मिलित हैं 10,375 टन आयात किया गया कच्चा लोहा और 7,500 टन अर्द्ध-खंडित पिण्डक-सांचे जो कच्चे लोहे के बदले दिए गए थे।

(ख) 1965-66 के वर्ष के लिए लोहे और इस्पात के आबंटन अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

2131. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनाएं क्या हैं ; और

(ग) इस के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) 1965-66 में राज्य में लघ उद्योगों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की वह प्रयोजनाएं जो वार्षिक योजना में शामिल है, उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4193/65]**

लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश

2132. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) 1965-66 में कितनी राशि नियत किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्र द्वारा एक मुश्त सहायता दी जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि का नियतन योजनानुसार नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र से इस प्रकार प्राप्त सहायता को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को प्राप्त ऋण और अनुदान समेत विशेष प्रायोजनाओं के लिए प्रयोग करने में स्वतंत्र है उत्तर प्रदेश को 1964-65 से दी गई सहायता के प्रयोगात्मक आंकड़े और 1966–67 के लिए प्रस्तावित आंकड़े क्रमशः 155-48 लाख रु० तथा 140 लाख रु० है ।

दूसरा केबल कारखाना

2133. **श्री पाराशर :**
श्री चांडक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह०भोज :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबलों के निर्माण के लिये दूसरा कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह कारखाना मध्य प्रदेश में ही स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मेसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लि० के प्रबन्ध निदेशक (मनेजिंग डायरेक्टर) ने भिन्न भिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था, जिनमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है । यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाये इसके बारे में उनकी विस्तृत रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही निणय किया जा सकेगा ।

पंजाब मेल का भटिंडा पहुंचने का समय

2134. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब मेल भटिंडा प्रायः देर से पहुंचती है ;

(ख) क्या इसके कारण यात्री भटिंडा से चलने वाली अगली गाड़ियां नहीं पकड़ सकते हैं और घंटों स्टेशन पर पड़े रहते हैं ; और

(ग) इस असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) से (ग) . जनवरी और फरवरी, 1965 के महीनों में 37 अप पंजाब डाकगाड़ी के परिचालन-कार्य के विश्लेषण से पता चला है कि यह गाड़ी भटिंडा स्टेशन पर कुल मिलाकर 31 बार ठीक समय पर पहुंची । इस अविध में 1 बी. ए.च. अप भटिंडा हिन्दुमलकोट सवारी गाड़ी, 1 बी. आर. बी. अप भटिंडा-रेवाड़ी सवारी गाड़ी और 1 बी.बी.बी. अप भटिंडा बीकानेर सवारी गाड़ी से भटिंडा स्टेशन पर 37 अप डाकगाड़ी के मेल लेने का प्रतिशत 87 रहा ।

37 अप मेल को समय पर चलाने और भटिंडा में शत-प्रतिशत मिलान सुनिश्चित करने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी किया जायेगा ।

नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र

2135. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में उन औद्योगिक जमीनों को अर्जित करने का है जो विभिन्न उद्योगपतियों को नये उद्योग खोलने अथवा पुराने उद्योगों को वहां ले जाने के लिए दिये गये थे और जो अब भी खाली पड़े हैं ।

(ख) क्या नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी खाली जमीनें हैं ; और

(ग) उद्योग स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन का विचार दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के उन 8 प्लाटों को अपने अधिकार में ले लेने का है, जो विभिन्न उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये आवंटित किये गये थे किन्तु काफी समय से खाली पड़े हुये हैं । इनमें से दो प्लाट इसलिये खाली पड़े हैं कि उनके आवंटकों के पाकिस्तान चले जाने के कारण वे निष्क्रान्त सम्पत्ति हो गये हैं । दो अन्य प्लाटों के आवंटक उन प्लाटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुये व्यक्तियों को उन पर से नहीं निकाल सके हैं । शेष चार प्लाटों के आवंटकों ने उन पर उद्योग स्थापित करने के लिये कोई भी कार्रवाई नहीं की है । इसका कारण यह बताया जाता है कि उन्हें वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

रूपनारायन नदी पर रेल का पुल

2136. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रूपनारायण नदी पर पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) पुल के तैयार होने की मूल लक्ष्य तारीख क्या है और क्या यह संभावना है कि काम समय पर समाप्त हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पुल के दोनों पीलपायों और 10 में से 9 पायों पर काम पूरा हो गया है। आश है, अन्तिम पाया भी इस महीने में तैयार हो जायेगा और जुलाई, 1965 से गर्डर लगाने का काम शुरू हो जायेगा।

(ख) यदि सभी आयाती इस्पात मई, 1965 तक मिल गया तो, आशा है कि यह पुल अपनी मूल निर्धारित तारीख यानी मार्च, 1966 तक बनकर तैयार हो जायेगा। लगभग 90 प्रतिशत आयाती इस्पात जहाज से रवाना हो चुका है।

Import of Chilean Nitrate

2137. Shri Yudhvir Singh : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the indigenous Nitrate Industry is worst affected by large imports of Chilean Nitrate from foreign countries ;

(b) if so, the extent to which the demand for Chilean Nitrate is met by indigenous production and the quantity that has got to be imported from abroad ; and

(c) whether there is any difference between the prices of nitrate manufactured within the country and that which is imported from abroad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). There is no production of Chilean Nitrate in the country and the entire requirements of this chemical are imported. Indigenous salt petre refiners are manufacturing Potassium Nitrate and not Sodium Nitrate which is the chemical composition of Chilean Nitrate. However, to some extent Chilean Nitrate is used for industrial purposes in the same way as Potassium Nitrate. Import of Chilean Nitrate (Sodium Nitrate) has been of the order of about 20,400 tonnes in 1962-63, 17,500 tonnes in 1963-64 and 7,000 tonnes upto the end of December, 1964 during the year 1964-65. The quantity of imports of this chemical has thus considerably come down. It will not therefore be correct to say that the indigenous nitrate industry is badly affected by large imports of Chilean Nitrate.

(c) Indigenously produced Postassium Nitrate is being sold currently at Rs. 800 to Rs. 1000 depending upon the quality of the material; imported Chilean Nitrate costs about Rs. 335 per tonne F.O.R. Ports.

Theft of Refrigerators

2138. **Shri Ramanand Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board have asked the Special Police functioning under them to investigate into the case of theft of valuable Refrigerators from the Electric Workshop, Delhi by its own employees during the last two years ; and

(b) if so, the outcome thereof and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A number of irregularities in the maintenance and disposal of costly imported and indigenous spares for refrigeration and air-conditioning equipment were detected by the R.P.F. Crime Wing. After a preliminary enquiry, the case has been taken over by the Special Police Establishment of the Ministry of Home Affairs, whose final report in the matter is awaited.

(b) Does not arise.

दिल्ली के पार्सल कार्यालय पर छापा

2139. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गलशन :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री दिल्ली स्टेशन के बाह्य पार्सल कार्यालय में सरकारी रोकड़ कम पाये जाने के बारे में 18 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दण्ड के रूप में दो वर्षों के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोक दी गयी है जिसका प्रभाव उसकी भावी वेतन वृद्धियों पर भी पड़ेगा ।

जर्मन लोकतंत्री गणराज्य में व्यापार अभिकरण

2140. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने भारत सरकार को जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य में एक राजकीय भारतीय व्यापार अभिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे बोर्ड मे अधिक वेतन पाने वाल अधिकारी

2141. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में अधिक वेतन पाने वाले कितने अधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक सेवा में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको सेवा में रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सेवा निवृत्ति की आय प्राप्त करने के पश्चात् रेलवे बोर्ड ने वरिष्ठ प्रशासनिक वेतन-क्रम के कितने अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे बोर्ड में रेलों से प्रवर वेतनमान के जो 50 अफसर लिये गये हैं उनमें से 5 अफसरों का समय रेलवे बोर्ड में पांच वर्ष से अधिक हो गया है ।

(ख) सार्वजनिक हित में इन अफसरों को रेलवे बोर्ड में रहने दिया गया है ।

(ग) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एक और रेल सेवा आयोगों जैसे दूसरे कार्यालयों में छः ।

जम्मू तथा काश्मीर में चाय बागान

2142. **श्री गोपाल दत्त मेंगी :**
श्री समनानी :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू क्षेत्र में कुछ ऐसे चाय बागान थे जिनमें अच्छी किस्म की चाय पैदा होती थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उचित देखभाल तथा वित्त की कमी के कारण इनमें से अधिकतर बागान समाप्त हो गये हैं ; और

(ग) क्या इन बागान को फिर से लगाने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० व० रामस्वामी) : (क) से (ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चाय की बहुत कम खेती होती है । चाय की जो कुछ झाड़ियां इस समय विद्यमान हैं ज्ञात हुआ है कि वे 100 वर्ष पूर्व लगाई गई थीं । जम्मू राज्य के ऊधमपुर जिला में चाय की पैदा करने की सम्भावनाओं को खोजने के लिए राज्य सरकार ने 1962 में एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था किन्तु इस क्षेत्र में चाय उद्योग का विकास करने के लिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन उत्साहजनक नहीं है ।

रेलवे में आयुर्वेदिक औषधालय

2143. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में क्षेत्र-वार कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ;

(ख) क्या इस चिकित्सा पद्धति का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

वारंगल के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

2144. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मार्च, 1965 को वारंगल तथा वंचागिरी रेलवे स्टेशनों के बीच 17 अप मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ । रेल सम्पत्ति को लगभग 20,300 रुपये के नुकसान का अनमान है ।

(ग) जी हां ।

राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योग

2145. **श्री ह० च० सोय :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसानी से तथा स्थानीय तौर पर काफी मात्रा में उपलब्ध वन उत्पादों जैसे लकड़ी, बांस, दियासलाई बनाने की लकड़ी और टसर पर आधारित छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में पंजाब राज्य की भांती पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) .सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Railway Tickets in Hindi

2146. **Shri P. L. Barupal** :
Shri Samnani :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to print railway tickets in Hindi throughout the country with a view to promote Hindi, the official language ?

Minister of State For Railways (Dr. Ram Subhag Singh): Instructions were issued to the Railways in August, '62 to indicate on the tickets particulars in regional language (where it is not Hindi), Hindi and English. An extract from the instructions to the Railways is laid on the Table of the House. [*Placed in Library.* See *No. LT-4174/65*]

It is not proposed to make any amendments in these instructions.

Railway Passes

2147. **Shri P. L. Barupal** :
Shri Samnani :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway employees and security officers are issued passes available only by passenger trains even for long distances upto 800 kilometres; and

(*b*) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No. The passes issued to Security Officers are available by all trains carrying passengers including Mail trains, irrespective of distance. The passes of railways employees drawing less than Rs. 525/- issued for distances of less than 800 kms. are made available only by Passenger trains and not by Mail trains. This has been done in order to ensure that accommodation available on Makl trains to the fare-paying passengers is not reduced.

ईंटें पकाने के कोयले की ढुलवाई

2148. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बरास्ता मार्गों पर "रेक" कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष जनवरी तथा **फरवरी** में ईंटें पकाने के कोयले तथा सौफ्ट कोक की ढुलवाई के लिये रेलों से कितने रेकों की मांग की गई **है;**

(ख) इस वर्ष जनवरी तथा फरवरी में निर्धारित तारीखों पर ईंटें पकाने के कोयले तथा **सौफ्ट** कोक की ढुलवाई के लिये रेकों की कुल मांग में से रेलों ने कितने कार्यक्रम स्वीकार किये हैं;

(ग) रेलों ने उनको पेश किये रेक कार्यक्रमों को स्वीकार या अस्वीकार करने में क्या सिद्धान्त अपनाया तथा कितने कार्यक्रमों में निर्धारित तारीखों पर वास्तव में लदान हुआ ; और

(घ) ढुलवाई के लिये रेलों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के विषय में, विविध बरास्ता मार्गों के **लिये,** कार्यक्रमों में सम्मिलित उपभोक्ताओं तथा स्टेशनों में से कुछ को चुनने के लिये क्या सिद्धान्त **अपनाये** गये थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) ईंटें पकाने का कोयला और साफ्ट कोक का परिवहन विभिन्न मार्गों से करने के लिए रेलों को जनवरी और फरवरी, 1965 में क्रमश: 271 और 576 ब्लाक रेक का कार्यक्रम मिला था ।

(ख) रेलों ने निर्धारित तारीखों को जनवरी में 160 और फरवरी में 258 रेकों के लदान के लिए परिवहन कार्यक्रम को स्वीकार किया ।

(ग) रेक-कार्यक्रम को स्वीकार करने में नीचे लिखे सिद्धान्त अपनाये गये : –

(1) ये कार्यक्रम केवल उन कोयला खानों से लदान के लिए हों, जहां से रेक बनाये जा सकें। ऐसा करने में इन कोयला खानों में लदान के लिए उपलब्ध स्थान और किसी पायलट सेक्शन पर उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा ।

(2) इन कार्यक्रमों में केवल वही गन्तव्य स्टेशन शामिल किये जायें जहां इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत युक्तियुक्त यातायात होता हो ।

(3) ये कार्यक्रम प्रत्येक रास्ते की यातायात क्षमता के अनुरूप बनाये गये हों और इनमें इस तरह की व्यवस्था हो कि एक ही गन्तव्य स्टेशन के लिए या एक ही यानान्तरण स्थल के रास्ते जाने वाले एक के बाद दूसरे रेकों के बीच अपेक्षित समय का अन्तर हो ।

जो कार्यक्रम उपर्यक्त शर्तों को पूरा करते थे, उन्हें पहले आये सो पहले पाये' की नीति के अनुसार स्वीकार किया गया। लेकिन जिन्होंने बाक्स माल-डिब्बों के रेकों की मांग की, उन्हें साधारण चौपहिया माल डिब्बों के रेक मांगने वालों से तरजीह दी गयी ।

अन्ततोगत्वा निर्धारित तारीखों पर लदान के लिए जनवरी में 135 और फरवरी में 209 कार्यक्रमों पर कार्रवाई की गयी ।

(घ) स्वीकार किये गये कार्यक्रमों को वास्तव में क्रियान्वित करने का आधार था लदान क्षेत्र में माल डिब्बों की उपलब्धता, परिचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध और सम्बन्धित उपभोक्ताओं की अग्रता का वर्गीकरण ।

केलों का निर्यात

2149. श्री मलाइछामी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 19 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1317 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में केलों की निर्यात योग्य किस्मों के अधिक उत्पादन के लिये स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 4175/65]**

(ख) इन योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता ।

Pig Iron Plant at Hissar

2150. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) when the Pig Iron Plant will be set up in Hissar ;

(b) the estimated expenditure involved; and

(c) the proposed production capacity of the plant ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c). A letter of intent has been issued in favour of the Government of Punjab for establishing a pig iron plant at Hissar with an annual capacity of 100,000 tonnes. The total capital cost of the project has been provisionally estimated to be of the order of Rs. 4·8 crores. The project report prepared on this scheme is at present under consideration.

All India Commercial Clerks Association

2151. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain demands have been put forth for Government's consideration in the Third Conference of All India Commercial Clerks Association held on the 13th and 14th March, 1965 :

(b) if so, the details thereof : and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) Except for certain Press reports, Government have no information about this Conference or its demands.

(c) Does not arise.

"इकाफे" का आगामी सम्मेलन

2152. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इकाफे" का आगामी सम्मेलन 1966 में नई दिल्ली में होगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) इकाफे को अपना 1966 का सत्र नई दिल्ली में आयोजित करने के लिये आमन्त्रण भेजा गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् की स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है ।

(ख) लगभग 2.5 लाख रु० ।

डिविजनल सुपरिटेन्डेन्ट कार्यालय, नई दिल्ली

2153. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय, नई दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले कुल कितने राजपत्रित अधिकारी हैं ; और

(ख) डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट कार्यालय में इन अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

राजपत्रित अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना

2154. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में ऐसे कुल कितने राजपत्रित अधिकारी हैं जिनका सेवाकाल 58 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : आठ।

दिल्ली के बड़े स्टेशन पर खाली माल डिब्बे

2155. **श्री ओंकर लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे (बड़ी लाइन) द्वारा ढोये जाने वाले पार्सलों के लिये दिल्ली के बड़े स्टेशन पर प्रतिदिन खाली माल डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं जिसके कारण प्लेटफार्मों पर भारी जमाव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली से पश्चिम रेलवे (बड़ी लाइन) के स्टेशनों को भेजे जाने वाले पार्सल आम तौर पर उसी दिन डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के ब्रेकयानों द्वारा भेज दिये जाते हैं। यदि कभी पार्सल इतनी संख्या में बच जाते हैं जिन्हें भेजने के लिये पूरे पार्सल यान की ज़रूरत हो तो ऐसे मौके पर खाली यानों की व्यवस्था भी की जाती है। मिसाल के तौर पर 22 मार्च से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि में 2879 पैकेजों की निकासी के लिए 17 खाली यान दिये गये थे क्योंकि इन पैकेजों की निकासी यात्री गाड़ियों के ब्रेकयान से नहीं हो सकी थी।

जलपान-गृह और चाय के स्टाल

2156 **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे (दिल्ली और फिरोजपुर खण्ड) के उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष में नये जलपान-गृह और चाय के स्टाल खोले जायेंगे; और

(ख) इस कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) दो-तीन महीनों के अन्दर उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में बहादुरगढ़ और दिल्ली-किशनगंज स्टेशनों पर और फिरोजपुर डिवीजन में बंगा स्टेशन पर चाय की दूकानें खोलने का विचार है।

चालू वर्ष में दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन में किसी स्टेशन पर नया जलपान-गृह खोलने का कोई विचार नहीं है।

दुर्गापुर में कांच कारखाना

2157. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर में रूसी सहयोग से चश्मा कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) टाउनशिप के खर्च को निकाल कर प्रायोजना का अनुमानित खर्च 2·72 करोड़ रु० है। इसमें विदेशी मुद्रा वाले उपकरणी का 1·18 करोड़ रु० का खर्चा भी शामिल है। कारखाने की कुल क्षमता 300 टन चश्मों के कांच की है जिसमें से 67 टन अशक्तिकृत तथा 233 टन लैंसों के कांच की है। इस कारखाने के 1966 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

Cotton Extraction Plant at Ujjain

2158. { **Shri Bade** :
{ **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Cotton extraction plant was set up at Ujjain in 1963;

(b) whether it is also a fact that the above plant has been closed now;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the expenditure incurred on the plant so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Yes, Sir. The Cottonseed Solvent Extraction Plant set up at Ujjain was commissioned in October, 1963.

(b) and (c). The Plant was temporarily closed down on the 2nd March, 1965 because of defect in its Compressor Unit. It resumed working on the 11th March, 1965.

(d) About Rs. 52 lakhs.

चार पहियों वाले माल डिब्बे

2159. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1965 में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज, लिमिटेड ने चार पहियों वाले कितने माल डिब्बे मांगे;

(ख) रेलवे ने वास्तव में कितने माल डिब्बे दिये हैं ;

(ग) कम डिब्बे देने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या रेलवे अब उनकी मांग पूरी करने की स्थिति में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) से (घ) फरवरी, 1965 में सिंगरेनी कोयला खानों ने 13,400 माल-डिब्बों की मांग की थी। इस अवधि में उन्हें 11,348 माल-डिब्बे दिये गये, जबकि 11,760 माल-डिब्बे देने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 412 माल-डिब्बों की जो मामूली कमी हुई है उसके कारण इस प्रकार हैं :—

(i) माल-डिब्बों के नियतन के बाद कोयला खानों द्वारा 116 माल-डिब्बों की मांग रद्द कर दी गयी ;

(2) वृहस्पतिवार की साप्ताहिक छुट्टी के दिन उपलब्ध क्षमता का कम उपयोग हुआ; और

(3) भाषा के सवाल पर इस महीने जो आन्दोलन हुआ उसके कारण दक्षिण रेलवे में काम अव्यवस्थित हो गया। फलस्वरूप उस रेलवे से कोयला खानों को सामान्यतः जितने खाली डिब्बे भेजे जाने थे, उतने नहीं भेजे जा सके।

माल डिब्बों के लदान के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। यह लक्ष्य इस आधार पर बनाया गया है कि पूरे महीने में कोयले की इकसार निकासी होगी।

कोयला बोर्ड से आर्थिक सहायता

2160. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला बोर्ड से अर्थ सहायता प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों का निपटारा करने में बहुत अधिक देरी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनके शीघ्र निपटारे के लिये, क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) बोर्ड के पास कितने आवेदन-पत्र छः महीने से अधिक के अनिर्णीत पड़े हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) क्षेष्य भरण सहायता के सम्बन्ध में 39 प्रार्थना-पत्र और कठोर और कठिन खनन दशाओं की सहायता के सम्बन्ध में 33 प्रार्थना पत्र।

छोटे पमाने के धातु उद्योग

2161. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में छोटे पैमाने पर बहुत से धातु उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कच्चे माल के आयात के लिये उन्हें पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पीतल, ताम्बा, एल्यूमीनियम और स्टैनलैस स्टील पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमत्री (श्री विभधन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) सामान्य रूप से आजकल भारत में सभी छोटे कारखानों के समान ही दिल्ली में भी कुछ छोटे उद्योगों द्वारा समुचित परिमाण में आयातीत कच्चा माल न मिलने के कारण पूरी क्षमता में उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों द्वारा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपलब्ध सीमित मुद्रा का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बरसुआ खानों में परिष्करण कारखाना

2162. **श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरसुआ खानों में एक परिष्करण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर निश्चय करना स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार है और ब्रिटिश और जापानी फर्मों ने भी इस परियोजना की स्थापना के लिये एक समझौते के लिए सहमति दे दी है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निश्चय होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) बरसुआ खानों में परिष्करण सन्यन्त्र के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को टेंडर प्राप्त हो चुके हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं। सरकार को उनकी सिफारिश अभी तक नहीं मिली हैं। इसके शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन के प्रधान मंत्री के काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के समय वहीं से भारतीय सम्वाददाताओं का हटाया जाना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a Statement thereon :—

Reported removal of Indian Press Correspondents from the Cairo Airport at the time of arrival of Chinese Prime Minister.

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Two Indian Correspondents who were walking towards the tarmac of Cairo airport at the time of arrival of the Chinese Prime Minister, were stopped by U.A.R. Secruity officers and escorted out of the airport building. Chinese correspondents and Egyptian correspondents of Egyptian and foreign papers were admitted to the tarmac but no correspondents of any other country were present there.

Our Embassy in Cairo is seized of the matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether our Embassy had informed us in time about the decision taken by the U.A.R. Government ?

Shri Dinesh Singh : This has nothing to do with the Embassy. I think correspondents were aware of it because there were no correspondents of any other Country.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether our press representatives in Cairo were informed in advance not to go there ?

Shri Dinesh Singh : Although I have no confirmed news about it, yet I think that they might have informed all correspondents because no correspondents of other Country were present there.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In order to get better treatment for the Indian correspondents have the Government exposed the evil intension of China before the U.A.R. and told them that they as well as some other countries can also meet the same fate from China as India ?

Shri Dinesh Singh : We have tried our best to expose the Chinese tactics before other countries including the U.A.R.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur): May I know whether there is any such tradition or convention or any such incidents have occurred in the past when the Correspondents were prevented to cover the arrival of foreign dignitories in peace time ?

Shri Dinesh Singh : It depends on chance. If and when they like to meet the correspondents they may meet if they do not, they do not meet. Sometimes Correspondents are allowed to enter the airports and sometimes not.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963–64 की प्रतिवेदन रिपोर्ट , परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की प्रति ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिय संख्या एल० टी० 4165/65]

भारत और चीन के बीच पत्रव्यवहार

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखाती हूं :—

(एक) 2 अप्रैल, 1965 को भारत स्थित चीन के दूतावास को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा दिये गये नोट की एक प्रति ।

(दो) 18 जनवरी, 1965 को चीन स्थित भारत के दूतावास को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पेकिंग, द्वारा दिये गये नोट की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 4166/65]**

उन मामलों का विवरण जिन में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त होने वाली छमाही के उन मामलों का विवरण जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन लन्दन, तथा इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन, द्वारा न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4167/65]**

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्य की समीक्षा

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरी तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, की वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 4168/65]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

अड़सठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं परिवहन मंत्रालय—मद्रास पत्तन—के बारे में प्राक्कलन समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम्) : मैं शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई, के बारे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 12 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार ।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—
परिवहन ।

स्वास्थ्य ।

उद्योग तथा संभरण ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि क्या बोनस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सभा में विधेयक लाया जायेगा; और केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में सभा में कब चर्चा की जायेगी ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether time has been allotted for a disscussion on the use of Atomic Energy as it is a very important matter; and if not the reasons therefor ?

Mr. Speaker : The Business of the House was decided in consultation with the Opposition Members and it was mutually agreed to. We are proceeding according to that decision. The House has also given its concent to it.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : According to the news published, a few days ago, in newspspers, the sub-committee has decided to considered the possibilities of official languages Act, but it was stated last week that there was not a such thing. May I know whether Government agree that there is any possibility to consider it, and if so whether it will be included in the Business of the House for the next week ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I submit that all those matters should be discussed by the House for which it sanctions money. The procedure of this House is defective. In the name of decorum many wrong things are done in this House. For example I was Suspended twice from the services of the House. I cannot bring motion against you because I can not secure fifty votes for this purpose. Yesterday in a way Shri Madhu Limaye was suspended.....

Mr. Speaker : Dr. Sahib you cannot ask any thing other than the business of the House at this stage. We are proceeding in accordance with the decision taken with the Consent of the opposition groups.

Dr. Ram Manohar Lohia : My constitutional right should not be taken away. The business of the House is very important, therefore, discussion should be held on it.

Mr. Speaker: This issue had already been raised in the past by other Members also and I had given my ruling on it. This issue cannot be finally decided by raising it here again and again by different members.

I have already stated that there are many difficulties in having disscussion. Therefore the discussion cannot be allowed. Parliament includes both the Houses. Neither we can have discussion on the expenditure of the Rajya Sabha nor will it tolerate any criticism made by this House.

Suppose if we have discussion on Lok Sabha Demands, who will reply the debate and who will be criticised. It may be the Speaker. If criticism to levelled against the Speaker, who will reply to the criticism ? If Speaker is to reply the debate, who will occupy the chair while the Speaker replies to the debate ? The Constitution does not permit any body to occupy the Chair as long as the Speaker is present in the House.

Last time it was suggested that the Minister of Parliamentary Affairs might reply to the debate. If it is agreed to, first I will have to satisfy the Minister of Parliamentary Affairs about the correctness of the expenditure of the Lok Sabha. It means that I would be placed under him and I should request the hon. Minister to reply the debate on my behalf.

The estimates and expenditures are audited by the Auditor-General and hon. Member can see his Report any time they like last time I promised that a Committee of three Members—The Chairman, Estimates Committee, the Chairman, Public Accounts Committee and the Deputy-Speaker should be constituted. This Committee could examine the estimates before they are included in the Budget. It was according ly implemented and estimates were included in the budget after they examined them.

Later on I agreed to consider the suggestion given by Shri Hari Vishnu Kamath that one Member from the oppostion groups should also be included in the said Committee. Nothing more can be done in this matter otherwise the Lok Sabha Secretariat will not be able to work.

Hon. Members may write to me in case they have any complaint and I will try to satisfy them as far as possible. But it is unfair to place me under a Minister. I cannot interfere in the present agrrangements.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is not a question of misuse of public money. I want an opportunity only to speak on procedure adopted by the House and on the behaviour of the Members belonging to Majority group.

Mr. Speaker : That opportunity is always there.

श्री स० मो० बनर्जी : आपने कहा था कि आपने समिति नियुक्त कर दी है । यद्यपि मैं समझता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए, किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । चूंकि इस सचिवालय की सेवा की शर्तें गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हैं अतः क्या गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय हम इस सचिवालय के कर्मचारियों की काम की दशा तथा सेवा शर्तों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : You may discuss Ministry of Home Affairs. We adopt all the rules framed by that Ministry and the staff of this Secretariat is govenred by these rules. But I cannot allow the staff that they should approach the hon. Member for their gruvances.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान इस सचिवालय का उल्लेख किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : समझ में नहीं आता कि यह गम्भीर स्थिति क्यों पैदा हो गई है । मैं समझता हूं कि हम सब को प्रजातंत्रीय ढंग से स्थापित की गई संसदीय परम्पराओं को मानना चाहिए । आपके द्वारा नियुक्त समिति सचिवालय से सम्बन्धित सभी कार्यों के बारे में जांच करके आपको सलाह दे सकती है । हमें पूरा विश्वास है कि समिति के सुझावों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जायेगा । समिति के विस्तार के बारे में चर्चा करने का यह उचित अवसर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ।

Shri Satya Narayan Sinha : As regards the point raised by Shri Prakash Vir Shastri, I am not aware of the report published in the newspaper but Government has not yet taken any decision in respect of amending the Official Languages Act. It is under consideration and cannot be included in the business of House for next week.

श्री बनर्जी का सवाल बहुत पुराना है और हर बार आता है । मैंने इस सम्बन्ध में श्रम और रोजगार मंत्री से बातचीत की थी कि बोनस कमीशन के बारे में विधेयक चालू सत्र में पास हो सकेगा कि नहीं । इस विधेयक के सम्बन्ध में कई कठिनाइयां हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य भी जानते हैं । किन्तु सरकार इसे पुर:स्थापित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है ।

Shri Kishen Pattnayak : The Constitution provides that cut motions can be moved on demands once presented in the House. But the cut motions on Demand No. 109 moved by me and by Shri Madhu Limaye are not being admitted in the name of conventions. It is not a matter of convention but it is a Constitutional right. How can you take this right.

Mr. Speaker : Since it cannot be discussed it is not being admitted.

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

रबड़ बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3)(इ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3)(इ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Speaker, I beg to submit something about yesterday's proceedings.

Mr. Speaker : The House has already taken decision on it. I therefore, cannot reopen it.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) **:** The proceeding was not in order.

Mr. Speaker : Hon. Member may resume his seat.

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर आगे विचार करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): एक विकासशील देश को, विशेषकर भारत जैसे विशाल देश को भारी समस्याओं, कठिनाइयों तथा दबाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इसे आकाशवाणी की ओर एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आज देश में परिवार नियोजन, खाद्य आदि कई ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें हल करने में मंत्रालय काफी सीमा तक मदद कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि आकाशवाणी के केन्द्रों को केवल सरकार के समाचारों को प्रसारित करने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अपितु उन्हें सजीव तथा सक्रिय होना चाहिए और वे दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सम्पर्क करके उन्हें देश के विकास कार्य में लगायें और उन्हें अधिक जानकारी दे कर राष्ट्र निर्माण कार्य में अधिक रचनात्मक कार्य करने लायक बनायें। हमें लोगों में जागृति पैदा कर के एकता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई विद्यालंकार समिति ने कई महत्व पूर्ण सुझाव दिये थे। उन में से अनेक सुझावों को क्रियान्वित कर दिया गया है, अन्य कुछ सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है तथा शेष सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

वादविवाद के दौरान उठाये गये प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। समय की कमी के कारण यदि कोई बात रह भी जायेगी तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों तथा सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, इस मंत्रलय के क्षेत्राधिकार में न तो विदेशी मुद्रा देना है और न ही अखबारी कागज का आयात करना है। इन दो तरीकों के समाचारपत्र उद्योग परस्पर सहयोग द्वारा स्थिति में सुधार कर सकते हैं। प्रथम तो यह कि उद्योग के प्रतिनिधि संगठन अखबारी कागज के दुरुपयोग को रोकने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बताया गया है कि अखबारी कागज का काफी दुरुपयोग किया जाता है। दूसरी बात यह कि उद्योग द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये गये सूत्र के आधारित पृष्ठों के अनुसार स्वेच्छा से मूल्य निश्चित किये जा सकते हैं।

सरकार समाचारपत्र उद्योग में निरन्तर बढ़ रहे एकाधिकार से चिन्तित है क्योंकि वास्तविक रूप से स्वतन्त्र तथा प्रतिनिधि प्रैस के विकास के लिए हानिकारक है। एकाधिकार आयोग को कहा जा रहा है कि वह इस मामले में जांच करके हमें सलाह दे।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

समाचारपत्र एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। जिसके लिए आरम्भ में काफी धन की आवश्यकता होती है। इसके कारण छोटे और क्षेत्रीय समाचारपत्रों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंत्रालय इन छोटे तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों को यथासंभव सहायता दे रहा है। हम इस बारे में और अधिक मार्गदर्शन के लिए दिवाकर समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

स्टाफ आर्टिस्टों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। आशा है उनकी कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जायेंगी। अक्तूबर, 1964 के बाद की गई नियुक्तियां 5 वर्ष की अवधि के आधार पर की गई हैं। जो कर्मचारी इससे पहले सेवा में थे उन पर भी यह नियम लागू करने के लिये कार्यवाही की गई है। इस समय 1,800 से भी अधिक स्टाफ आर्टिस्ट हैं। अतः औपचारिक रूप से नये ठेके देने में कुछ समय लगेगा। उन्हें वे सभी भत्ते दिये जा रहे हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। स्टाफ आर्टिस्ट संगठन का गठन करने तथा उसे मान्यता देने के सम्बन्ध में मन्त्रालय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। तथापि, नये आदेश के अनुसार हमें गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारी संगठन को मान्यता देने से सम्बन्धित नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

मॉनिटरिंग कर्मचारियों के वेतन क्रम बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि हिन्दी के टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों के वेतनक्रम अंग्रेजी के टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों से कम हैं। इस सम्बन्ध में जांच करने से पता चला है कि उनमें कोई अन्तर नहीं है।

विविध वर्गों के अनुसूचित जातियों के लिये जो कोटा निर्धारित किया गया है कभी-कभी उनके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं। अतः हम उन पदों को रिक्त ही रखते हैं।

प्रकाशन विभाग के बारे में कुछ आलोचना की है। मैं सदस्यों को इस बारे में बताना चाहती हूं। प्रकाशन विभाग की 1961 और 1963–64 में जांच पड़ताल की गई थी।

इसमें केवल आधे प्रतिशत से भी कम का फर्क पाया गया। यह फर्क नहीं के बराबर है। प्रकाशन विभाग के कार्यों के प्रगति के मार्ग में स्थान की कमी बाधक है। इससे पुस्तकों को रखने में कठिनाई होती है। हम स्थान की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

दक्षिण के कुछ माननीय सदस्यों का यह कथन बिल्कुल निराधार है कि तामिल और तेलगू कार्यक्रमों की हिन्दी में घोषणा की जाती है। सभी कार्यक्रमों की घोषणा प्रादेशिक भाषाओं में की जाती है। केवल विविध भारती के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है अतः इसके कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय सरल हिन्दी में दिया जाता है।

कुछ कांग्रेस दल के सदस्यों ने मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि आकाशवाणी से विरोधी दल के सदस्यों को प्रसारण की अधिक सुविधायें दी जाती हैं। मैं समझती हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैंने मंत्रालय का भार संभालने के बाद इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि आकाशवाणी से विभिन्न दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा विवाद वाले तथा अन्य विषयों के बारे में वाद-विवाद प्रसारित किये जायें।

यह सच है कि मंत्रालय आंतरिक तथा वैदेशिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति नहीं कर पाया है । मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि अब मंत्रालय इस दिशा में भरसक प्रयत्न करेगा और कार्यक्रम में सुधार करके और नये केन्द्र तथा सहायक केन्द्र स्थापित करके मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे जिससे देश भर में उचित रूप से प्रसारण किया जा सकेगा । कालीकट में कुछ समय पूर्व प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जा चुका है तथा कच्छ को नये कार्यक्रम में शामिल किया गया है । प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की कटु आलोचना की है । यह सच है कि इस समारोह में कुछ गड़बड़ अवश्य रहीं । इसका कारण कुछ सीमा तक हमारी त्रुटियां हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर थीं । किन्तु निश्चय ही यह कहना अनुचित है कि यह समारोह पूर्णतया असफल रहा । विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने तथा पत्रों ने इसकी काफी प्रशंसा की है ।

श्री कर्णी सिंहजी ने परिवार नियोजन पर फिल्म बनाने पर जोर दिया है । हम ने परिवार नियोजन पर आठ फिल्में बनाई हैं और इनमें से एक को राष्ट्रमंडल द्वारा 1964 में दिये गये पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम वृत्त-चित्र घोषित किया गया था । इस सम्बन्ध में छः और छोटी फिल्में बनाई जा रही हैं ।

जहां तक बच्चों को निःशुल्क फिल्में दिखाने का सम्बन्ध है राज्यों में फीचर फिल्मों का प्रदर्शन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है । मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि हम समूचे मंत्रालय को तथा समस्त प्रसारण केन्द्रों में गति लाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं ।

विदेशों के लिये प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिये शार्ट वेव के दो शक्तिशाली ट्रांसमिटर अगले वर्ष के आरम्भ में दिल्ली में काम करने लगेंगे । एक 1000 किलोवाट का मिडियम वेव का ट्रांसमिटर भी लगाया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ ने कहा कि 500, 500 किलोवाट के दो ट्रांसमिटरों से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो 1000 किलोवाट का शक्तिशाली ट्रांसमिटर चाहिये । मैं कहना चाहती हूं कि 2 ट्रांसमिटरों का सुझाव हमें हमारे विशेषज्ञों ने सारी समस्या पर विचार करके दिया था ।

हम ने फार्म तथा गृह प्रसारण निदेशालय और श्रोता अनुसन्धान निदेशालय स्थापित करने का निर्णय किया है । सस्ते ट्रांज़िस्टर सेटों के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जायेगी । वित्त मंत्रालय सस्ते रेडियो और ट्रांज़िस्टर सेटों के लिये 5 रु० का लाइसेंस शुल्क लेने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है । 35 प्रतिशत नये रेडियो सेट कुटीर उद्योग द्वारा बनाये जाते हैं । तीसरी योजना का 8 लाख सेटों का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जायेगा ।

समाचार विभाग के सम्बन्ध में हम ने छह स्थानीय समाचार एकक स्थापित करने का फैसला किया है । जानकारी विभाग स्थापित किये जा रहे हैं । सीमा प्रचार मज़बूत किया जा रहा है ।

हम चाहते हैं कि हमारे कार्यों और योजनाओं में अधिक से अधिक युवक भाग लें । कलाकारों को विस्तृत क्षेत्रों से लेना चाहिये । और स्वतंत्र चर्चा के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया

[श्रीमती इंन्दिरा गांधी]

जाना चाहिये । स्थानीय विषयों पर प्रसारण चर्चाएं होनी चाहियें । ज़िला प्रसारण की राष्ट्रीय पद्धति की संभावना पर हम विचार कर रहे हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम ने लगभग दो घंटे की दैनिक सेवा के लिये दिल्ली टेलीविज़न का विस्तार करने का निर्णय किया है । इसके लिये हमें पश्चिम जर्मनी सरकार ने पूर्ण टेलीविज़न स्टूडियो स्थापित करने और प्रशिक्षण सुविधाएं देने की पेशकश की है । चार और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

हम केन्द्रीय सूचना सेवा (सेंट्रल इंफार्मेशन सर्विस) के वेतनक्रमों और सेवा की शर्तों में भी संशोधन करना चाहते हैं । अधिक योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये कुछ पदों का स्तर ऊंचा उठाने का भी निर्णय किया गया है ।

माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि अगस्त, 1965 तक संहित संचार की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का हमारा विचार है । आरम्भ में 70 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

विदेशी दर्शक हमारे काम से बड़े प्रभावित हुए हैं, यद्यपि इस मामले में हमारे पास सीमित संसाधन हैं । भारत में हम चाहते हैं कि किसी भी परियोजना से हमें शीघ्रअतिशीघ्र अधिक से अधिक लाभ हो । परियोजना आरम्भ भी नहीं की जाती कि आलोचना पहले से ही शुरू हो जाती है । यदि हम अपने युवकों को आरम्भ में ही इस प्रकार डरा और घबरा देंगे तो उनकी भावनाएं मर जायेंगी और वे कोई ठोस कार्य नहीं कर सकेंगे । हमारे देश ने जो प्रगति की है वह कोई मामूली नहीं है । ऐसा इसलिये हो सका है कि हमारी विदेशी नीति गुटों से अलग रहने की थी और घर की नीति सामाजिक विकास की थी । जब कि सरकार अपनी नीति पर चल रही थी लोगों ने वे जिन पदों, स्थानों अथवा कार्यों में लगे हूए थे वहां पर रहते हुए सरकार को योग दिया है ।

यह सच है कि सरकार की नीतियां और कार्यवाहियां हमारे देश का एक अच्छा चित्र खींच रही हैं । मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि उनकी आलोचना द्वारा लोगों पर और विदेशों में बुरा असर पड़ सकता है । इसलिये उनको सोच-समझ कर आलोचना क नी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands in respect of Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
69	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	14,83,000
70	प्रसारण	5,38,73,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपया
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,12,29,000
134	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,58,42,000

पुनर्वास मंत्रालय

वर्ष 1965-1966 के लिये पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
84	पुनर्वास मंत्रालय .	32,20,000
85	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	9,30,86,000
139	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	9,19,20,000

श्री च० ना० सिंह (सुन्दरगढ़) : विस्थापितों को बसाने की समस्या हमारे देश की एक बड़ी और पुरानी समस्या है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं। वे लोग अपनी जान बचाने के लिये भारत की ओर भागते हैं। यह ठीक है कि यदि हम खुल्लम खुल्ला हर व्यक्ति को पाकिस्तान की ओर से भारत में आने देंगे तो पाकिस्तानी जासूसों के यहां आ जाने का खतरा है। और इसके लिये सरकार ने प्रमाणपत्र दिखाने का तरीका चालू किया है। परन्तु मेरा एक निवेदन है। जबकि उन लोगों को पाकिस्तान से भागते समय अपनी जान बचाने की पड़ी है, प्रमाण पत्र आदि की ओर ध्यान देना बड़ा कठिन है। सरकार को इन औपचारिकताओं की ओर अधिक सख्ती से नहीं देखना चाहिये। वे लोग सीमा पर भूख से मर रहे हैं और वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों पर जासूसी का शक करना उचित नहीं है। उन पर दया करनी चाहिये और उन्हें आने देना चाहिये।

जो विस्थापित व्यक्ति उप-उच्चायुक्त ढाका से प्रमाणपत्र लेकर भारत में आते हैं उनको सरकार सहायता देती है। शरणार्थियों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिये सरकार ने शिविर स्थापित किये हुए हैं। यहां पर शरणार्थियों को 50 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन भत्ता दिया जाता है। आजकल इतने बढ़े हुए मूल्यों में इतने पैसों में एक समय का खाना भी नहीं मिल सकता है। इसलिये इस भत्ते को बढ़ा कर कम से कम एक रुपया तो कर ही देना चाहिये।

अन्तर्कालीन शिविरों (ट्रांज़िट कैम्पों) में बड़ा बुरा हाल है। 5 सदस्यों के एक परिवार को प्रति मास 70 रु० मिलते हैं। हो सकता है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाएं मिलती हों, परन्तु भोजन के लिये तो यही कुछ मिलता है और लोग आधे भूखे रह कर गुज़ारा कर रहे हैं। यह तो समस्या का कोई समाधान नहीं है।

दण्डकारण्य में शरणार्थियों को बसाने का विचार था। यह योजना 8 वर्ष पहले बनाई गई थी। अब हमें यह अनुमान लगाना चाहिये कि इसमें हमें कहां तक सफलता मिली है।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र की सरकारें केन्द्र का साथ देने के लिये तैयार हैं। परन्तु फिर भी इस परियोजना में विशेष सफलता नहीं मिली है। कारण यह है कि ज्यादातर शरणार्थी कृषक नहीं थे। वे तकनीकी व्यक्ति थे। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योगों का विकास करके उनको काम देने के प्रश्न पर गौर करने की जरूरत है। उद्योग के लिये संगठन और पैसे की जरूरत है और पुनर्वास मंत्रालय के पास दोनों में से किसी की भी कमी नहीं है। शरणार्थियों को सहायता के रूप में अनुदान देने की बजाये उनके लिये सरकार को उद्योग चलाने चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : 16–17 वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि सरकार शरणार्थियों की समस्या से तंग आ गई है और थक गई है। परन्तु हमें भूलना नहीं चाहिये कि इन्हीं लोगों ने सरकार को शक्ति प्रदान की है।

कभी कभी मैं ऐसा समझती हूं कि हम अनुभव करने लगे हैं "अच्छा, हम क्या कर सकते हैं?" पूर्वी पाकिस्तान से लोग थोड़े थोड़े समय के बाद आते रहते हैं और इसी लिये हम उनको बसा नहीं पाते हैं।

श्री सोलंकी (कैरा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है . . . . .अब गणपूर्ति है।

श्रीमती रेणुच क्रवर्ती : श्रीमान्, हमें यह समझना है कि शरणार्थी तो अभी भविष्य में आते रहेंगे। 1946 और बड़ी मारधाड़ के बाद 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में बड़े दंगे हुए थे। 1962 में फिर हिन्सा का ज़ोर हुआ था। 1964 में सब से बुरे दंगे हुए और इस समय जब कि पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर गोलियां चल रही हैं सरकार सीमा को बन्द करना चाहती है।

हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इन लोगों को शरण देने और बसाने का जो वायदा दिया था अब सरकार उससे हटना चाहती है और अपनी जिम्मेवारियों को कम करने की कोशिश कर रही है।

15 अक्तूबर, 1952 को प्रव्रजन प्रमाणपत्र लागू किये गये। उस समय हम ने इसका विरोध किया था। बाद में, 1958 में यह निर्णय किया गया कि 31 मार्च, 1958 के बाद भारत में जो भी व्यक्ति आयेगा उसको पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जायेंगी। फिर 1964 में पूर्व पाकिस्तान में हिंसा के दबाव के कारण इस कानून को उदार बनाया गया। मार्च के वाद-विवाद के पश्चात यह निर्णय किया गया कि जो व्यक्ति बिना यात्री दस्तावेज़ के आयेंगे उनको भी सुविधाएं दी जायेंगी। फिर 1 नवम्बर, 1964 को घोषणा की गई कि सुविधाओं के लिये केवल वे ही पात्र होंगे जो अपने साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र लेकर आयेंगे। फिर 1 मार्च, 1965 को सीमा बन्द करने के लिये आदेश पास किये गये।

हाल ही में जो 8.56 लाख विस्थापित व्यक्ति आये हैं उनमें से 51.6 प्रतिशत बिना दस्तावेज़ों के आये हैं। ढाका से प्रव्रजन प्रमान पत्र लेने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इनमें से केवल 3.39 व्यक्तियों को ही सरकारी शिविरों और सहायता केन्द्रों में ले जाया गया है। आपके अपने आंकड़ों के अनुसार बहुत थोड़े लोगों ने आपके पास सहायता के लिये प्रार्थना पत्र भेजे हैं। अधिकांश ने अपने आप ही अपने लिये काम ढूंढ लिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 1964 में दण्डकारण्य में 7,603 शरणार्थी परिवार थे, अर्थात् पुराने प्रव्रजक। दिसम्बर, 1964 में वहां पर नये और पुराने प्रव्रजकों को मिला कर कुल 10,278 परिवार थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दण्डकारण्य में केवल 2,207 नये प्रव्रजकों को ले जाया गया था।

परियोजना क्षेत्रों में केवल 6,000 विस्थापित व्यक्तियों को भमि दी गई है।

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : ये हमारे आंकड़े नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ये आपके आंकड़े हैं। मैं ने आपके पत्रों से ही इन्हें निकाला है।

केवल इतना ही नहीं शरणार्थियों को जो भूमि दी गई है उसकी मिट्टी अच्छी नहीं और वह उपजाऊ नहीं है। उसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है। 11,000 एकड़ भमि में से केवल 1,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*

दिसम्बर, 1963 की जनगणना के अनुसार एक खण्ड में बसाये गये 40 प्रतिशत लोगों के पास केवल 10 मन धान थी, अर्थात्, उनके पास केवल 2 या 3 महीने के लिये ही खाने का प्रबन्ध था।

गैर-कृषक विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आरम्भ में हम से यह वायदा किया गया था कि विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य भेजा जायेगा। और अब उन्हें इधर उधर भेजा जा रहा है और न ही उनको भूमि दी गई है।

उनकी दशा बहुत खराब है। उनको जीविका कमाने के लिये कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। भारी प्रशासन उनके लिये रखा गया है जिस पर 1.10 करोड़ रु० खर्च हो रहा है। यदि इसकी आधी राशि ही उनके पुनर्वास पर खर्च कर दी होती तो उनको काफी राहत मिल जाती। इन 40,60,80 गैर-कृषक शरणार्थियों का कोई घर-बार नहीं है। उनको बहुत कम दुकानें दी गई हैं। और वे भी ऊंचे किराये के कारण खाली पड़ी हैं। लघु उद्योग भारी घाटे में चल रहा है।

मैं देखती हूं कि शिविरों में केवल 32 सारे मास के लिये निर्वाह मजूरी के रूप में दिये जाते हैं। क्या इतनी थोड़ी सी मजूरी से कोई अपने आपको जीवित रख सकता है? फिर उद्योगों के लिये 180.32 लाख रु० की जो राशि आवंटित की गई है उसमें से 100 लाख रु० 5,000 किराये के भवन बनाने के लिये है। वे खायेंगे क्या? फिर अनेक प्लाटों में परियोजना कर्मचारी रह रहे हैं। शिक्षा के लिये बहुत कम पैसा रखा गया है। अध्यापकों की भारी कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मेरी समझ में नहीं आता है कि पश्चिम बंगाल सरकार विस्थापितों की विधवाओं को बसाने का काम अपने कंधे पर क्यों नहीं लेती है। केन्द्र सरकार और प० बंगाल की सरकारों ने बड़ा कठोर रवैया अपना रखा है और बेचारी औरतों को मुसीबत का शिकार होना पड़ रहा है। कोई भी उनको बसाने की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है।

अनधिकारवासियों की बस्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में झगड़ा है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि जब तक नगरपालिकाएं इन बस्तियों को बनाये रखने की जिम्मेवारी नहीं लेंगी पैसा नहीं दिया जायेगा। प० बंगाल सरकार कहती है कि इस वर्ष केन्द्र ने कोई पैसा नहीं दिया है।

मंत्री महोदय ने स्वयं मुझे लिखा है "पुराने प्रव्रजकों के लिये मैं अपने दायित्व को घटाना चाहता हूं।" उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप शिविरों में जा कर स्त्रियों की हालत देखिये। टीटागढ़ महिला शिविर में शौचालयों के दरवाजे तक नहीं हैं, छतें चूती हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये कोई अवसर नहीं हैं। वहां पर उनको सहायता के रूप में क्या दिया जा रहा है? 15 दिनों के लिये 4.90 रु० और 2 सेर चावल। क्या हम उनके लिये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते?

पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा है कि 149 बस्तियों को नियमित करना है और उनमें से केवल 136 को नियमित किया गया है और 8 को आंशिक रूप में। इसका क्या मतलब है? फिर बहुत कम परिवारों को भूमि का कब्जा दिया गया है। केवल निम्नतम विकास कार्य आरम्भ किया गया है।

पटना उद्बस्ती पल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। केवल कुछ सड़कें बनाई गई हैं और वे भी शरणार्थियों द्वारा और कुछ नहीं, न पानी है, न बिजली है और अन्य कोई सुविधा है।

नेताजी कालोनी, बैरकपुर में 6,000 व्यक्ति रह रहे हैं। वहां पर नालियों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। बिजली नहीं है। वर्षा ऋतु में यह पानी से भर जाती है। बाजार के लिये वहां के लोगों ने और अधिक भूमि की मांग की है क्योंकि वह अपर्याप्त है।

मलिक बस्ती तो बिलकुल नरक के समान है। वहां सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है।

सेवा ग्राम बस्ती में ठकेदारों ने सारा पैसा खा लिया है और जो नालियां बनाई थीं वे गिर गई हैं। फिर सरकार कहती कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं।

अब सरकारी बस्तियों को लीजिये। गन्दी बस्ती से 42 व्यक्तियों को बोनहुगली बस्ती में ले जाया गया था क्योंकि वहां पर एक औद्योगिक योजना थी और उन लोगों से वायदा किया गया था कि उन्हें सभी पुनर्वास सुविधाएं दी जायेंगी। यदि आप जायें तो देखें वे लोग बरसात में घुटने घुटने पानी में रह रहे हैं। मैंने इसके बारे में पुनर्वास मंत्रालय को कई बार लिखा है परन्तु कोई उत्तर नहीं मिलता है। बन्धाब नगर बस्ती में भी सड़कों, पानी और नालियों की ऐसी हालत है। वहां पर नलकूप लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच बहुत लम्बी लिखा पढ़ी चली है और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

अब गैर-कृषक परिवारों को मकान बनाने के लिये प्लाट देने के प्रश्न को लीजिये। राज्य सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार 1250 रु० की अधिक सीमा को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। आप ही बतायें कि उपनगरीय क्षेत्र में आपको 1250 रु० में मकान का प्लाट कौन दे देगा।

जो दुकानें बनाई गई हैं वे दिल्ली की शंकर मार्किट जैसी नहीं हैं। शरणार्थियों ने पटरियों पर जो छोटी मोटी दुकानें बना ली थीं वे गिराई जा रही हैं। मैं पूछती हूं कि उन के ऐसे अन्य स्थान पर दुकानें क्यों बनाने नहीं दिया जा रहा है, जहां कि वे अपनी जीविका कमा सकें।

ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कि प्लाटों का अर्जन चल रहा था वहां पर भी इस मंत्रालय ने अर्जन कार्यवाही को रोक दिया है ।

मैं पूछना चाहती हूं कि जो व्यक्ति बिना प्रव्रजन पत्र के भारत में आये हैं उनके नागरिकता अधिकारों का क्या किया जायेगा । हमारे नागरिकता कानून के अनुसार तो जो पाकिस्तान से आये हैं उनको निश्चय ही यह अधिकार दिया जाना चाहिये । जनवरी और फरवरी, 1964 में जो व्यक्ति आये हैं उनको नागरिकता अधिकार दिये गये हैं । परन्तु जो बाद में आये हैं उनसे एक परिपत्र द्वारा याचिकाएं मांगी गई हैं । आप उनकी जांच करके उन्हें अधिकार दीजिये ।

मैं श्री त्यागी से निवेदन करती हूं कि वे अपने सहसचिवों और सचिवों को अपने पर हावी न होने दें और अपनी बुद्धि से काम लें । यह अच्छा होगा यदि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को एक स्वायत्त शासी निगम में बदल दिया जाये ।

पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
84	1	श्री यशपाल सिंह	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को और अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
84	2	श्री यशपाल सिंह	पूर्व-पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की शीघ्र व्यवस्था करना ।	100 रुपये
84	3	श्री यशपाल सिंह	शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को और अधिक सुख-सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
84	4	श्री यशपाल सिंह	विस्थापित व्यक्तियों को अण्डमान में बसाने में विलम्ब ।	100 रुपये
84	5	श्री यशपाल सिंह	विशेषकर उद्योग चालू करने के सम्बन्ध में पुनर्वास उद्योग निगम का कामकाज ।	100 रुपये
84	6	श्री यशपाल सिंह	शिविरों में अनुशासन और शांति तथा व्यवस्था कायम रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	13	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	1 जनवरी, 1964 के बाद आने वाले नये आव्रजकों को बसाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
85	14	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल में ठहरे हुये नये आव्रजकों को दिये जाने वाले पुनर्वास लाभों के स्वरूप ।	100 रुपये
85	15	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	शरणार्थियों के आगमन तथा उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार का अपना दायित्व कम करने का निरन्तर प्रयत्न ।	100 रुपये
85	16	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नागरिकता विधि में उल्लिखित शर्त पूरी करने के बाद भी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान न करना ।	100 रुपये
85	17	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	31 मार्च, 1958 तक भारत आये हुए सभी शरणार्थियों को, बसाने के सम्बन्ध में वचनों को पूरा न करना ।	100 रुपये
85	18	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल में सभी "पात्र" शरणार्थियों के लिये मकानों के लिए भू-खण्ड अर्जित करने तथा इमारतें बनाने के सम्बन्ध में वचन पूरा न करना।	100 रुपये
85	19	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	जिला हुगली में डाकखाना कोन्नागड़ में कालीतोता बस्ती के सम्बन्ध में अर्जन-कार्यवाही समाप्त कर देना ।	100 रुपये
85	20	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल में कोडालिया 24-परगना में अगापुर-मसुन्डा योजना-2 के लिये भूमि-अर्जन में विलम्ब ।	100 रुपये
85	21	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	31 मार्च, 1958 से पहले आये हुए शरणार्थियों को, जो मुसलमानों और हिन्दुओं के घरों में रहा दे रहे थे, आवास-लाभ देने से सम्बन्धित नीति ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
85	22	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नन्दी बस्ती से निकाले गये और बोनहुगली सरकारी बस्ती, 24-परगना में भेजे गये शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में वचन पूरा न करना ।	100 रुपये
85	23	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बनहुगली बस्ती, बान्धबनगर बस्ती, 24-परगना, जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित बस्तियों में वर्तमान स्थिति ।	100 रुपये
85	24	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नियमित बनाने के लिए ली गई बस्तियों में विकास कार्यों की धीमी प्रगति ।	100 रुपये
85	25	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पटना उद्बस्ती कालोनी, उत्तर दमदमनगर पालिका, 24-परगना जैसी बस्तियों को नियमित न करना ।	100 रुपये
85	26	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	स्थायी दायित्व शिविरों में महिलाओं की हालत में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	27	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	आसाम में दरांग जिले में शरणार्थियों की दशा में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
139	30	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दण्डकारण्य परियोजना की प्रगति ।	100 रुपये
139	31	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पुनर्वास उद्योग निगम का कामकाज ।	100 रुपये
139	32	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की कार्यप्रणाली ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : जब से शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई है, न ही तो केन्द्रीय सरकार ने तथा न ही तो राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये गम्भीर

[श्री अ० चं० गुहा]

रूप से कोई उपाय किये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को लगभग बसा दिया गया है क्योंकि भारत से पाकिस्तान को गये हुए मुसलमानों की सम्पत्ति उन्हें दे दी गई है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये इस प्रकार की कोई सम्पत्ति नहीं थी और इसी कारण यह समस्या जटिल बन गई है।

इस बारे में गम्भीर रूप से जो उपाय किया गया है, वह सरकार द्वारा दण्डकारण्य परियोजना का स्थापित किया जाना है। परन्तु आन्तरिक झगड़ों के कारण इस परियोजना का कार्य दक्षतापूर्वक नहीं हो रहा है। मुझे आशा है कि सरकार इन मामलों में सुधार करने के लिये उपाय करेगी?

मैं दण्डकारण्य परियोजना के बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन देश के सामने है। इस प्राधिकार को स्वायत्तता दी जानी चाहिये ताकि यह उचित प्रकार काम कर सके।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिये, जैसाकि मैंने पहले कहा, कोई विशेष पग नहीं उठाये गये हैं। यह कहा गया है कि इन शरणार्थियों पर 202 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु इस राशि में से 60 करोड़ रुपये उनके पुनर्वास के लिये नहीं परन्तु उनकी सहायता के लिये खर्च किये गये हैं। फिर दण्डकारण्य परियोजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह धन तो उस क्षेत्र के सामान्य विकास के लिये व्यय किया गया है न कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये। शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी वास्तविक कार्य के लिये इस राशि का केवल 25 से 30 प्रतिशत भाग खर्च किया गया है। इसलिये ये आंकड़े ठीक नहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शरणार्थियों के पुनर्वास के बाद की समस्याओं के बारे में दो वर्ष पहले कोई निर्णय किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल तथा असम में बसाये गये शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास की जिम्मेदारी ली थी। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पीछे न हटेगी और इन शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास करने का भरसक प्रयत्न करेगी।

आजकल भारत में आ रहे शरणार्थियों के बारे में तीन दिन पहले इस सभा में यह कहा गया था कि सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। प्रक्रिया अब भी जटिल है। भारत आने वाले व्यक्ति को इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र लेने के लिये ढाका जाना पड़ता है और वहां काफी दिन रहना पड़ता है। उसे उसी समय प्रमाणपत्र नहीं मिलता और सम्बन्धित अधिकारी उसे दो महीने बाद, छः महीने बाद या एक साल के बाद बुला सकता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि यह प्रक्रिया आसान कर दी गई है।

ऐसा कहा गया है कि प्रमाण-पत्र के लिये कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसा नहीं है जिसे निपटाया नहीं गया है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये हैं? मुझे डर है कि मामूली कारणों से बहुत से प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये हैं। यदि इस प्रकार उन्होंने इस समस्या का हल किया है तो यह कोई हल नहीं है।

भारतीय विधि-वेत्ता आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में ये अत्याचार इसलिये किये जा रहे हैं कि वे वहां गैर-मुसलमानों को समाप्त करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं श्री त्यागी को पूर्वी पाकिस्तान के अल्प-संख्यकों को भारत के नेताओं द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उसकी याद दिलाता चाहता हूं। पंडित जी तथा सरदार जी ने उन लोगों को यह स्पष्ट आश्वासन दिये थे कि आपत्ति के समय वे कभी भी भारत आ सकते हैं। अब उनको भारत आने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है तथा इसमें कोई नैतिकता नहीं है। सीमा पर बैठे हुये अधिकारियों को यह हिदायतें दी जानी चाहियें कि किसी भी व्यक्ति को पीछे न धकेला जाये।

जब तक भारत तथा पाकिस्तान में सम्बन्ध ठीक न होंगे उस समय तक वहां अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें उनका कोई दोष नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार उनका विरोध करती है। पाकिस्तान की सरकार उनका इसलिये विरोध करती है क्योंकि यह भारतीय सरकार का विरोध करती है। यदि भारतीय सरकार पाकिस्तान की सरकार से अपने सम्बन्ध ठीक कर ले तो वहां से अल्पसंख्यकों को भारत आने के लिये इतना दबाव नहीं पड़ेगा। तोड़-फोड़ का कार्य करने वाले व्यक्ति इन शरणार्थियों में से नहीं है परन्तु यह वे व्यक्ति हैं जो विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में घुस आये हैं।

मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि 47,561 परिवारों में से 18,100 परिवार शिविर छोड़ कर चले गये हैं। यह एक गम्भीर समस्या है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। 90,000 लोग शिविर छोड़ कर चले गये हैं और पता नहीं कहां गये हैं। वे समाज-विरोधी तत्वों का रूप धारण कर लेंगे। इसलिये मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि लोगों द्वारा शिविर छोड़ने में बड़ा खतरा है।

शिवर में रहने वाले लोगों के परीक्षण-कार्य से शिविर से लोग भाग रहे हैं। यदि कुछ लोग अपने परिवार पीछे छोड़ आये हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इससे तो सरकार का पुनर्वास सम्बन्धी कार्य आसान हो गया है। इन शरणार्थियों के पास भू-सम्पत्ति थी और इन्हें कृषक माना जाना चाहिये। इनमें से कई दूसरों की भूमि में कृषि करते थे। परीक्षण से कोई लाभ नहीं है। इन शिविरों में लोगों को एक लम्बा चौड़ा फार्म भरना पड़ता है। इनको डराने के लिये यह फार्म ही काफी है। भद्रावती शिविर से भी लोग भाग रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में श्री त्यागी को पत्र लिखा है और आशा है उन्होंने सम्बद्ध सरकार से बातचीत की होगी।

इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये आधार यह नहीं होना चाहिये कि इनके पास पूर्वी पाकिस्तान में कितनी कृषियोग्य भूमि थी परन्तु यह आधार होना चाहिये कि यहां हमारे पास कितने संसाधन हैं। मेरे विचार में 25 प्रतिशत व्यक्तियों को भी कृषि व्यवसाय पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमारे पास अधिक कृषियोग्य भमि नहीं है। इसलिये उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे ऐसा पता लगा है कि पुनर्वास उद्योग निगम ने उद्योगपतियों को एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं एक मंत्री था और मैंने उद्योगपतियों को बीस लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये के ऋण दिये थे और यह शर्त लगाई थी कि वे अपने उद्योगों में शरणार्थियों को नौकरी देंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुनर्वास उद्योग निगम को छोटे पैमाने के तथा कुटीर

[श्री अ० चं० गुह]

उद्योगों पर अधिक बल देना चाहिये, उसें स्वयं भी यह उद्योग स्थापित करने चाहियें और शनैः शनैः ये उद्योग शरणार्थियों को, जब वे उसका रुपया वापस करने के योग्य हो जायें, दे देने चाहियें।

ऐसी नीति अपनाई गई है कि जो लोग शिविरों में नहीं गये हैं, उन्हें पुनर्वास सम्बन्धी सहायता नहीं मिलेगी। यह एक खतरनाक नीति है। उनमें शरणार्थियों में से पांच लाख पश्चिमी बंगाल में रह जायेंगे। मेरे विचार में और लोग भी आयेंगे और वे भी पश्चिमी बंगाल में रह जायेंगे। इससे वहां बेकारी बढ़ेगी और वहां विधि तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी।

सभी शरणार्थियों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जानी चाहिये चाहे वे प्रमाण-पत्र लेकर आये हों अथवा नहीं। आप उन्हें घर तथा भूमि दें और वे कठिन परिश्रम करके अपने को भली प्रकार बसा लेंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि वे कठिन परिश्रम से डरते हैं।

मैं इस मंत्रालय की, और विशेषकर उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो माना शिविर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस योजना को पूरी शक्ति से लागू किया जायेगा तथा वहां और उद्योग स्थापित किये जायेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों के यहां आने के बाद पिछले अप्रैल में पुनर्वास मंत्रालय स्थापित करने का मैं स्वागत करती हूं।

इस मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह पता लगता है कि भारत आने के लिये प्रमाण-पत्र उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं तथा पुनर्वास सम्बन्धी सहायता केवल उन्हीं शरणार्थियों को ही नहीं दी जा रही है जिनके पास प्रमाण-पत्र हैं परन्तु अन्य शरणार्थियों की भी। परन्तु समाचार पत्रों से यह पता लगता है कि ऐसे शरणार्थियों को पीछे धकेला जा रहा है जो बिना किसी प्रमाण-पत्र के आ रहे हैं। इस नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अपने जीवन तथा सम्पत्ति को असुरक्षित समझते हैं और इसीलिये भारत आ रहे हैं। इन घबराये हुये शरणार्थियों को सहायता दी जानी चाहिये और साथ-साथ ही तोड़-फोड़ का कार्य करने वालों तथा अवैध रूप से भारत में घुस आने वालों लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 53 पर दिया गया है कि पुनर्वास से सम्बन्धित बाद की सभी समस्याओं का हल कर दिया गया है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है। कचार में पुराने शरणार्थियों में से 50 प्रतिशत को अभी बसाया नहीं गया है। चाय बागान में शरणार्थियों को बसाने के लिये भारतीय चाय संस्था योजना चलाई गई थी। इस बारे में लाखों रुपये व्यय किये गये परन्तु 25 प्रतिशत शरणार्थी भी नहीं बसाये गये। इस योजना की सफलता की जांच करने के लिये एक समिति बिठाई गई। मेरे विचार में इस समिति का प्रतिवेदन अभी भी सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

कचार में एक अन्य योजना रामकृष्णनगर ट्रैक्टर संगठन चलाई गई और वह बिल्कुल असफल रही है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस बात की जांच नहीं की गई है कि पुराने शरणार्थियों में से कितनों को बसाया गया है।

जहां तक नये शरणार्थियों का सम्बन्ध है, 1 जनवरी, 1964 से 31 जनवरी, 1965 तक नौ लाख नये शरणार्थी भारत आये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल हिन्दू ही नहीं परन्तु हजारों बौद्ध तथा ईसाई भी पूर्वी पाकिस्तान से यहां आ रहे हैं।

इस प्रतिवेदन से यह पता लगता है कि गारो पहाड़ियों तथा गोआलपाड़ा जिला में 12,000 एकड़ भूमि असम सरकार द्वारा दी गई है। जहां तक मेरी सूचना है यह केवल आदिवासियों को ही बसाया जायेगा। इस प्रतिवेदन में उन योजनाओं को लागू करने के लिये कुछ नहीं कहा गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह असम सरकार को अन्य योजनाओं को शीघ्र लागू करने के लिये कहे। यदि आदिवासियों को छोड़ कर दूसरे शरणार्थियों ने असम में ही रहना है तो कम से कम कृषि के लिये कुछ भूमि कृषि योग्य बनाई जानी चाहिये और गैर कृषकों को रोजगार देने के लिये वहां कुछ उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये माननीय मन्त्री को एक अभ्यावदन भी दिया गया था। यदि कचार में शीघ्र ही एक चीनी का कारखाना और एक कागज का कारखाना स्थापित कर दिया जाये तो काफी सीमा तक पुनर्वास की स्समस्या हल हो जायेगी।

इस बात का स्वागत है कि पुनर्वास उद्योग निगम फिर इस मन्त्रालय के अधीन आ गया है। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये उद्योग स्थापित करने के अतिरिक्त यह निगम राज्य सरकारों को उद्योग स्थापित करने की योजनाओं तथा माल बेचने के कार्य में सहायता देगा।

पुनर्वास के बारे में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस निगम द्वारा शरणार्थियों को रोजगार दिलाने में सन्तोषजनक कार्य नहीं किया गया है। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस निगम को लघु तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करने चाहियें जिन्हें शनैः शनैः शरणार्थियों को दे दिया जाना चाहिये और इस निगम की उद्योग ऋण योजना का कार्य उचित प्रकार किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निगम से लिये गये (ऋण से जिन उद्योगों की स्थापना हो, वहां वास्तव में शरणार्थियों को नौकर रखा जाये।

मैं सभा का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि दिसम्बर, 1964 के अन्त तक 3,51,716 व्यक्तियों को सीमा-स्थित स्वागत केन्द्रों से ले जाया गया था और 2 जनवरी, 1965 को शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,83,177 थी। इस कमी का कारण सरकार ने यह बताया है कि लोग अनुमति लेकर तथा बिना अनुमति के शिविर छोड़ कर चले जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि शरणार्थियों द्वारा शिविर छोड़ जाने के जो कारण सरकार ने बताये हैं, वे विश्वासोत्पादक नहीं हैं। उन्होंने यह सिफारिश भी की है कि शरणार्थियों द्वारा शिविर छोड़े जाने के कारणों की पूरी-पूरी जांच की जाये ताकि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा सकें।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर): भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोगों के यहां आने के कारण एक समस्या पैदा हो गई है। यह समस्या भारतीय सीमाओं को बन्द करने से हल नहीं होगी। इस सम्बन्ध में सरकार को पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करनी चाहिये। पिछले वर्ष इस सभा ने विश्व को इस बात से अवगत कराने के लिये कि अल्पसंख्यकों पर कितने अत्याचार किये गये हैं, सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया था। परन्तु यह खेद का विषय है कि सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है।

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

भारतीय विधिवेत्ता आयोग के प्रतिवदन में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने मानव अधिकार चार्टर के लगभग 25 अनच्छेदों की अवहेलना की है। परन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया तथा अन्तर्राष्ट्रीय और राजनयिक प्रचार नहीं किया जिससे कि पाकिस्तान अपना रुख बदलता।

पिछले वर्ष हमारे गृह-कार्य मन्त्री तथा पाकिस्तान के गृह-कार्य मन्त्री में सम्मेलन हुआ। परन्तु अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हुई। सरकार को यह याद रखना चाहिये कि अभी भी पाकिस्तान में 80 लाख अल्पसंख्यक हैं। आप स्वागत-स्थानों पर सीमाओं को बन्द कर सकते हैं परन्तु पाकिस्तान तथा भारत की लम्बी सीमा है जिसे बन्द नहीं किया जा सकता। मेरे ज़िले में 50,000 शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से अपनी सम्पत्ति का विनिमय करके आये हैं। आपको मेरे जिले में जाकर पता लगेगा कि ये लोग कितना धन पुलिस वालों को तथा सीमा रक्षकों को देते हैं ताकि ये शरणार्थी गंगा पार करके भारत आ सकें।

विभाजन के समय सरकार के उत्तरदायी मन्त्रियों ने अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी रक्षा की जायेगी। परन्तु आज यदि आप उन्हें भारत आने से रोकते हैं तो आप अपने उस आश्वासन को पूरा नहीं करते। पाकिस्तान में बड़-बड़े उद्योग हैं जिनके स्वामी भारतीय हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को इन उद्योगों के वहां होने के कारण सुरक्षा का अनुभव होता है। यदि पाकिस्तान से इन भारतीय उद्योगपतियों को निकाल दिया गया तो शरणार्थियों की यहां एक बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी। मन्त्रिमण्डल को इस बारे में विचार करना चाहिये और यदि आप पाकिस्तान पर यह दबाव डालें कि वह अल्पसंख्यकों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें तथा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न करें तब ही इस बारे में कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में नये निर्वाचन हुये परन्तु न ही तो वहां की राष्ट्रीय संसद तथा न ही पूर्वी पाकिस्तान विधान सभा के लिये अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य चुना गया। सरकार इससे निष्कर्ष निकाल सकती है।

समय की कमी के कारण मैं पुराने शरणार्थियों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कह सकता। पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों को बसाये जाने की समस्या के बारे में मथरानी समिति ने दस वर्ष पूर्व जांच कीथी परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। इस बारे में एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो शरणार्थियों को घर तथा दूसरी सुविधायें देने की जांच करे। अभी बहुत से पुराने शरणार्थियों को बसाने का कार्य शेष रहता है और इसे पूरा किया जाना चाहिये। अब पश्चिमी बंगाल सरकार सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर डाल रही है।

मैं दण्डकारण्य परियोजना के बारे में कुछ कहूगा। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में दण्डकारण्य परियोजना की कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। इस परियोजना के बड़े-बड़े अधिकारियों में परस्पर झगड़ा होता रहता है। इसका मख्य कारण यह है कि आरम्भ से ही मन्त्री महोदय ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार तथा इसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं को उचित रूप से जिम्मेवारी नहीं बांटी है और इससे गड़बड़ हो रही है। जब सरकार ने इस परियोजना पर 29 करोड़ रुपया लगाया है तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के कुछ महीनों के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आने आरम्भ हो गये थे। आरम्भ में कम संख्या में ये लोग आये परन्तु बाद में इनकी संख्या बढ़ गई और अभी तक ये लोग निरन्तर आ रहे हैं। इन शरणार्थियों की समस्या

पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या से भी कठिन है क्योंकि इनके बारे में निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रश्न नहीं है। जब सरकार यह कहती है कि पूर्व तथा पश्चिम में शरणार्थियों पर समान व्यय किया गया है तो यह कहना उचित नहीं है क्योंकि पश्चिमी बगाल में निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है। दूसरी ओर पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा धन व्यय किये जाने के अतिरिक्त निष्क्रान्त सम्पत्ति भी थी। जब तक कि सभी शरणार्थी भारत नहीं आ जाते यह समस्या चलती रहेगी। इसलिये हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये और योजना बनानी चाहिये।

हम एक मन्त्रालय बन्द करते हैं और जब समस्या गम्भीर हो जाती है तो फिर उसे स्थापित कर देते हैं। यह एक ऐसी बड़ी मानवीय समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। सीमाओं पर जाकर तथा इन लोगों से मिल कर ज्ञात होता है कि इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा इन पर कितने अत्याचार हुये। इसके परिणामस्वरूप इस ओर भी कुछ प्रतिक्रियायें हुई। परन्तु भारत सरकार ने इन्हें दृढ़ता से दबा दिया। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अत्याचारों को दबाने के लिये कोई उपाय नहीं किये।

पुराने शरणार्थियों की समस्याओं की जांच करने के लिये मथरानी समिति नियुक्त की गई थी। इसने 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस पर विचार किया गया तथा इसे लागू किया गया। 1957 में फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया। परन्तु अब इस पर ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा है।

ऐसे शरणार्थियों की समस्या जो शिविरों में नहीं रहते हैं अवश्य हल की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि श्री त्यागी उन योजनाओं को स्वीकार करेंगे जो पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनके सामने रखी हैं। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि 22 करोड़ रुपये की योजना पेश की गई है। मुझे आशा है कि यह स्वीकार की जायेगी। इन समस्याओं के हल न किये जाने के फलस्वरूप त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है।

नये शरणार्थियों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह केन्द्र की जिम्मेवारी है कि उन लोगों को बसाये। जो लोग विभाजन के शिकार हुये हैं, वे यहां आते रहेंगे और उनके लिये हमारे द्वार सदैव खुले रहने चाहिये। इन में से बहुत से लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये संघर्ष किया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम इन लोगों को, जिनके बलिदान के कारण आज हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, यहां आने से कैसे रोक सकते हैं? हम इन लोगों को एक क्षण के लिये भी कैसे भुला सकते हैं? इसलिये मानवता तथा नैतिकता के आधार पर यह सम्भव नहीं है कि इन लोगों के लिये हम अपनी सीमाओं को बन्द करें।

इस सम्बन्ध में याद रखने योग्य दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि असम तथा बंगाल में हमारी सीमायें काफी लम्बी हैं और हम इन लोगों को यहां आने से रोक नहीं सकते। पाकिस्तान के अत्याचार से बच कर भागने वाले ये लोग भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई चौकियों से हो कर नहीं आयेंगे परन्तु बहुत से दूसरे स्थानों से हो कर आयेंगे। ये हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। आपके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। यदि आप इस योग्य होते कि आप पाकिस्तान की सरकर का रुख ठीक बना कर वहां सुरक्षा की स्थिति पैदा करते, तो शायद ये लोग भारत न आना चाहते। न केवल पाकिस्तान ने अपना दृष्टिकोण बदला है बल्कि हमें पाकिस्तान के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और हर बार अल्पसंख्यक शिकार होते हैं। यह समस्या चन्द महीनों

[श्रीमती रेणुका राय]

के लिये नहीं है बल्कि जब तक पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम हैं तब तक बनी रहेगी। बौद्ध, ईसाई, हिन्दू, सभी आ रहे हैं।

मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मध्य अन्दमान का विकास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 4,000 एकड़ भूमि को सुधारा जा चुका है और मैं आशा करती हूं कि पर्याप्त संख्या में जितना संभव हो सके शरणार्थियों का वहां पुनर्वास किया जायेगा। आगे मैं दण्डकारण्य तथा नये प्रव्रजकों संबंधी प्राक्कलन समिति के दो प्रतिवेदनों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगी। दोनों ही बहुत अच्छे प्रतिवेदन हैं। यह बहुत अच्छा होगा कि यदि पुनर्वास मंत्रालय नये प्रव्रजकों संबंधी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करे ? दंडकारण्य की कहानी बहुत दुखभरी है। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि इस क्षेत्र के विकास के लिये वहां लघु-उद्योग तथा कुटीर उद्योग भी स्थापित किये जायें और उनके जरिये अधिक से अधिक संख्या में शरणार्थियों का पुनर्वास होना चाहिये। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में न केवल समस्याओं को अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है बल्कि उनको हल करने के उपाय भी सुझाये गये हैं।

माना शिविर व अन्य शिविरों के बारे में शिकायतें की गई हैं। हमें अपने पिछले अनुभव से राज्यों में समस्या को हल करने में सहायता मिलनी चाहिए। इन विस्थापित व्यक्तियों को भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ी हैं जिसके लिये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता है। स्थिति से अनुचित लाभ उठाने वाले कुछ लोग इन अभागे, दुखी व्यक्तियों की अनिश्चित अवस्था के कारण, जो ये नहीं जानते कि कहां जायें, उन्हें शिवरिों से भाग जाने के लिये प्रेषित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वापस बुलाया जा सकता है यदि सहनशीलता, मीठे शब्दों तथा आश्वासनों से काम लिया जाये तथा ठीक प्रकार से उनका पुनर्वास हो सकता है।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले कुछ शब्द ऋणों से होने वाली हानि बांटने के संबंध में कहूंगी। इस सभा में तथा बाहर भी हमारे नेताओं ने यह कहा है कि इनका पुनर्वास केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। तो फिर राज्य सरकारों पर बारबार दबाव क्यों डाला जाता है कि पुनर्वास के लिये शरणार्थियों को दिये गये ऋणों से होने वाली हानि का कुछ अंश वे भुगतें। मैं श्री त्यागी को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने इस संबंध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मेरी सहायता की थी और अन्त में यह निर्णय हुआ था कि सारी हानि केन्द्रीय सरकार सहन करेगी। इसके लिये मैं उनकी बहुत आभारी हूं। पता नहीं 1958 में इस निर्णय को कैसे बदल दिया गया। मुझे इसका पता बहुत बाद में चला। राज्य सरकारों के साधन बहुत सीमित हैं चाहे वह पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा अथवा आसाम हो। मैं आशा करती हूं कि श्री त्यागी, जो इस समय मंत्री हैं, फिर से इस अनुचित व अन्याय-पूर्ण निर्णय को बदल कर पुनः पुरानी स्थिति ले आयेंगे। यह सभा, उनका साथ देगी देश उनका साथ देगा यदि वे पहले की सूझ-बूझ के साथ, जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं होती, इस समस्या को सुलझाकर इन अभागे व्यक्तियों की सहायता करेंगे, जो भारतीय स्वतंत्रता की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया, जिसमें उनका कोई दोष नहीं।

श्री प्र० कु० घोष (रांची–पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार को हाल का अपना वह आदेश वापस ले लेना चाहिए जिसमें पूर्वी

पाकिस्तान से बिना उचित पारपत्रों के आने वाले विस्थापित व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । संभवतः ऐसा शरणार्थियों के साथ विदेशी एजेंटों तथा देश-विरोधी तत्वों के भारत में आ जाने को रोकने के लिये किया गया है । सरकार ने कहा है कि औपचारिक बातों में कुछ छूट दी गई है जिससे ढाका से प्रव्रजन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बहुत सरल हो गया है । यह सच नहीं है । ढाका से बहुत दूर रहने वाले अशिक्षित व्यक्तियों के लिये ढाका में प्रव्रजन प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना तथा ये प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है । प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने की सिफारिश की है क्योंकि इससे पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भारत में संरक्षण तथा सुरक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे जिसके लिये वे विशेषतः अपनी स्त्री-समुदाय की मर्यादा व सुरक्षा के लिये बाध्य हो जायें । देश में शरणार्थियों के साथ देश-विरोधी तत्वों एवं विदेशी एजेंटों के आने को रोकने के लिये सरकार को जागरूकता को कड़ा कर देना चाहिए । सरकार रोक पर रोक लगाती जा रही है लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक बड़ी सख्या में आ रहे हैं । इससे उनकी असुरक्षित स्थिति का पता चलता है । यह सरकार वह समूचे देश का उत्तरदायित्व है कि उन सब को बिना किसी रोक के आने दिया जाये तथा उनके पुनर्वास के लिये उचित प्रबन्ध किये जाये ।

सारा देश जानता है कि उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम में भारत के किसी अन्य राज्य से कम संघर्ष नहीं किया । जबकि हम स्वतन्त्रता से लाभ उठा रहे हैं तथा खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वे इस विभाजन के पीड़ितों के हमारे देश में प्रवेश करते पर उनके साथ बहुत असन्तोषजनक व्यवहार किया जाता है । स्थानांतरण शिविरों में उन्हें उचित भोजन, कपड़ा और चिकित्सा सुविधायें प्रदान नहीं की जातीं । यद्यपि अनाज के मूल्य काफी बढ़ गये हैं लेकिन उन्हें दान के रूप में फिर भी 1960 में निर्धारित की गई 65 रु० की राशि दी जाती है । यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है जबकि एक तांगे वाला अपने घोड़े को खिलाने के लिये दो रुपये प्रति दिन खर्च करता है, इन्सानों को पांच सदस्यों के एक परिवार के लिये प्रति दिन दो रुपये भी नहीं दिये जाते । प्राक्कलन समिति ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस संबंध में पुनरीक्षण करने का सुझाव दिया है । मंत्रालय को इन शिविरों में पर्याप्त संख्या में उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिएं ।

अन्तर्कालीन शिविरों में बहुत भीड़-भाड़ है और प्रायः एक कमरे में एक से अधिक परिवार को रखा जाता है । इलाज करने वाले डाक्टर तथा अस्पताल भी अपर्याप्त हैं जिसके फलस्वरूप मृत्यु-दर असाधारण रूप से अधिक है । प्राक्कलन समिति ने कहा है कि इन शिविरों में स्थानांतरण बहुत धीरे से हो रहा है । इन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये सरकारी उपक्रमों से उन्हें एक निश्चित प्रतिशत स्थान देने के लिये कहना चाहिए । जब भी कोई उद्योगपति लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दे तो यह शर्त रखी जाये कि वह नये उद्योग में कम से कम 10 प्रतिशत पद शरणार्थियों के लिये सुरक्षित रखेगा । पुनर्वास वित्त निगम को अधिक धन मिलना चाहिए ताकि वह लघु तथा कुटीर उद्योग आरम्भ कर सके जो स्थापित होने के पश्चात् शरणार्थी परिवारों को दे दिये जायें ।

अन्त में मैं दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं । प्राक्कलन समिति ने कहा है कि प्राधिकार का गठन करते समय सभापति और मख्य प्रशासक की शक्तियों की व्याख्या नहीं की गई जिससे प्रगति में रुकावट हुई । सहायता

[श्री प्र० कृ० घोष]

कार्य की अपेक्षा प्रशासन पर अधिक व्यय हो रहा है तथा समन्वय का अभाव है । बहुत सा धन व्यय करने पर भी मिट्टी का उचित परीक्षण न करने के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं बनी है । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस समस्या पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनानी चाहिए और बृत् योजना आरम्भ करनी चाहिए ।

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : अनेक सदस्यों ने प्राक्कलन समिति के पुनर्वास मंत्रालय संबंधी प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । इस संबंध में मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की अन्तिम टिप्पणी की ओर निर्देश करूंगा । उन्होंने यह कहा है कि यह याद दिलाना उचित होगा कि दण्डकारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले कदाचित ही खेती हुई है । इसलिये वहां 144 गांवों में 7,000 परिवारों को बसाना अधिकारियों के लिये श्रेयस्कर है । समिति ने आगे दण्डकारण्य को सुधारने के लिये अधिकारियों द्वारा किये गये सच्चे प्रयत्नों की सराहना की है । सराहना के चन्द उदार वाक्यों से अधिकारियों व व्यक्तियों का बहुत उत्साह बढ़ता है जो अनेक प्रतिकूल बातों के होने पर भी दण्डकारण्य जैसी परियोजना में संघर्ष कर रहे हैं । लेकिन मझे विवश होकर यह कहना पड़ता है कि श्री गुप्ता जैसे एक श्रेष्ठ विचारों के वरिष्ठ सदस्य ने पूर्ण न्याय नहीं किया है । जो उन्होंने सीधे हाथ से दिया है वह बांये हाथ से छीन लिया है ।

दण्डकारण्य के उच्च अधिकारियों के आपसी झगड़ों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इसलिये मैं इस मामले में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दूं । 1958 में जब दण्डकारण्य विकास प्राधिकार स्थापित किया गया था तो सरकार की मंशा थी कि उसे पर्याप्त स्वायत्तता हो । अभिप्राय यह था कि स्वायत्त संस्था के रूप में प्राधिकार अपनी शक्तियों को इच्छानुसार सभापति और मुख्य प्रशासन को सौंप देगा । प्राधिकार को यह स्वायत्तता प्रदान की गई थी । जब स्वर्गीय श्री सुकुमार सेन इस प्राधिकार के सभापति बने तो प्राधिकार ने यह निर्णय किया कि जब प्राधिकार का सत्र न हो रहा हो तो सभापति प्राधिकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 1963 में जब वे बीमार हुए तो निर्णय किया गया कि उन शक्तियों का प्रयोग सभापति तथा मुख्य प्रशासक द्वारा किया जायेगा । कुछ महीनों के बाद श्री सेन के देहावसान के पश्चात् श्री सैबाल गुप्त सभापति नियुक्त किये गये । उनका आरम्भ से यही विचार था कि यदि उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त नहीं हुई तो वे अपना दायित्व नहीं निभा सकेंगे । उन्होंने इसके लिये प्राधिकार से अनुरोध किया लेकिन उनकी विनती अस्वीकार कर दी । प्राधिकार के निर्णय से असन्तुष्ट होकर श्री गुप्त ने मंत्रालय से अनुरोध किया । लेकिन मंत्रालय ने प्राधिकार के निर्णय की पुष्टि की तथा श्री गुप्त को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने शक्तियां दण्डकारण्य प्राधिकार को सौंपी हैं और यह प्राधिकार की इच्छा है उन शक्तियों को जिसे चाहे प्रदान करे । इससे रुष्ट होकर श्री गुप्त ने पद त्याग दिया । प्राक्कलन समिति ने इस विषय में शिकायत की है कि सरकार ने उत्तर-दायित्व से बचना चाहा । मैं नहीं समझ पाता कि सरकार ने किस अवस्था में उत्तरदायित्व से बचना चाहा । जब भी सरकार को कोई निर्देश किया गया तो उसने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किये । उसने श्री गुप्त को यह स्पष्ट रूप से बताया कि वह प्राधिकार की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा प्रशासक व सभापति में शक्ति बांटने का प्राधिकार दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को है । जब भी सरकार से कार्यवाही करने को कहा गया उसने जैसा उचित समझा किया और कभी भी उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहा ।

दूसरी बात, जिस पर प्राक्कलन समिति ने प्रतिकूल टिप्पणी की है वह यह है कि सरकार ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को अपना विभाग बना लिया है। पहले तो समिति यह शिकायत करती है कि आन्तरिक झगड़ों को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है और जब मंत्रालय ने कार्यवाही की तो वह शिकायत करती है कि उसने कठोर कार्यवाही की है और सारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकार एक सरकारी विभाग बन गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि प्राधिकार का ऊपरी व्यय अधिक है। वित्त-विशेषज्ञों के अनुसार दण्डकारण्य विकास प्राधिकार जैसी परियोजना में प्रशासन पर 30 प्रतिशत व्यय अधिकतम सीमा है। मैं सभा को आश्वासन दिला दूं कि पिछले दो या तीन वर्षों में व्यय इस सीमा से अधिक नहीं हुआ है। प्रारम्भ में वास्तव में किये गये काम की तुलना में व्यय थोड़ा अधिक हुआ होगा। इसका कारण यह है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने सोचा कि आरम्भ में शरणार्थी बड़ी संख्या में आयेंगे और उसने भारी तैयारियां कीं। लेकिन 1958–59 में 321, 1959–60 में 1,476 तथा 1960–61 में 577 शरणार्थी परिवार आये जबकि प्राधिकार को क्रमशः 2,760, 5,640 तथा 9,600 परिवारों के आने की आशा थी। स्वर्गीय श्री सुकुमार सेन स्वयं बंगाल के शरणार्थी शिविरों में गये तथा शरणार्थियों से दण्डकारण्य आने के लिये विनती, प्रार्थना की तथा अन्त में वे सफल हुए।

बहुत ओर से यह आरोप लगाये गये हैं कि दण्डकारण्य में हम फिजूल-खर्ची कर रहे हैं तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय की तुलना में व्यय बहुत अधिक है। प्राधिकार के दो प्रयोजन हैं। एक तो इस क्षेत्र का समेकित विकास तथा दूसरा शरणार्थियों का पुनर्वास। इसलिये यह आशा नहीं की जा सकती कि सारा धन शरणार्थियों पर खर्च हो। फिजूल-खर्ची है या नहीं इसका क्या मापदंड है। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के आरम्भ होने से आज तक 8200 विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका है। प्राधिकार में 1845 आदिम जाति परिवारों के पुनर्वास पर भी व्यय किया है। 1,00,512 एकड़ नई जंगल की भूमि कृषि योग्य बनाई है, विस्थापितों को बसाने के लिये 170 नये गांव बनाये हैं तथा प्राधिकार को निधि में से राज्य सरकार को 50 आदिम जाति गांवों के निर्माण के लिये धन प्रदान किया गया है। नालीदार लोहे की चादरों से 5489 घर बनाये गये हैं। उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के गांवों में 110 तालाब तथा आदिम जाति परिवारों के लिये 21 तालाब खोदे हैं। 191 स्कूल हैं जिनमें 13050 विद्यार्थी हैं, 185 प्राथमिक, 5 माध्यमिक तथा एक हाई स्कूल है। हमने एक क्षय रोग के अस्पताल सहित 3 अस्पताल व 13 औषधालय खोले हैं। हमने 25,44,163 रोगियों का इलाज किया। उस क्षेत्र से हमने मलेरिया का उन्मूलन किया है। हमने कुल 511 मील लम्बी सड़कें बनाई हैं तथा 570 पुलियाओं व 69 पुलों का निर्माण किया है। अब सभा यह फैसला कर सकती है कि हमने कहां पैसा बरबाद किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले वर्ष अवशिष्ट समस्याओं के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को एक पाई भी नहीं दी गई। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। वास्तव में 1964-65 में कुल 1.84

[ड० म० मो० दास]

लाख रुपये मंजूर किये गये । जहां तक अनुदानों का संबंध है, 59 लाख रुपये प्रदान किये गये, 212 प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिये 17.45 लाख रुपये, उच्च माध्यमिक स्कूलों को 8.13 लाख रुपये, सांस्कृतिक संस्थाओं को 2 लाख रुपये तथा क्षय रोगियों से भिन्न रोगियों के उपचार के लिये पलंगों की व्यवस्था के हेतु 28 लाख रुपये । यदि माननीय सदस्य हमारी मांगें स्वीकार कर लें तो 1965–66 में अवशिष्ट समस्याओं के लिये कुल मिलाकर 102.56 लाख रुपये की व्यवस्था होगी ।

इस प्रकार कुल 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा जिसमें से 20 लाख रुपये शिक्षा के लिये तथा 30 लाख रुपये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये होंगे ।

जहां तक कृषि सम्बन्धी विकास का सम्बन्ध है, सचाई को इससे अधिक और क्या झुटलाया जा सकता कि यह कहा जाये कि दण्डकारण्य में खेती की उपेक्षा की गई है क्योंकि मूल विचार तथा समूची योजना खेती पर ही आधारित थी । मूलरूप से यह विचार किया गया था कि पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहने वाले खेतीहर परिवारों को दण्डकारण्य के कृषिगत भूमि में बसाया जाये । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दण्डकारण्य की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है । यह भी सच है कि वहां की जमीन धान की खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है । केवल निचले क्षेत्रों में धान की खेती हो सकती है । ऊंची भूमियां अन्य फसलें उगाने के लिए उपयुक्त हैं जैसे नकदी फसलें (मनी क्रॉप) पटसन, अरहर, तिलहन आदि ।

दण्डकारण्य में हाल ही बसाये गये गांवों में लगभग 40,000 लोग रहते हैं जिनकी मुख्य आजीविका कृषि है ।

विस्थापित व्यक्तियों के जिन परिवारों को दण्डकारण्य के गांवों में फिर से बसाया गया है उन में प्रत्येक परिवार को $6\frac{3}{4}$ एकड़ जमीन, मकान बनाने के लिए काफ़ी जमीन, एक जोड़ा बैल, और कृषि सम्बन्धी औजारों का एक पूरा सेट तथा खाद और बीज दिये गये हैं । पहले बीज और खाद के लिए 125 रुपये ऋण के रूप में दिये जाते थे, अब वह राशि बढ़ाकर 290 रुपये कर दी गई है । इसके अतिरिक्त फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अधिकारियों द्वारा निशुल्क कार्य किया जाता है । कृषि सम्बन्धी विकास के लिए प्रत्येक गांव में एक एक सेवक नियुक्त किया गया है जिसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें कृषि सम्बन्धी सभी जानकारी दर्ज की जाती है । इतना सब कुछ करते हुए भी यदि यह कहा जाये कि वहां कृषि की उपेक्षा की गई है तो यह सर्वथा अनुचित है ।

अब मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । 1 करोड़ रुपये की लागत पर वहां भास्कल बांध बनाया जा रहा है जिसका काम लगभग पूरा होने वाला है । इस बांध से आदिवासियों को सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा ।

पखन्जोर बांध बन चुका है और अब वहां नहरें खोदने का काम चल रहा है । जहां तक दो बड़ी बांधों का सम्बन्ध है, जिनमें से प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत लगेगी , उनके बारे में जांच की गई है और आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, कोरापट जिले के मलखागिरी क्षेत्र में सतीगुडा बांध के बारे में मंजूरी दे दी गई है किन्तु विशेषज्ञों की अब यह राय है कि साब्री बेसिन बहु प्रयोजनीय योजना चालू होने वाली है जो कि उससे काफी बड़ी योजना है अतः सतीगुडा बांध पर 2 करोड़ रुपये खर्च करना फिजूल है । इस कारण , जब तक हम इस बांध के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की पूरी मंजूरी नहीं ले लेते, हम काम चालू नहीं कर सकते ।

जहां तक छोटी सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, भूतत्वीय प्रतिवेदन में कहा गया है कि समस्त दण्डकारण्य में भूमिगत मोटे मोटे शैल-स्तर तथा ग्रेनाइट पट्टियां हैं । वहां बहुत कम क्षेत्र में पानी मिलता है । इस कठिनाई के बावजद भी हम छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

बासठवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बासठवें प्रतिवेदन से, जो 7 अप्रैल, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बासठवें प्रतिवेदन से, जो 7 अप्रैल, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कलकत्ता नगर-क्षेत्र के विकास के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : DEVELOPMENT OF CALCUTTA METROPOLITAN AREA—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा 26 मार्च, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :

"कि इस सभा की यह राय है कि कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक एवं स्वयं-पूर्ण योजना को चौथी योजना में प्राथमिकता दी जाय ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य): कलकत्ता केवल पश्चिम बंगाल का ही नहीं अपितु समस्त **भारत का नगर** है । कलकत्ता के राष्ट्रीय महत्व का पता इस बात से चलता है कि वहां सारे देश के श्रमिक लोग आते हैं । कलकत्ता क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्री नगरों की अपेक्षा कहीं अधिक हिन्दी बोलने वाले लोग हैं ।

{ **श्री सोनावने** पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair* }

उड़ीसा के किसी भी शहर की तुलना में वहां उड़िया भाषी लोगों की भी कहीं अधिक संख्या है । पंजाब, गुजरात तथा दक्षिण भारत से भी वहां बड़ी संख्या में लोग आये हुये हैं । कलकत्ता वास्तव में भारतीय तथा बंगाली संस्कृति का सदैव केन्द्र रहा है । वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का भी मुख्यालय रहा है ।

कलकत्ता उत्तर-पूर्वी भारत का प्राकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक केन्द्र रहा है और आज भी वह भारत का वाणिज्यिक तथा व्यापारिक राजधानी है । यह सम्भव है कि हाल ही में बम्बई जनसंख्या तथा आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से आगे बढ़ गया हो ।

कलकत्ता की आज बहुत सी समस्यायें हैं । विश्व बैंक मिशन ने कलकत्ता के बारे में 1960 में कहा था कि कलकत्ता की समस्याओं से प्रत्येक अधिकारी अवगत है और यह भी स्वीकार करता है कि उन्हें हल करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, किन्तु कार्यवाही करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है । यदि कलकत्ता की वर्तमान स्थिति में सुधार न किया गया और उसे वैसा ही चलने दिया जाये तो यह सम्भव है कि वृहत्तर कलकत्ता आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का अन्त हो जायेगा । यदि ऐसी विपत्ति आ पड़े तो सुस्थापित उद्योगों को बाहर ले जाना पड़ेगा और सामाजिक खर्च इतना अधिक होगा कि बीच की अवधि में औद्योगिक प्रगति समाप्त हो जायेगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां स्थिति गम्भीर है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति में सुधार होना कठिन है अतः मेरा विश्वास है कि केन्द्र को यह कार्य बड़े पैमाने पर अपने हाथ में लेना पड़ेगा और चौथी योजना के एक अंग के रूप में कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ।

कलकत्ता नगर क्षेत्रीय योजना संगठन योजनायें तो बना सकता है किन्तु, वास्तव में, वह उन्हें कार्यान्वित नहीं कर सकता । इस संगठन के कार्यप्रणाली के बारे में लोगों का विश्वास भी कम हो गया है । तीन वर्ष में कई अमरीकी विशेषज्ञ वहां पर आ चुके हैं जिन पर लगभग 80 लाख रुपये खर्च हुआ है । इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विदेशी विशेषज्ञ बुलाना वांछनीय नहीं है क्योंकि हमारे देश के लोग

भी यह कार्य कर सकते हैं। वहां पर जासूसी के बारे में भी समाचार मिले हैं, इसके अतिरिक्त कलकत्ता नगर क्षेत्रीय योजना संगठन जिस ढंग से हमारे औद्योगिक संस्थानों के मानचित्र तथा हवाई सर्वेक्षण का कार्य करता है उससे भी सन्देह उत्पन्न होता है। उसके कार्यालय में हांगकांग, जापान तथा अन्य क्षेत्रों के लोग भी आते रहते हैं। यह भी सच है कि इस संगठन ने कुछ सराहनीय कार्य भी किये हैं। किन्तु इस संगठन ने कुछ ऐसे भी सुझाव दिये हैं जो आश्चर्यजनक तथा बेतुके हैं। केन्द्र ने कलकत्ता बस्ती सुधार के लिए 6 करोड़ रुपये दिये हैं परन्तु किसी न किसी कारण पश्चिम बंगाल सरकार उसे खर्च नहीं कर पायी है। कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल विधान सभा ने बस्ती सुधार सम्बन्धी जो कानून बनाया था वह भी लागू नहीं हो पाया है। कलकत्ता में पानी की समस्या हल करने के लिए बहुत विलम्ब के बाद, 72 इंच जल-पाइप डाले गये किन्तु पानी की व्यवस्था फिर भी न हो सकी क्योंकि उन नये "मेन" द्वारा पानी की सप्लाई का व्यवहारिक हल नहीं सोचा गया था।

कलकत्ता क्षेत्र में दस लाख अथवा उससे भी अधिक शरणार्थी आ गये हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को इन गरीब लोगों की समस्या पर ध्यान देना पड़ेगा और उसे हल करना पड़ेगा।

कलकत्ता शहर तथा महानगरीय क्षेत्र के विकास में जो बात बाधक सिद्ध हुई है वे—निकम्मी परिवहन प्रणाली, अपर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई और जमीन के बहुत ऊंचे मूल्य हैं।

सरकार हलदिया योजना को कार्यान्वित करने में सराहनीय काम कर रही है किन्तु यह दीर्घकालीन उपाय हैं, किन्तु इस बीच कलकत्ता पत्तन के विकास के लिए अपर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। कलकत्ता पत्तन की समस्या को लम्बी अवधि तक हल करने का जहां तक सम्बन्ध है, फरक्का बांध का काम एक महत्वपूर्ण कार्य है, किन्तु समस्या का पूरी तौर पर हल होना इससे भी सम्भव नहीं है। पानी की सप्लाई मुख्य स्थान से अधिक मात्रा में होनी चाहिए।

हमारी आर्थिक नीति में दूरदर्शिता की कमी है। नदियों को संकीर्ण करने तथा बाढ़ के कारण वहां जमा होने वाले रेत को रोकने के लिए कुछ भी बल नहीं दिया गया है। कलकत्ता क्षेत्र में पीने तथा उपभोग के लिए उपलब्ध पानी में खारापन की समस्या को हल करने के लिए केवल फरक्का बांध ही काफी नहीं है इसके लिए और कई अन्य चीजें भी आवश्यक हैं।

कलकत्ता की सड़कों पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों की बहुत भारी भीड़ रहती है। वहां आज लगभग 1 लाख मोटर गाड़ियां चलती हैं। इसके अतिरिक्त रिक्शा और ठेले भी गरीब लोगों द्वारा चलाये जाते हैं। सियालदा स्टेशन में लगभग 3 लाख आदमी हैं और हावड़ा स्टेशन में 2 लाख आदमी नित्य आते हैं। इन स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है। यही कारण है कि विदेशी पर्यटक कलकत्ता को गन्दा नगर समझते हैं अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी लोगों की कलकत्ता के स्थिति के कारण भारत के बारे में यह गलत धारणा न बने।

जहां तक कलकत्ता जल-सम्भरण तथा नाली व्यवस्था का सम्बन्ध है, यह कहा जा रहा है कि कैलीफोर्निया कम्पनी इस बारे में विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कुछ समाजवादी देशों से इस सम्बन्ध में से सुचारु रूप से सहायता देने का अनुरोध कर सकते हैं जिससे कि यह समस्या शीघ्र ही हल हो जाय और हमारे जल संभरण तथा नाली व्यवस्था सम्बन्धी हितों को भी किसी प्रकार हानि न पहुंचे।

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

कलकत्ता तथा बड़े अन्य नगरों में मल को उपयोग में लाकर लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मानव मल का विकास परियोजनाओं के लिए लाभ उठाया जा सकता है। आधुनिक इंजिनियरी तथा टेक्नोलौजी से ऐसे तरीके मालूम किये गये हैं जिनसे मानव मल को धन तथा शक्ति पैदा करने के लिए काम में लाया जा सकता है।

कलकत्ता के विकास के लिए दीर्घकालीन तथा अल्प-कालीन दोनों प्रकार की योजनायें तैयार की जानी चाहिएं। अल्पकालीन योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में यथाशीघ्र सरक्यूलर रेलवे चालू की जा सकती है। वहां भूमिगत रेलवे के बारे में बाद में जांच की जा सकती है क्योंकि इसमें खर्च भी बहुत होगा।

गंगा नदी पर एक दूसरा पुल बनाने का कार्य तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए। इस काम के लिए सब देशों से टेन्डर मंगाये जाने चाहिएं। इस कार्य के लिए, हमारे संसाधनों और तकनीकी लोगों की सेवाओं का उपयोग करना अधिक वांछनीय होगा।

पूर्व कलकत्ता के विकास के लिए कलकत्ता सुधार प्रन्यास ने कुछ योजनायें तैयार की हैं जो शीघ्र क्रियान्वित की जा सकती हैं।

बस्ती सुधार का काम यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। कलकत्ता क्षेत्र में जमीन का क्रय विक्रय पर नियंत्रण किया जाना चाहिये और भमि का अधिकतम मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है। कलकत्ता में सट्टा भी बहुत चलता है जिसे बन्द करना जरूरी है।

कलकत्ता में तुरन्त एक स्टेडियम बनाया जाना चाहिए।

कलकत्ता निगम, जिसके हाल ही में व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुये हैं, के लिए बम्बई की भांति और अधिक आय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए सरकार कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी और कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार कर रही है।

सड़क परिवहन योजनाओं को अल्पकालीन उपायों के अन्तर्गत प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कलकत्ता की समस्याओं को हल करना पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य संगठनों के वश की बात नहीं है। कलकत्ता की समस्या राष्ट्रीय समस्या है अतः इसे राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक हल करना आवश्यक है।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो संशोधन हैं जो प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : भारतीय इतिहास में कलकत्ता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुगल राजकुमारी का अंग्रेज डाक्टर द्वारा इलाज किये जाने के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को तीन गांव यथा गोविंदपुर, कालीघाट और सुतान्ती प्राप्त हुए। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बंगाल में नीव जम गई और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्यवादी विस्तार सम्बन्धी गतविधियों का मुख्य केन्द्र बना लिया। धीरे धीरे, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने कहा, इन गांवों का इतना विकास हुआ कि ये भारत की राजधानी के रूप

में बदल गये । विक्टोरियन काल में हमारे देश के इतिहास में जो महान वैज्ञानिक, विद्वान, नाटककार, कवि, राष्ट्रवादी, जूरिष्ट, शिक्षाशास्त्री, धार्मिक उपदेशक तथा समाज सुधारक हुए हैं, उन का जन्म कलकत्ता में हुआ था । बंग भंग आन्दोलन भी जो कि भारत क राष्ट्रीय आन्दोलन का एक रूप था, वहीं आरम्भ हुआ । वर्ष 1911 में कलकत्ता से राजधानी उठा कर दिल्ली में लाई गई तथापि उसका महत्व आज भी भारत के एक प्रमुख नगर और प्रमुख बन्दरगाह के रूप में उतना ही बना हुआ है ।

देश के विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्व पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी वहां आ गये किन्तु उनकी समस्या आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 18 वर्ष बाद भी बनी हुई है, गत वर्ष 1964 में भी 6 लाख शरणार्थी पूर्व पाकिस्तान से कलकत्ता आ गए , परिणामस्वरूप आज कलकत्ता की आवास तथा स्वतच्छता सम्बन्धी विकट स्थिति बनी हुई है । जैसा कि मैंने कहा, कलकत्ता में ऐतिहासिक उथल-पुथल होती रही है और वह उनका शिकार रहा है, कलकत्ता की समस्या केवल पश्चिम बंगाल सरकार की अथवा कुछ चन्द लोगों की समस्या नहीं है अपितु यह राष्ट्र की समस्या है, अतः यह आवश्यक है कि सदन को कलकत्ता के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करके वहां स्थिति में सुधार करना चाहिये । कलकत्ता में स्वच्छता, मल-मूत्र निकासी, गन्दी बस्तियों की, पटरियों में रहने वालों की, आदि कई विभिन्न समस्याएं हैं , बरसात में तो वहां कूड़ा-कर्कट तथा मल-मूत्र पानी में बहता रहता है जिसकी दुर्गन्ध सारे नगर में फैली रहती है ।

कलकत्ता में गन्दी बस्तियों तथा पटरियों पर रहने वालों की तो बहुत बड़ी समस्या है । हम देश के लिये योजनायें तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित भी कर रहे हैं किन्तु जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, यह बड़े दुःख की बात है कि उसके लिये कुछ भी नहीं किया गया है ।

कलकत्ता के पेय जल में खारेपन की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर ने भी बताया है कि हैजा सब से पहले हावड़ा स्टेशन से शुरू होकर सम्पूर्ण देश में फैलता है ।

अब मैं कलकत्ता के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र मैदान के बारे में कहूंगा, यहां नित्य संध्या समय हजारों लोग ताजी हवा के सेवन के लिये आते हैं किन्तु आज इस मैदान क्षेत्र को भी बर्बाद किया जा रहा है, उस क्षेत्र में भद्दी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, अतः इस निर्माण कार्य को बन्द किया जाना चाहिये। ईडन गार्डन्स में भी, जहा कि कलकत्ता निवासियों को शुद्ध एवं ताजी हवा प्राप्त होती थी, उसमें भी आकाशवाणी की इमारत बनाई गई है ।

जहां तक यातायात का सम्बन्ध है, कलकत्ता में उसकी व्यवस्था आवश्यकता के अनुकूल नहीं हैं अतः लोगों को बहुत कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है । कलकत्ता का सबसे धनी आबादी वाला क्षेत्र मध्य कलकत्ता है । कलकत्ता में यातायात की अत्यधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए वहां वृताकार रेलवे की व्यवस्था किये जाने पर भी यातायात समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि उससे नगर के बाह्य परिसर की ही आवश्यकता पूरी होगी । अतः वहां एक भूमिगत रेलवे की व्यवस्था करने के प्रश्न पर यथाशीघ्र विचार किया जाना चाहिये । ऐसा विदित हुआ है कि कुछ फ्रान्सिसी विशेषज्ञों ने भी इस सम्बन्ध में अपनी सलाह दी है । अतः उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

[श्री प्र० के० देव]

कलकत्ता नगर के लिये हावड़ा स्टेशन पर जो यातायात है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये वर्तमान हावड़ा पुल पर्याप्त नहीं है अतः भागीरथी पर एक दूसरा पुल का निर्माण करना नितान्त आवश्यक है। कलकत्ता की विभिन्न सड़कों पर डीजल इंजन से चलने वाली बड़ी-बड़ी बसें काला धुंवा छोड़ती हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है अतः उनमें ऐसे पाइपों की व्यवस्था की जानी चाहिये जिनसे कि धुवां नीचे न आकर सीधा ऊपर चला जाये ।

कलकत्ता पत्तन में हमें प्रतिवर्ष नदी तल से 1 करोड़ 20 लाख टन रेत निकालना पड़ता है जिस पर 50 लाख रुपये खर्च होते हैं। कलकत्ता पत्तन में यातायात सम्बन्धी भीड़-भाड़ बहुत रहती है अतः इस दिशा में मेरा यह सुझाव है कि परादीप तथा हलदिया पत्तनों का विकास किया जाय ताकि कलकत्ता पत्तन पर यातायात का भार कम हो जाय ।

जैसा कि मैंने कहां, कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह इस नगर का आवश्यक विकास कर सके अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कलकत्ता नगर को एक "आदर्श नगर" के रूप में विकसित करने का कार्य भार अपने ऊपर लेकर स्वयं उसका व्यय वहन करे ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि कलकत्ता के निकट जो उप नगर बन गये हैं जैसा कि कल्याणी उनका कार्य भी शीघ्र हाथ में लिया जावे ।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं श्री मुकर्जी को बधाई देता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण समस्या को सदन के सामने लाये हैं । मैं श्री प्र० के० देव से मत भेद प्रकट करता हूं कि करलकत्ता को बन्दरगाह के तौर पर उपेक्षित किया जा सकता है । परादीप और हल्दिया के अपने महत्व हो सकते हैं परन्तु यह ठीक नहीं होगा कि आप हल्दिया को कलकत्ता के मुकाबले महत्व दें। कलकत्ता की बड़ाई मैं इसलिये नहीं कर रहा कि यह एक बड़ा नगर है बल्कि इसलिये कि इस में और बहुत से गुण हैं। इसके पास उद्योगों का एकीकरण है ; इसमें भिन्न भिन्न प्रान्तों के व्यक्ति रहते हैं और कलकत्ता के निकट इस्पात, कोयला, चाय और पटसन उगाये जाते हैं ।

स्वर्गीय डा० बी० सी० राय ने प्रयास किया कि कलकत्ता के विकास को तीसरी योजना में शामिल किया जावे । इसी कारण इसके विकास के लिये 50 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया ।

अब केन्द्रीय सरकार का कार्य है कि इसके विकास के कार्य को चौथी योजना में शामिल किया जावे । वैसे मैं यह बता दूं कि पश्चिमी बंगाल को आप एक नगर का राज्य समझो । वहां उत्तर प्रदेश भी भांति और बड़े बड़े नगर नहीं हैं । कलकत्ता की समस्या सामाजिक तथा आर्थिक समस्या है । यदि कलकत्ता की समस्या निवारण हो गई तो समझो बंगाल की राजनीतिक समस्याओं का निवारण हो गया ।

कलकत्ता में यातायात का ढंग बहुत घटिया है । वहां ट्रामों में दाखिल होना बहुत कठिन है । यदि वहां थोड़ी सी भी वर्षा हो जावे तो शहर में पानी की बाढ़ आ जाती है । यही स्थिति पीने के पानी की है । वहां स्वच्छ पानी में गंदा पानी मिल जाता है और उसके कारण सैकड़ों व्यक्ति हैजा आदि से मर जाते हैं । कलकत्ता के यातायात को सुधारने का एक तरीका तो वहां पर सर्कुलर रेल स्थापित की जावे । हुगली पर एक और पुल बनाने की भी योजना है । मैं चाहता हू कि यह रेल तथा सड़क का पुल होना चाहिये अन्यथा इस से यातायात की समस्या हल नहीं होगी ।

श्री मुकर्जी ने यूगोस्लाविया की तो प्रशंसा की है कि उन्होंने नमक की झील को ठीक स्थिति में कर दिया परन्तु जो सहायता अमरीका तथा विश्वस्वास्थ्य संस्था ने की हैं उनकी प्रसंसा करने को तैयार नहीं हैं ।

कलकत्ता के निर्माण की योजना केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिये परन्तु इसे राज्य सरकार के सहयोग से तैयार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : (रायगंज) : सभापति महोदय मैं इस संकल्प के प्रस्तावक का आभारी हूं कि वे इसे सदन में लाये हैं। कलकत्ता के महत्व को अंग्रेजों ने इस लिये समाप्त किया ताकि देश से क्रान्ति समाप्त हो जावे परन्तु वह बढ़ती ही गई। कलकत्ता के बारे में एक विदेशी पर्यटक ने मुझ से कहा कि मैं भारत के बहुत नगरों में घूमा हूं परन्तु कलकत्ता एक जीवित नगर है। और यह जीवन से भरा हुआ है ।

श्री गुह ने कहा कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ते की योजना के बारे में शिथिल है। मैं कह दूं कि यही स्थिति अंग्रेजों के राज्य में थी और इसके बारे में बंगाल के एक भतपूर्व राज्यपाल श्री रेजीनाल्दु केसे ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है। मैं आशा करता हूं कि यह रवैया अब समाप्त होना चाहिये ।

कलकत्ता में तीन प्रशासनीक संस्थाएं हैं अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता निगम तथा वहां लेखकों का भवन (राईटर्स बिल्डिग) । यह सारी संस्थायें ऐसी हैं जिन पर हमें गर्व है ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the chair }

श्री गुह ने कलकत्ता के पानी संभरण के बारे में कहा कि वहां स्वच्छ पानी में गन्दा पानी मिलता रहता है और उस से हैजा आदि फैल जाता है। मैं ने स्वयं हैजा के कुछ शिकारों को देखा है। जिस समय पानी का इन्तजाम किया गया इस समय तो कलकत्ता की जन संख्या 10 लाख थी परन्तु बाद में यह 25–30 लाख हो गई । कलकत्ता में जमीन के नीचे रील बननी चाहिये। ऐसे ही श्री गुह ने एक रेल तथा सड़क के पुल के बारे में कहां है। यदि यह पुल इस समय जो पुल है उसके उत्तर में बन जावे तो अच्छा हो ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : इस सदन को चाहिये इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर इस पर चर्चा हो और कलकत्ता नगर को फिर से जीवित किया जावे । कलकत्ता में रहने वाले 40 प्रतिशत तो बंगाल से बाहर के लोग हैं। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इस लिये बदली क्योंकि यह क्रान्ति का गढ़ था ।

रेडकल्फ एवार्ड पश्चिमी बंगाल के लिये बहुत बुरा रहा है क्योंकि हमारे पास संयुक्त बंगाल का केवल एक तिहायी भाग आया है। उसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल से अल्प संख्यकों को लगातार भगाया जा रहा है और उनमें से अधिकृत कलकत्ता में आकर बस गये हैं ।

श्री मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि कलकत्ता के विकास कार्य को चौथी योजना में ले लेना चाहिये। मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से सहमत हूं जब वे कहते हैं कि इस नगर को बचाओ और यह नगर संस्कृति तथा शिक्षा का नगर है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा कलकत्ता से भाविक सम्बन्ध है और मैं इसकी प्रशंसा में किसी बंगाली से पीछे नहीं हूं। परन्तु मैं श्री गुह के साथ सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि यह मध्यम वर्ग के लोगों का नगर है। यह नगर तो कारखानों में कार्य करने वालों का है जिनके सिर पर कोई छाया नहीं है।

कलकत्ता की समस्या वास्तव में वहां के नवयुवकों की समस्या है। वहां के नवयुक पढ़ने के बड़े इच्छुक हैं और स्कूल तथा कालेजों में आपको खाली स्थान नहीं मिलेगा।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली की भान्ति कलकत्ता के लिये भी मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाते। यह कार्य तो दिल्ली से भी पूर्व होना चाहिये।

वहां की बन्दरगाह का विकास होना चाहिये। वहां वाणिज्य के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि श्री मुकर्जी को इस बात से नहीं डरना चाहिये कि इस कार्य के लिये सहायता किस देश से मिल रही है –चाहे वह युगोसलाविया से मिले चाहे अमेरीका से मिले। मुझे दुःख है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार इस कार्य को उतना महत्व नहीं दे रही जितना देना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, I congratulate Shri H.N. Mukerjee for bringing forward this resolution regarding development of Calcutta city. Development of that land which has given birth to such patriots as Rabinder Nath Tagore, Netaji Subash Chander Bose and Aurobindu Ghosh, is a national question.

I suggest that the discharge of sullage into Mother Ganges at Calcutta should be prevented by means of legislation. Secondly, I suggest that sacrifice of animals such as goats etc. as an offering to Kali should be banned. Such eminent people have been born in India as Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand and Mahtama Gandhi and yet this undesirable practice of sacrificing animals is continuing and hence it should be completely banned.

Due to over-crowding in Calcutta, there is incidence of Cholera. Therefore proper arrangements should be made for the accommodation of people living there. There should be proper arrangement of sanitation. This is a very innocent resolution.

Shri Raghunath Singh (Varansi) : Mr. Deputy Speaker, I love Calcutta because it is the city where the idea to make Hindi as the National Language of India originated and those who propounded this were Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen and Bankim Chandra Chatterjee. Even the first daily Hindi newspaper Hindi Vangvasi was also started from Calcutta. Thereafter Bharat Mitra and Vishvamitra also were published.

Calcutta is the best foreign exchange earner of this country. People from other states have started industries in Calcutta. A large portion of workers are also from outside Bengal. Calcutta is not only connected to Bengal but to Assam, Orissa, Bihar, U.P., Nepal and Bhutan. The entire country should contribute for the development of Calcutta.

श्रीमती लक्षीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं श्री मुकर्जी के प्रस्ताव का स्वागत करती हूं और कहती हूं कि इसका विकास होना चाहिये । यह भारत के सब से अधिक जनसंख्या वाला नगर है और इसकी जनसंख्या 80 लाख है ।

भारत की नारियां राजा राम मोहन राय को नहीं भूल सकती जिन्होंने सती की पृथा को समाप्त करवाया । ऐसे आप श्री रविन्द्रनाथ टेगोर की गीतांजली तथा श्री जगदीश चन्द्र बोस और सरोजिनी नायडू को नहीं भूल सकते । ऐसे ही श्री रामकृष्ण परम हंस की सादगी और विवेकानन्द के शिकागो में दिये भाषणों को आप नहीं भूल सकते । मैं उन को महान व्यक्तियों की श्रेणी में गिनती हूं । एक बार उनको अपने दल में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । परन्तु उन्होंने अब उन सब पर काबू पा लिया है ।

स्वास्थ्य, जल आदि को जो उन लोगों की समस्यायें हैं उन के बारे में तो वहां के सदस्यों ने कह ही दिया है परन्तु हमारे मन में इस बारे में कोई ऐसी वैसी भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिये । कलकत्ते की समस्या सारे देश की समस्या है ।

इस लिये मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं कि कलकत्ता के नगर क्षेत्र के विकास के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this resolution of Shri Mukerjee. There has been great influence of Bengal on our literature, art and culture. The great men of that State like Shri Ramkrishan Param Hans, Swami Vivekanand, Ravindra Nath Tagore and Subash Chandra Bose have a great bearing on our national life. But I have seen myself that there is poverty, unemployment and what not in that State.

As far as Calcutta is concerned it is a city of old Calcutta and is a great centre of business and education. Therefore there should be development and progress in that city. But it is a state of suffering that no development and progress is seen there even though three national plans have been completed. West Bengal Government and Calcutta Municipal Corporation are not paying much attention to this great city. It is also responsibility of the Government of India therefore, to take care of that city.

First of all much attention should be paid for transport facilities. For that there should be circular railway or underground railway.

There is no cleanliness in that country. I being a Member of the Scavenging Conditions Enquiries Committee know that no attention is paid in Calcutta to the scavenging conditions.

I would also like to bring it to your notice, Sir, that Bangi Colonies have also not been attended to properly. Though a sum of Rs. 2 crores has been sanctioned for Bangi Colonies but no comprehensive programme has been chalked out for that. The Municipal Corporation is not attending to these problems. I hope that when the elections are now over the new body will look into these problems more carefully.

Then there is a problem of sewage system in Calcutta. The service latrines and drainage there are very defective but no body has ever thought to make improvement in them.

A comprehensive programme should be framed on the suggestion made by Malkani Committee and implemented there. Constructive steps should be taken to make improvement in the sanitary conditions there. The garbage which is seen every where in the city should be removed from such places.

Proper arrangements should be made to see that the water of Bagirthi is not polluted. In other countries schemes are framed to keep the rivers neat and clean but in our country the rivers are not saved from pollution. It is a sorry state of affairs. So, something must be done in that direction also.

I hope that my suggestions will receive due consideration.

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने इस संकल्प के वाद-विवाद में भाग लिया है उन्होंने कलकत्ता की जो समस्यायें हैं उन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है । मैं भी इससे सहमत हूं ।

कलकत्ता का अपना महत्व है । परन्तु शहरी जीवन की जितनी भी समस्यायें होती हैं वह सब कलकत्ते में विद्यमान हैं । कलकत्ते की समस्याओं की तुलना टोकियो, लन्दन या न्यूयार्क जैसे बड़े बड़े नगरों की समस्याओं से की जानी चाहिये । परन्तु वहां की समस्याओं को कार्यक्रम बना कर दूर किया गया है । वहां की कठिनाइयां तथा समस्यायें इतनी कठिन हैं कि उन्हें बड़े पैमाने पर निपटाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कुछ समय के लिये ठहर जाये । माननीय गृह-मंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं ।

श्री मुरारका : किस बारे में ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : कच्छ सीमा क्षेत्र की स्थिति के बारे में ।

कच्छ सीमा पर स्थित भारतीय पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा आक्रमण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ATTACK ON POLICE POST IN KUTCH BORDER BY PAKISTANI FORCES

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हमें सूचना मिली है कि आज प्रातः काल कंजरकोट क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने हमारी एक पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया है । जैसा कि सभा को पहले ही सूचना दी जा चुकी है । वहां पाकिस्तानी अवैध रूप से घुस आये और दो स्थायी चौकियां बना लीं । हमारी सीमा पुलिस को अपनी रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी । दोनों ओर व्यक्ति घायल हुए । उन का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्थानीय स्तर के पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमान्डेंटों के स्तर पर इंडस रेंजर्स और राजकोट रेंजर्स के बीच आज मध्याह्न एक बैठक बुलाने के लिये कहा है । हम ने यह स्वीकार कर लिया है । कि यदि पाकिस्तानी गोली बारी बन्द कर दे तो हमें बैठक का बुलाया जाना मंजूर है । हम ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव स्वीकार करने, तुरन्त युद्ध-विराम की मांग करने, इंडस् रेंजर्स के कमान्डेन्टों तथा राजकोट रेंजर्स के डी० एस० पी० के बीच बैठक करने का मांग करने के लिये हिदायतें जारी कर दी हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का यह प्रस्ताव हमारे 3 मार्च, के पश्चिमी पाकिस्तान रेंजर्स तथा राजकोट रेंजर्स के बीच डी० जी—डी० आई० जी० स्तर की बैठक के उस प्रस्ताव से भिन्न है जिसका पाकिस्तान ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

हम आगे की परिस्थितियों से सभा को अवगत करते रहेंगे और वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री रंगा (चित्तूर): इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा वक्तव्य माननीय गृह-कार्य मंत्री ने दिया है मेरा यह अनुमान है कि सरकार अभी भी सीमा को इस भाग की रक्षा, सीमा पुलिस पर छोड़ना चाहती है । इस लिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार सीमा पुलिस को सुदृढ़ करने का है यदि वह वहां की रक्षा का काम सेना के हाथ में नहीं देना चाहती ?

श्री नन्दा : जी, हां। जो माननीय मंत्री ने कहा था ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री वारियर : : क्या सरकार इस मामले को पुलिस के इन्स्पैक्टर-जेनेरल स्तर तक नहीं ले जा सकती ?

श्री नन्दा : ऐसी ही कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : We are hopeful that the Minister will inform us very soon that the aggressors have been killed. May I know when such a day will come ?

Shri Nanda : We will be giving every information to the House that comes to us.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): हम ने यह देखा है कि एक ओर तो पाकिस्तानी यह सुझाव देता है कि कमांडरों की बैठक बुलाई जाय और दूसरी ओर आक्रमणकारी कार्यवाहियां करता है । इस लिये हम सरकार से, विशेष कर प्रधान मंत्री से, यह आश्वासन चाहेंगे कि वे पाकिस्तान की इस धमकी का बमुकाबला करने के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे ।

श्री नन्दा : यह आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री नि० चं० चटर्जी : (बर्दमान): क्या उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना सक्रिय है और यदि हां, तो क्या अपनी सेना को भी सचेत कर दिया गया है ?

Shri Prakash Vir Shastri : There is trouble at the Kutch border. There is also fear of trouble at the Rajasthan and Assam borders. In the newspapers of today it was published that they have committed aggression in the Assam borders also. So, it is quite evident that Pakistan, intentions are not good. So, I would like to know how much preparations we have made in meeting this menace of Pakistan ?

Shri Nanda : We have also the same feelings as you have and are doing our best.

श्री स० मो० बनर्जी: (कानपुर): क्या यह जो एक विशेष क्षेत्र में आक्रमण किया गया है यह जानबूझ कर नहीं किया गया है ताकि करीमगंज जैसे अन्य अधिक महत्व-पूर्ण क्षेत्रों से दूसरी ओर ध्यान खींचा जाये और, यदि हां तो यहां पुलिस अथवा सेना के द्वारा रक्षा करने के अतिरिक्त सरकार चीन और पाकिस्तान के संयुक्त आक्रमण का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

श्री नन्दा : माननीय मंत्री ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं । हम उन को ध्यान में रखेंगे ।

Shri Gulshan (Bhatinda) **:** May I know whether it is not a fact that Pakistan wants to divert the attention of India and then attack the country. Does Government understands this policy of Pakistan ?

Shri Nanda : We consider every aspect of the problem.

श्री ही० ना० मकर्जी : मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार सीमा रक्षा के लिये बहुत प्रयत्न कर रही है । परन्तु मुझे यह जानकार बहुत दुख होता है कि देश की कमी इस सीमा पर और कभी उस सीमा पर आक्रमणकारी कार्रवाइयां हो रही हैं । इस लिये क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा के अतिरिक्त , पाकिस्तान ने चीन के साथ सांठ गांठ कर के यह जो तनाव फैलाया हुआ है, सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री नन्दा : इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । जब इतने महत्व के विषय पर चर्चा हो रही तो सभा में गणपूर्ति ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति है । माननीय मंत्री एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देना चाहते थे इस लिये मैं ने अपनी अनुमति दे दी थी ।

कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION *RE* : DEVELOPMENT OF CALCUTTA METROPOLITAN AREA—*Contd.*

श्री ब० रा० भगत : हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि यह समस्या हल हो जाये । इस के लिये हम अधिक समय वाली तथा कम समय वाली योजनायें बना रहे हैं । हम ने

कलकत्ता नगर आयोजन संगठन इसलिये स्थापित किया था कि ताकि वह ऐसी योजनायें बनाये जिससे ऐसी समस्यायें हल की जा सकें जिनमें देरी नहीं की जा सकती । तीसरी योजना में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ताकि इस संगठन द्वारा योजना बनाये जाने पर वे समस्यायें हल की जा सकें । जिस में देरी नहीं की जा सकती । बहुत सी योजनायें या तो चालू हो चुकी हैं या होने वाली हैं। ऐसी एक योजना डम-डम हवाई अड्डे के सम्बन्ध में थी । इस वर्ष वह पूरी हो जायेगी।

तब डम-डम जल-सम्भरण का प्रश्न आता है । इस बारे में बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरे विचार से अल्प-कालीन योजना के अन्तर्गत आपातकालीन जल-सम्भरण योजनाओं के शीर्ष के अधीन सब से अधिक धन राशि आती है । इसलिए इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त राशि रखी गई है और इस योजना को पूरा ध्यान दिया जायेगा ?

माननीय मंत्री ने कलकत्ता नगर आयोजन संगठन के विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं वे बहुत अनुचित हैं । नगर का आयोजन करने वाले और नगर का विकास करने वाले इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं । यह संगठन पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुभवी अधिकारियों के अधीन है न कि विदेशी तकनीशियनों के । मैंने इस संगठन को देखा है और स्वयं इस के बारेमें अध्ययन किया है । मैं भारतीय इंजीनियरों का काम देख कर बहुत प्रभावित हुआ था । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि जब यह योजना कार्यान्वित की जायेगी तो यह नगर आयोजन और नगर विकास के लिये एक-आदर्श होगी । मुझ इस संगठन पर गर्व है इस संगठन के साथ विदेशी विशेषज्ञ इसलिये सम्बद्ध हैं क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर नगर आयोजन और नगर विकास का अनुभव है । दिल्ली की बृहद् योजना बनाने के लिए भी ऐसे व्यक्ति रखे गये थे । दूसरी ओर बम्बई में जब ऐसा काम बहुत वर्ष पूर्व किया गया था तो कोई भी विदेशी विशेषज्ञ नहीं था । इसलिये यह बात नहीं है कि हम विदेशी विशेषज्ञ रखने के बहुत इच्छुक हैं। हमने विदेशी विशेषज्ञ इस लिये रखे हैं क्योंकि उन्हें ऐसी योजनायें बनाने का अनुभव है और वे यथासम्भव शीघ्र हमारी योजनायें बनाने में सहायता करेंगे ।

कलकत्ता नगर आयोजन संगठन कलकत्ता के विकास के लिए एक 25 वर्षीय बृहद् योजना तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । इस की अन्तिरिम योजना आगामी वर्ष के मार्च के महीने तक तैयार हो जायेगी । इस अन्तरिम योजना के एक वर्ष बाद सारी योजना तैयार हो जायेगी । यह योजना वहां की संभावित जनसंख्या, व्यापार आदि को ध्यान में रख कर बनाई जायेगी ।

माननीय सदस्यों की यही इच्छा थी कि कलकत्ता की सभी समस्याओं का एक साथ हल निकाला जाना चाहिये और चौथी योजना में उन पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिये । ऐसा पहले ही किया जा चुका है । कलकत्ता नगर आयोजन संगठन ने कलकत्ता के नगर क्षेत्र के विकास के लिए चौथी योजना बनाई है । उसको पश्चिम बंगाल सरकार की चौथी योजना में ले लिया गया है। पश्चिमी बंगाल की चौथी योजना हमें हाल ही में

मिल गई है। है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि योजना आयोग इस में दी गई सभी योजनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा। ये योजनायें गन्दी बस्तियों की सफाई, मल-प्रवाह, जल सम्भरण नई बस्तियां बनाना तथा परिवहन के सम्बन्ध में है।

परिवहन की समस्या को हल करने के लिए तीन हल बताये गये हैं। एक है सक्यूलर रेलवे, दूसरा है टोकियो जैसा एयर रेल और तीसरा है भूमिगत रेल पद्धति। इन तीनों पर अध्ययन किया जा रहा है और मुझे आशा है कि इन पद्धतियों को दीर्घकालीन योजना में शामिल किया जायेगा।

सरकार यह चाहती है कि कलकत्ता की समस्याओं को कुशलतापूर्वक और तेजी से किया जाये। परन्तु यह एक ऐसी समस्या है जिस क लिये बहुत संसाधनों की अवश्यकता है इस में कोई सन्देह की बात नहीं है। इस बारे में योजना आयोग देखेगा कि केन्द्र और राज्य का कितना कितना अंश हो। यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे केवल पश्चिम बंगाल के संसाधनों से ही हल नहीं किया जा सकता। इसलिये केन्द्र को इस में कुछ अंश देना ही होगा। तीसरी योजना में भी केन्द्र ने 30 करोड़ रुपयों में से 10 करोड़ रुपये दिये थे। चौथी योजना में भी सभी चीजें ध्यान में रखी जायेगी। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन समस्याओं की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि व अपने संकल्प को वापिस ले लें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरे संकल्प का सब ओर से समर्थन किया गया है इसलिये मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं उन सदस्यों का विशेषकर आभारी हूं जिन्होंने बंगाली न होते हुए भी इस संकल्प का समर्थन किया है।

मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने भी इस बारे में सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि कलकत्ता की समस्या एक ऐसी चुनौती वाली समस्या का है जिस नमूना सारे नगरीय विकास के इतिहास में नहीं मिलता। मेरा इस संकल्प को लाने का यही उद्देश्य है कि कलकत्ता के लिए एक ब्यापक योजना बनाई जाये।

कलकत्ता नगर आयोजन संगठन में विदेशी विशेषज्ञों की मंत्री महोदय ने प्रशंसा की है। ठीक है वे बहुत अच्छा काम करते होंगें परन्तु उनको ऐसा काम करने के लिए रखा गया है जो भारतीय स्वयं कर सकते थे। जैसा मुझ पता चला है तीन वर्षों में इस संगठन के 20 अमरीकी विशेषज्ञों को लगभग 80 लाख रुपये दिये गये हैं जबकि अन्य सारे कर्मचारियों पर केवल 30 लाख रुपये व्यय करने पड़े। और इतनी राशि भी उनको वह काम करने के लिए दी गई जिस को भारतीय स्वयं कर सकते थे। बम्बई में विशेषज्ञ नहीं रखे गये यह अच्छी बात थी। ऐसे ही कलकत्ता में भी नहीं रखे जाने चाहिये थे। मुझे विदेशी विशेषज्ञों के रखने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उनकी कोई शर्तें नहीं होनी चाहिये। इस के अतिरिक्त, विदेशी विशेषज्ञों पर बिना निर्भर रहे हमें अपना काम करना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण मेरे पास है उसके देखने से पता चलता है कि 14 मदों के लिये 101 करोड़ रुपये नियत किये जायेंगे। यह विकास के लिए अच्छी चीज होगी परन्तु मुझे इस आश्वासन पर विश्वास नहीं है क्योंकि इस मामले में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है।

मेरे विचार से इस समस्या को दूर करने के लिए योजना आयोग को एक विशेष विभाग स्थापित करना चाहिये । इस मामले में अन्य मंत्रालयों का भी काम है इसलिये यह काम केन्द्रीय सरकार के हाथ में होना चाहिये । पश्चिम बंगाल सरकार इसे नहीं कर सकती है ।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक आश्वासन दे दिया है । इसलिये मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे संकल्प वापिस लेने की अनमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री भट्टाचार्य अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ।

श्री च० क० भट्टाचार्य : चूंकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है इसलिये मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

Amendment No. 1 was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या (2) मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

The Resolution was by leave with drawn.

जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए संस्था के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: INSTITUTION FOR REDRESS OF PUBLIC GRIEVANCES

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि जनता की शिकायतों की छानबीन करने और उनका निवारण करने के हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना की संभावना और उस के स्वरूप पर विचार करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिये जो स्कैंडिनेविया के देशों तथा न्यूजीलैंड में विद्यमान "ओम्बुड्समैन" से मिलती जुलती संस्था की स्थापना को संभावना पर भी विचार करें ।"

कुछ समय पहले भी मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि जनता की शिकायतों की छान-बीन करने और उनका निवारण करने के हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना की जाये। मैं आप को स्मरण कराना चाहता हूं कि उस समय जितने भी सदस्यों ने इस चर्चा में थाग लिया था उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। परन्तु इसे इसलिये वापिस ले लिया गया था क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऐसी संस्था की स्थापना करने पर सरकार का पहले ही विचार है परन्तु इसके कृत्यों, नियुक्ति तथा गठन पर पहले विचार करना चाहती हैं। 31 मार्च, 1965 को मंत्री महोदय ने फिर आश्वासन दिया था कि सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

अब यह संकल्प मैंने इस आशय से पेश किया है ताकि हमें सरकार की ओर से पूर्ण आश्वासन प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण कर जारी रखें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE. —*Contd.*

पूर्व रेलवे के भागलपुर सैक्शन पर सबौर और घोघा स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी में दो व्यक्तियों की हत्या का समाचार

Shri Gulshan (Bhatinda) : I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :—

"Reported murder of two persons in a train between Sabour and Ghoha Stalions on the Bhagal pur section of the Eastern Railway on the 6th April 1965."

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Shri Ram Prasad Mandal, a rich person from Bihar, owning large Ganja Estates, had taken his daughter to the Mission hospital at Vellore for an operation. He flew back from Madras to Calcutta alongwith his wife and daughter. They left Calcutta on 6-4-65 by 327 Up—Howrah —Danapur Passenger train for Bhagalpur in a second class compartment. They were accompanied by the Manager of his Estate. At Calcutta (Howrah) there ws only one other passenger who appeared like a student and who has since not been located.

At Colgong station 2 other passengers got into the same compartment. A little later at Ghoga, 3 more persons got in. The next halt of the train was Sabaur. As the train steamed off from Ghoga at about 23-40 hrs., 2 of the miscreants attacked Shri Mandal who was asleep at that time, with daggers and 'Gupti. He got up and offered all the cash, jewellery etc. they were carrying, pleading with the miscreants to spare thier lives. They stabbed him and he died on the spot. Shrimati Mandal who tried to protect her husband and to pull the chain was also attacked. In the scuffle her necklace was snatched away. Through fright, their daughter voluntarily surrendered all

the jewels to the criminals. The Manager aslo received some scratches in the scuffle. Meanwhile, the train was nearing Sabaur station when the criminals pulled the chain. As the train slowed down, the criminals escaped with the jewels and a small suit case containing silk sarees andother miscellaneous items valued at about Rs. 300

When the train stopped, the Flying Suaqd consisting of 2 unarmed Government Railway Police Constables who were escorting the train and another Govt. Railway Police Constable who was also in the train in connection with some other duty rushed to the compartment. On hearing thier story they chased the criminals in the direction they were supposed to have taken. The train was taken to Bhagalpur where the compartment was detached. Shrimati Mandal who was in an unconsicous state was removed to Bhagalpur hospital where she succumed to her injuries. The Manager and the daughter received only minor scrat hes.

The Government Railway Police have registered a case u's 396 I.P.C. The Govt. Railway Police and the Distt. Police parties from Bhagalpur were sent out to comb the area for the apprehension of the criminals. One man named Juno Bahadur Gope has been apprehended by the police, but is yet to be indentified as one of the criminals. Invegtigations are being vigorously pursued with the help of the State C.I.D. Superintendent, Government Railway Police is staying at Bhagalpur for supervisiug the investigation. It is yet too early to establish the motive of the crime.

The Inspector General, Railway Protection Force and Director (Security), Railway Board cotacted the Inspector General Police, Bihar at Patna on telephone 7th April, in the afternoon, soon as he learnt about the sad incident and reecived an asurance that Bihar Police will make prompt and vigorous investigation. Measures to strengthen escorts in ttains in affected area have been taken and Railway Protection Force will render such help to the State Police and the Government Railway Police as is possible.

Shri Gulshan : May I know whether any compensation will be given to the heirs of those who have been murdered in the train ?

Dr. Ram Subhag Singh : As far as. I think they are not such pensons who need compensation. But if any such thing arises the matter can be considered according to the rules of the Railways.

Shri Yashpal Singh : When the Chain was pulled and the train was stopped and the murderers got their escape then for how long the train was stopped and for how long they were pursued ?

Dr. Ram Subhag Singh : I do not have the detailed information with me. I will get it and then pass it on.

श्री च० का० भट्टाचार्य : मेरे विचार से लड़की और मेनेजर दोनों बच गये हैं । क्या उन से ऐसी जानकारी मांगी गई है कि जब यह घटना हुई थी तो डिब्ब में कितने व्यक्ति उपस्थित थे ?

डा० राम सुभग सिंह : उन को छोड़ कर छः और व्यक्ति उपस्थित थे ।

Shri Maurya : (Aligasd) : The disrtance between Sabour and Ghoga is only of thirteen kilometers and it takes seventeen minutes to reach from one station to the other. So everything happened in seventeen minutes and between the distance of thirteen kilometers. Moreover some wrong infor-marion has been given here. The fact is that apart from these four persons there was none in the compartment. These five persons entered into the Compartment at Ghoga railway station. They were in police uniform. In this connection I would also like to know whether the Police Guard wao also travelling in the train or not and if they we e travelling then what did they doat the time when the Chain was pulled and the train was stopped and whether any arrest have been made in this connection ?

Mr. Speaker : The Minister has already told that the Police Guard was there

Shri Maurya : He has told that an ordinary policeman was travelling. But I want to know whether any person of Railway Protection Police was travelling or not ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not a fact that the information supplied was wrong. As I have already told apart from these four passengers there were six others. They pulled the chain after murdering them. Two policemen of G.R.P. were travelling in that train. A part from them there was another policeman of G.R.P. who was not on duty there. The train steamed off the Ghoga railway station at 11·40 p.m. When the train stopped these three police men went to that compartment and when they came to know of this occurrence they pursued them but in the mean while they had gone away away from there.

Shri Maurya : I want to ask one more question.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 म. पू . तक के लिए स्थगित होती है ।

इस क पश्चातह लोक-सभा सोमवार, 12 अप्रैल, 1965/22 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday April 12, 1965 Chaitra 22, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—676 (ai) LS—19-7-65 600.